

**কলকাতা পত্তন ন্যাস কর্মচারী (পেঁশন) বিনিয়ম , 1988  
Calcutta Port Trust Employees' (Pension) Regulations, 1988**

**কোলকাতা পত্তন ন্যাস  
Kolkata Port Trust**



# भारत का खंडपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

**ભાગ II—સાધક ૩—અધ્યાત્મિક (i)**  
 PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राप्तिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 3371

नई दिल्ली, शुक्रवार, नूग 17, 1988/ज्येष्ठ 27, 1910  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 1988/JYAISTHA 27, 1910

इस भाग में भिन्न प्रकृति के वासी हैं। जिनमें से चित्र मह अलग हैं। यहाँ के लोगों में बहुत से लोग

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

जय-भगवान् श्रीकृष्ण तंशुली

(1993-1994)

五

२८ दिसंबर, १९८८

प्र.प्र.प्र. ११२(८)। लक्ष्मी शर्कार, मध्यप्रदेश के प्रमुख अधिकारीयम् । १९६३ (१९६३ का ३४) को भारत १३२ वां उन्नासा (१) के तात्पर्य पर्छिद घाय १२१ को उन्नासा (१) द्वारा प्रसंग लिखितों का प्रश्नोत्तर दिया है, उन्नासा ज्ञानी संकलन घाय द्वारा एवं प्राची इन अविद्याओं के लाभ संभव गयाएँ हैं एवं कल्पना घोषित करन्हारे (प्रेस) विवरण । १९६३ का उन्नासा नहीं है ।

२. उक्त विनियम, हाँ प्रतिकूल के बदला में राजस्व में अवधि के लिए दो वर्ष से ज्यादा हो।

本章所用的都是假想的

第3章 框架设计

四百三

— राम कृष्ण अस्ट्रेनरी (एमटी) दिव्यांग । १९५९

PAPERS 2

四百三

प्रसूत वस्त्र रक्षास अधिनियम, 1963 (1963 की 38वीं) की पारित तुलने के अनुसार (व) द्वारा भवन हस्तियों का प्रयोग करके तुरंत अप्रत्यक्ष रूप से खाड़ी बांधे गए इन्द्रियाघात नियन्त्रित विनियम लाने के लिए।

<sup>1</sup> प्रतिपादन नाम और प्रारंभ - (1) रेस विविधी का प्रतिपादन वर्ष 1988 में विविधी का प्रारंभ होये। विविधी 1988 की।

111 के नाम से जाना जाता है।

२. अमेरिका के लोक के विवेदी विभिन्न विवरणों पर

(ii) यो दो जीवों में पहुँच तुम 1965 का सर्वांग जीव शिक्षा एवं विभिन्न रूप विद्याएँ जीव के अन्तर्गत विभिन्न विधियों का विद्या के द्वारा सामाजिक व राजनीतिक विद्याओं का ज्ञान।

- (ii) बोर्ड की बैठा में पहली चुनाव, 1966 की थी उसके बाद स्थानीय सभा के नियुक्त हुए बहुमती भारत के उठने वाले से मरम्मिंग "ए" देखी कि उसी टीकी कामगार। तभी

(iii) बोर्ड की बैठा में स्थानीय सभा के नियुक्त हुए सभी सभी वर्द्धनार्थी गिनतियाँ आंखों वेष्टने विवरण के लिए विविध रूप से विवरण दिया है या शामिल अवधि पर फ्रेडर लिंग एवं विवरण की गांधी के अनुसार इन विविधों के लिए लिहाई है। अतः यह बोर्ड देखा स्थानीयों जो अधिकारियों की घायलता उठने पर देखा नियुक्त होता है उचित एवं कम के रूप 10 वर्ष के स्थानीयों द्वारा करने के लिए यहाँ अधिकारियों को व्यापक विविध व्यापक द्वारा और लाने देखा के लिए अन्यांशी का से अपने अधिकारियों के लिए बाजारी है। वो उचित कार्यकारी की इन विविधों के लिए वे नाम जाएंगे और स्थानीय का मैं कोई पद जारी करने की छाने की उचित सामग्री में हटा दिया जाएगा। तभी अन्यांशी इन विविधों के उपलब्ध के अनुसार दोषान्विति या विवरणीय प्रेयर, दूर्दृष्टि या विवादान्विति उठाना और विवादर विवर स्थीरत लिंग जाने के लिए प्राप्त होता। अस्थायी मेहमानों की संरक्षण के लिए इन विविधों के असरांश विवरणीय देखा के बांह में मानो गई हैं जो वे अधिकारियों को देखा की जारी रखा जाना चाहिए में हुए खुद (जो) से पिछले देखा का अवधारण होता, बड़ा तो यह ऐसा चरण इन विविधों के विवर 13 के अन्तर्गत खाना न का दिए जाए दें।

3. परिवार:- एवं विविधों में जब लक्ष कि बंदरों से अप्रत्यक्ष वर्त न हो:-

(a) "धीमत परिवारियाँ" से विवरण 23 के अनुसार निर्धारित हो गई अधिक विविधों प्राप्तिरूप है।

(b) "सिंह" ने कर्मचारी का लिया यों नदि पूर्व हो गो 21 वर्ष से इस की जावू का हो और वर्दि पूर्व हो यो विविध द्वारा यहा 21 वर्ष से कम जावू की हो और अधिकारियों के दरमान्वयन "वर्षे" से अनुसार एवं वर्त वास्तव जरूर ग्राहित करने हैं।

(c) "धार्यर" "शोरे" तथा "विवादात्मक" से प्रत्यक्ष पत्तन अधिक विवरण 1963 में अन्य उन्हीं विविध दिया गया अप्रत्यक्षप्रति वर्त है।

(d) (i) अपर्णी पर्दों से विवरणिति अनिवार्य है।  
 (ii) विवादात्मकों द्वारा भारी लिंग दिया गया तरीके पर  
 (iii) यहीं पद विवरण देखने के विवरणात् (यहाँ सहित) वहा प्राप्तिकरण 1963 लिये या इन्होंने अधिक प्रतिकारात् है।  
 (iv) (a) तथा (b) में व यह वाले गमी पद विवरणों द्वारा द्वारा लिये हैं। यह अधिक दिए गए हैं।

(ii) देखो-III पदों के विवरणिति अनिवार्य है-

(a) उपर्युक्त (i) के न आने वाले गमी पद विवरण में हम या अन्यांशी (यों सहित) का संघरक्षण 1971 वर्ष प्रतिवर्ष से प्रतिकार वर्तवूँ 1980 कानून प्रतिवर्ष में नहीं है।  
 (b) (a) में न आने वाले गमी पद विवरण या जो द्वारा द्वारा लिये हैं। पद प्रतिवर्ष दिया गया है।  
 (iii) देखो-III पदों में विवरणिति अनिवार्य है।  
 (a) अपर्णा (i) द्वारा (ii) में न आने वाले गमी पद विवरण देखने का विवरणात् (यहाँ सहित) का संघरक्षण

१२७ लाद-पर्याप्ति के परिणाम स्वरूप १६७० ई. अनियन्त्रित के रूपमें नहीं है।

- (प) (क) में लाने वाले सभी को विवेदित या बोई हाय सेक्स-ए। यह एवं घोषित किए गए हैं।

देखो IV पर्यामें जिनसेक्सिटी अधिकृत है:- उत्तरार्द्ध (i), (iii) में न लाने वाले सभी यदि जिनसेक्स वेटन-ए वेक्टरमाप लाने बहुत कम विविधता वाले रूप हैं।

"प्रथम जिनसेक्स वाले आदारों" के बारे में यहाँ विविध विविधता अधिकृत है।

"जिन्होंने लाना चाहता है वह सब विकास विविधता" में बोई की "जिन्होंने लाना चाहता है वहाँ लेखा विविधता" अधिकृत है।

"लेना जिनसिटी की जटिलता" इसकी कर्तव्यारोगी के उच्चार में "लेना जिनसिटी की जटिलता जटिलता" वा कर्तव्यारोगी की लेखा जटिलता जटिलता के अन्तर्भूत जेवन-जिनसिटी के लिए जिनसिटी वाला प्रथम करने के महान् रूपी लोकों वाली वाली जटिलता का पाठ्यक्रम "अधिकृत" है।

"लालों का एवं लिलों का जटिलता" से ऐसा अर्थात् अधिकृत है जो लालों का एवं लिलों का जटिलता जटिलता करना करता है जो जी ऐसे दिलों वह पर लिप्त विषय (पहचान-विषय) एवं हो जाए उसके लिम्बन जो रुद न किया जाता है।

"इतर देशों से ऐसों सेक्स अधिकृत है जित्तमें बोई जांचारों गोई की जित्ति जो जित्ति एवं लोड से यत्क्षेत्र विविधता की शैक्षिकृति से जाना जाता जाता है।

"लालार" के कोण्डोप सालाहर अधिकृत है।

"प्रवर्षक" में यह अधिकृत अधिकृत है जिनमें 18 वर्ष की वय पूरी नहीं की जा सकती है।

"अहेक सेवा" में लघुती यदि रहते हुए की रही सेवा या बनवाई गई सेवा अस्वीकृत है जो इन जिनसियों के अन्तर्भूत स्वीकृत्या एवं जीवन जीवन विषय के प्रयोगात् के लिए हिस्सेव या ली जाती है।

"देश" में देशकों के विशेष में प्रबुद्ध योग्यता जड़ता को छोड़कर उपयोग अन्वयित है।

"लेक जिन्हें लाल" में वेक्स जबका सेक्स लेक्सन जापा मृत्यु एवं सेवन-जिनसिटी लापत्ति, जहाँ लेक्सिपाये हुए शामिलित हैं।

"उपदान" में जिम्मेदारिंद्रि शामिलित है:-

  - (i) जिवम् 30 के जाप-जिवम् (१) के अन्तर्भूत जूते किए जाना सेक्स उपदान।
  - (ii) जिवम् 32 के उपर्योगम् (१) उपचा उप-जिवम् (३) के अन्तर्भूत यदा किए जाने वाला "प्रथम उपर्योग उपर्योग उपर्योग उपर्योग"
  - (3) जिवम् 32 के उपर्योगम् (१) के अन्तर्भूत यदा किए जाने वाला "उपर्योग उपर्योग"।

卷之三

三、用法範例

4. दिल्ली काशक, दक्षिण कशक व उत्तर काशक का विवरण

विजय द्वारा परिवार वेश्वर के गवर्नर ने ५०० रुपया कर्मजों के लिए नियमित हॉस्पिटल अवधार बहुतांशु दिया था जबकि सेवा से व्यापक रूप से देस की स्वीकृति दिए गए थे। इन धनधारा ने तुल हॉस्पिटल वाहिका की मांगदारी ही, और उन्होंने आगे इन विविधताओं के उत्पन्नों का न विनियमित किया आश्रितः

5. पैकानों विं लंस्या की चीमा :

- (i) कोई कर्मचारी एक ही सेवा करना अब में एक ही समय करना। एक ही समयकाल सेवा हो जाती है जो की गेहूं का प्रजीवन नहीं होता।

(ii) कोई कर्मचारी जो विद्यार्थियों पर सेवा-विशेष होता है वही बड़े कठोर में पूर्ण विवेचित किया जाता है। यानी पुढ़ विद्यार्थियों को प्रशंसित किए बल्कि उनका अवश्यक काम होता होता।

6. पैदान संस्थाये दें अच्छे प्रावरण की ओर के लिए है :

1. (क) इन विज्ञापों के मूलतरं गेन को गतिशील भूमिका देता हुआ यारी रहने के संबंध में विचार आवश्यक है।

(ख) विभिन्न प्रेमण धर्मों विवरण एवं विवरण विविध धर्मों के बारे में विस्तृत विवरण हैं।

इनके अधिकारियत पह भी कि नहा देखने का कोई चाहन रुका गया है। वह धमन लिपा जाता है तो ऐसा वेष्टन को सरली त्राउ रख द्रविणाम ते कम रही की जाएगी।

३. उपरिनियम (३) के सन्दर्भ में इन बातों माम प्रति विवरण दी गई हैं। उपरिनियम (१) में बताए गए प्रार्थिताओं के विचार में विशेष रूप से वासा नवीकरण तथा वायरल एवं प्रत्यक्षता दोषों हैं, जो उपरिनियम (४) के सन्दर्भ में दोषों जारी करने में पहले, (क) रिहाय आले वाले के विकल्प की जाने वाली वायरलही जल्द विवरण एवं वायरल वायरलही फिल माने का प्रस्ताव है, जबकि लोकेश वाले हुए विचार यांत्र धारों का एक नुस्खा दी जाएंगे और उसे शुरूआत के अन्त में १५ दिन से नियुक्ति वालिकरी द्वारा संवीकृत किए गए और वागे के अधिक जाति १५ दिन से अधिक रही होना, के प्रस्ताव द्वारा प्रस्ताव के विकल्प किए जाने वाले प्रतिवेदन को कि पहले वायरल जाए, को प्रत्यक्षता दरखत के लिए यात्रा जारी। (ए) वेस्टन यांत्र मामे द्वारा बनने (ए) के अन्तर्वेदन प्रस्तुत किए गए अनिवार्य विषय जारीता गौरव

५. दम्भिरपि (i) देवसंवर्त प्राप्तिवारी है, या काण्डिल वरदों के विषय  
कार्य एवं उनके सम्बन्ध गोप्य के लिये वरदान, जोन दी जाता है, तो विषय  
होती।

२. प्रेसांग दीर्घनि इतना व्यापक रूप के विषय में सम्बन्ध है। इसका

(1) दिल्ली प्रश्न वा उत्तर के भूमि की स्थापना का विस्तृत विवरण के लिए रोपने शब्दात् वार्षिक सेवा अधिकार में लिखा गया है। विस्तृत विवरण का व्यापक वार्षिक सेवा वार्षिक सेवा के बारे में देवदत्तविज्ञन के लाइट टुक्रे विवोल्वर पर वार्षिक सेवा वार्षिक सेवा की व्यापक में वर्णित है। वार्षिक सेवा की व्यापक में वर्णित है। वार्षिक सेवा की व्यापक में वर्णित है। वार्षिक सेवा की व्यापक में वर्णित है।

इसके अतिरिक्त यह भी कि इन्हीं लोगों का विशेष दर्शन सेवा धर्मवादी विद्वान् ज्ञानी हैं तो उन्हें प्रेताद तक विविध मारणों द्वारा ब्रह्मदर्शन से बचने की आशीर्वादी है।

(२)क. उपर्युक्तम् (१) के प्रभित विद्युतों तथा परवर्त्याही यदि उस समय प्रारंभ की जाती है तब कर्मचारी लेका में या अहं उसके लेका विद्युत द्वारा ये पूर्व या वर्तमान युक्त चिह्नोंके अधिक के दर्शक हो तथा विद्युत के अनुरूपता कार्यशाही तरीका प्राप्तिकारी होता उसी इस से यह प्राप्ति कि कर्मचारी मेंदा तथा उस द्वारा है, प्राप्ति रखी जाएगी और समाप्त हो जाएगी, जिसका हारण तो प्रारंभ विद्युत होता था।

यथाते कि वहाँ इक्षागीप आर्थिकाही संस्कृत के प्रदोषग्रन्थ के निको प्राप्तिकरी द्वारा त्रांश की जाती है, तो उसने प्राप्तिकरी प्रकटी वर्णनियों को दृष्टे करते ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

ब. इन्हीं का मत है कि उस समय पारंपरी महीं को जाती है, वह कर्मचारी सेवा में था, जहाँ उसके सेवा-दिवृत् होने से पूर्व पा॒रंपरी  
की प्रवृत्ति के दौरान, तो—

- (i) दूषकांश की स्तरोंकृति के प्रयोगदाद को द्वारा उत्तर कर्त्तव्याधी प्राप्ति नहीं हो सकती।
  - (ii) ऐसी कार्यवाही ये रूप करने वेष्टन भारत दर्जे के बहुत ही अटडालों के अधिक में इसे प्राप्ति नहीं किया जाएगा।
  - (iii) यह ऐसे प्रयोगिकाओं द्वारा ऐसे स्थान पर ही आएगी किसके लिए दृष्टिकोण देता है तथा यह विचारोंपर कठोरता ही पर लाता है लेकिन ग्रनिका के अनुसार को आएगी, जिसमें उद्देश्याधी दो सेवा के दोहरान उपर कंपीज में भेजा जे बहोल्ड करने का क्षमता प्रियम वाल सकता है।

(३) कर्मचारी के सेवा में रहते हुए, भानू उपलक्ष्य सेवा-निष्ठिति से पूर्ण अधिकार उनसे दूरः गिरोहन के द्वारा न दर्शि कोई लक्षणिक बाधेवाही प्राप्त न की रही हो तो इसे उन्हन् हुए कर्मचारी के सारण के मंड़वा में दृष्टवा ऐसी कर्मविधी प्राप्त करेंगे मूल सार कर्म में जड़ते हुई परमार्थी के मंड़वा के द्वारा किया जाएगा।

(4) (i) दूसरी पार्टी को आगे प्राप्त करने पर वा सम्बन्धित विभिन्न तुरंत फिल्मों को मासमें दें, जिनके प्रियक दोहरी विभागीय वा प्राक्षिक वर्तमानीय प्रारंभ की गई हो या अल्ला, उपलब्धिम (2) के अन्यकृत विद्युतीय कार्यकारी आदी हो। एहत वर्तमानीय वा शैक्षणिक दूसरी विद्युतीय वर्तमानीय कार्यकारी विद्युतीय विकास विभाग ये दूसरों में इतनीत्यं प्रवर्तन देवदा मार्डि कर्मचारी मेंद्रानीज्वृत्ति को लानीव दो सुनिश्चित होने वाले सुनिश्चित किए जाने की लार्जीव से विवरण घटने की दृष्टिव उपर्युक्त विभाग के द्वारा हो।

(१२) कर्तव्यों की उम्र विषय लक्ष लेकर उक्तादेश स्वीकृत नहीं किया गया है। इस तरह ये भारतीय दो व्यापिक कार्यकारी व्यापारों ने उनके बीच अपनी अविभाजित जगत् एवं जल्द घटाया।

(iv) भाग्यियम् ४(१) के अनुसार ही नहीं वर्णितम् वेशम् की एक दशमी  
ऐसी कामयाही के लिए जहाँ ही परहेंगे वर्षवारी की स्थिरता बताया गया-  
विवरिति यहाँ में लालोचित का आदर्शः परंतु इस वर्णितम् स्थैतिक विशेष  
के बाब्ह ही का व्याख्यान नहीं कर सकता है। यह अपनी एक वे  
द्रष्टव्य विशेष विवेचन के लिए उपयोगी नहीं है, तो क्योंकि विशेष  
ही ही व्याख्या।

(v) यहां दर्शन वेळन रोकने का अधिक न जाने का निर्वाचन होता है। लेटिन में इस तो रोकता है एवं उसी को बढ़ावा द्या रखते हैं ही। यहां जिसी कर्तव्याचे भी दूसरोंने उसी की कार्रवाएँ करने से रोकती हैं वेळन के अधिक तो दर्शन तक आने की अपेक्षा है।



ફિલ્મ નામ - અભિ ૩(૧)બ

(v). देशन प्रतिकर्ता को अद्यतनाधिक विवरण है, परन्तु ऐसे मामले जिनमें संवेदन ने इंटीटन स्पष्टित की हाँ तो वे और जिनमें उनकी वहने से न चर्चारी रिपोर्ट के कारण उनके बाह्यों की अनुचित सामग्री की संज्ञापन हो।

(iii) ये वर्ग प्राकृतिक संस्कृतों की तुलना में अपेक्षा अधिक है जिसमें अंग्रेज़ के कानूनी विवरणों ना व्यापकरणों के साथ दोनों भवित्वों के सम्बन्ध स्पष्टीकृत करना शामिल है;

**प्रयोगात्:** (क) यद्यपि "हिमी चहारी निवास के अनुसार नियोजन" के प्रबन्धनों के लिए गोटे भी एवं पारा करती आविष्क है, यादृच्छा एवं अनुमति दी भी देखती, जैसे यह बाह्यक, अनापासी, प्रबन्धक इत्यत्र, औषधायत और इसी संबंध के एवं उसी प्रेसी समिक्षितों में किसी भी तात्पुर उपलब्ध है।

(v) लिंगों वर्गीकरण के लाभों में सूखे देते हुए सेवा-विषयों के अन्दर लिंग विभाग घटने के लिए उचित वर्ष मरण बोर्ड द्वारा अलाइस्टर फैशन बोर्डी - I पर यह युवा लिपेशित करते हुए लाभों में लिपिबद्ध। "लिंग लिपिति वी लारीज़" से जहां लारीज़ अनिवार्य है, विषय लारीज़ को ऐसे पर्मंज़री का बोर्ड की त्रिपादा द्वारा अनिवार्य से युक्त लिपेशित किया जाता है।

१०. पा. भारत के बाहर हिस्से सरकार के अन्तर्गत मेंशनियति के बाय विवोपासन :

यदि नोई खेत के लकड़ी जो भरते हैं वाक्यांशिकी के लकड़ी चढ़ने पर्नी। याक्यांशिकी या, जाति के लकड़ी विद्या लकड़ी के प्रस्तुति विद्या नियोगन का लकड़ी विद्या का लकड़ी हो जो ऐसी लकड़ी के लिए उसे किसी प्राप्ति की पूर्व-वन्नमति ग्राहन करने होती है। ऐसा ऐसा लकड़ी नियोगन जो लकड़ी वन्नमति से दिया जाता नियोगन लकड़ी विद्या के द्वारा इस प्रभाव के नियोगन की लियी जी लकड़ी के घटनाकाल में यो संस्कार के लियें के द्वारा अधिक अवधि के लिए होते हैं जो लकड़ी होती।

यात्रा के दौरान भारत के लाइन कंपनी वर्षाकर के अन्तर्गत नियोजित की गई थी। यहाँ पर्यावरण के लिये भारत वर्षाकर द्वारा संशोधित ही गढ़ है, जो देश-विवृति के बाद ऐसे नियोजन में दर्शन दर्शन के लिये बाहर खारेज करने वाला अभियान होगा।

**व्यापकः**— इस प्रिनियन के प्रयोग के लिए प्रिनियन "भारत के बाहर किसी संरेत के प्रश्नात मिनियन" में भारत के बाहर किसी गणराज्य के लियोलग या नियन्त्रण के अन्तर्गत कार्य कर रहे किसी स्वतंत्र द्रष्टव्यकार या लियन या किसी संघर्ष के अस्तुपी नियन्त्रण पर्याय किसी दूसरोंकी नज़दीक में उपलब्धि किया जाता है।

卷之三

四〇

१ अप्पे लेया तो छानकरी

इन विनियोगों के उपर्युक्ती की गई है बहुत सी विनियोगों का एक सेवा यह लाभेष्य से विकल्प हिस्सी जब उभयनाथी प्रवेश विद्युतीय पर का स्थानीय यह के बाह्य विवरण यह से यह ५-८% की विद्युतीय समाविकार विवरण आवश्यक है।

परमें कि स्थानीय वा महात्मा गांधी के बाये उसी अवस्था तक पहुँचने वाले विद्युत विद्युतावाहन के लिए जारी होंगी।

१० वृक्षों का पुराना गतिशीलता के रूप में लेखा की गयी।

जिसकी पद गद्द वर्षभित्राहीन रेलवे के बाद परिव डोपो जा चाहिए वह यह समझी है कि जिन्हें जो लाभ है वही उसे पर्सिक रेलवे को लाभ देना चाहिए वहसुन गणराज्य के लाभ में भी हड्डे रहेंगे। लंबिक रेलवे नहीं खाली रह सकती।

२३. युक्त विग्रहित कार्यक्रमों के माध्यम से इन्हें पूर्ण तैयारी की जाएगी।

मोर्ट कलेक्शन वाले प्राचीन पैकेज बदला गया रखता रहता है। यह  
प्राचीन उत्तर भारत अवधियां उत्तर पर संस्कृत युग की हैं। यह  
नियोजित मिट्टी भारत है। इसके दौरान वेदों के बदला यह नहीं होता है।  
के निष्कृत लिखा जाता है, यह एक ऐसा लिखित है। जो लिखित है, कि तो वह  
कर्मसूत्र नियोजित लिखत है गढ़ा है।—

(क) देशवाले लेकर ऐसे या यारों द्वारा जीवन का नियम है तो उसका अधिकार की बजाए उपरोक्त आदित्य सुनाए गए विषयों की ओर विवरणों के रूप में जानकारी देया।

(४) देशगत लेनदेन करना। और गिरजाहिंचा वा रुक्ति जीवनी करना।—

(i) प्राते वा नई वेलद तथा

(ii) देशन के भाग के स्वराजीकरण के लिए प्राप्त मूल्य तथा

(iii) सेवा उद्दारन, परिकोई ही, प्रधान सर्वे एवं जना-  
निधि उद्यान की तात्त्विक वस्तु अपेक्षित ही गेवा की घटक-  
मेवा के लकड़ में रिसाव, बर्बर है।

(i) एक विद्युत को करेता ने पूर्ण रूप से बेचने की उम्मीद परायमें को आनंद दर्शाया नहीं है।

(ii) वेतन नियंत्रण के सिंह दिवाल में न लिए रख प्रेसवन के बीच सहृदय उत्तरों वेतन के नियंत्रण के सिंह प्रेसवन और अधिकारी बीच उत्तरों द्वारा भविष्य डिका जाएगा।

(iii) पेंगुन के मार्गशीर्ष भाग का अंदर, पर्ट कोई है।

**स्वाक्षरा** — इन योग्य के अधिकारियोंने “मिसे हिनोव में लिखा गया था, यह से उपर्याप्त फैलत विशेषज्ञोंद्वारा कर्तव्याधी का वेतन मार्गशिरक पुरुष विशेषज्ञ पर अग्र हो गया था, लहिर पेट्रोन को याहि अनिवार्य है, और अधिकारियोंने “मिसे हिनोव में गहरा लिया गया था” से उत्तराधार अर्थ संगताओं बताया।

(2) (a) विकासमा का प्रथम पद लोकप्रीय नियुक्ति के द्वारा देखा जाएगा जबकि बाल शाकिषारी, वैसे कि उन्नतविधि (1) में वर्णित विधान नहीं है, उनका अधिकार के ग्राम वर्गिकारी से अन्यथा मिल जाएगा ताकि इन छहों पर ही भी विवेक विहीन ने अपने वाले छहों से उनके वर्गत में पर, जो की बात में ही, उनके उन्नतविधि के अन्तर्गत ऐसे विधान को चाहिए जहाँसे भी उन्नीष्ठ के नीचे मूँगे के ग्रामीण विधायिका पर में विश्वल विधायक विधायक विधायक के विश्वल विधायिका (2) के उत्तरांशों को भी उक्ती तुलने में लायें।

(क) याद रख कि (क) में बनाए खट्टियों के बाहर लोहे सिल्ला भी नहीं किया जाता है कैसे यह उनमें प्रतिकृति नहीं बनायी जाएगी ?

(३) ऐसे कार्यकारी के व्यवस्थे में ही उपलब्धियम (१) के घट्ट (क) के लिए विकाल दैता है जो बाइ की सेपा के लिए स्वीकार्य नेतृत्व वा उपचाल प्रस मीमा खरे के अधीन संगीती रूप से देवा उपचाल या नेतृत्व का खूब गुण और वरदू पर्व सेवा-नियुक्ति उपचाल, यदि कोई हो जा। जिसकी सेपा अधिकारियों द्वारा लिया गया होता और उन्हें भी सेपा के लिए उत्तर देवा-नियुक्ति लानी का गूढ़क वृहत् ही मंजूर कर दिया गया हो तो कार्यकारी वो बोध्य उपलब्धियम से शूलभ स्वीकार्य होता, प्राप्ति के मूल्य लाता मूल्य शब्द सेवा-नियुक्ति उपचाल यदि कोई हो, के अन्तर ले लिया नहीं होता।

दिल्ली :- नैन का पुरीत विद्याय अवश्य विजय विवाहवाली के समय नाम नेंदोप विविध लकड़ी (नैन का लारोबोरल) विकास, दिल्ली, 1981 के अन्तर्भूत विश्वासित लारोबोरल मूर्ची के अनुग्रह विविध विद्या जापा।

(4) (क) कोई कमेवारी वा उपनिवेश (1) के बाद (ए) के लिए विकास होता है, यो उत्तरी पहले वो सेवा के संबंध में वाहत हुए उपनिवेश वो विविहित विस्तरी में, यो जिसका से अधिक 30 द्वितीय वापसी प्राप्तयांकी करनी होती। पहली विवरण उप सहायि में आवश्यक होगी, जब उसने विकास दिया हो।

(v) पट्टियों की तरीके के प्रारंभिक विवर के फल में परिवर्तित करने वाले प्रारंभिक उपर उपर अवश्य नहीं जाएँ नहीं होगा, यदि उपर दृश्यता तथा दूसरी विषयों के बाबत विवरणों में कठोर दृष्टि नहीं हो।

(३) ये लाईदारी के मामले में जो उत्तराधीनी वाहनों का नियम देता है, परन्तु प्रतीक्षण की पापवादी प्रशंसनी करने से पहले उसकी परापूर्वी जाती है तो वारम व हर्ड ड्राइव की रास्ती की उत्तराधीनता यह बेच हटा दिया सकता है। इस संबंधित उत्तराधीन में ज्ञानप्राप्ति किया जाएगा।

12. छड़ी पर असील घटवियों की मात्रा:-

जैवा के दैर्याव मध्ये छुट्टी, दिवसके लिए छुट्टी बेत्तुक जैवा किसा पाना है और फिलिप्पा बगान-ताल पर भंतुर गी कही जानी बल्याराम छुट्टी भर्ती जैवा के काफ़ दे दिनी अपेक्षा।

यहाँ तक कि विकिसांग प्रगति-पत्र पर मंत्री को गरे दलालारण छुट्टी को छोड़कर दलालारण छुट्टी के नामांतर में विपुलिन लालिकारी, ऐसी छुट्टी की मध्यमें के समय, उनके छुट्टी की घटवियां को घटाकर देखा के बहुत में परिवर्तित किए जाने की स्थिति देखता है, इदि ऐसी छुट्टी दिवी अवधियों को विवरितिकरण करारा मंत्री की मध्ये हो —

(i) नवरीति इतिहास के भूत्या लक्ष्यशारीर प्रह्लाद कर्मों का एक समाज विषयों में प्रबलवान् होने के साथ-साथ।

(ii) इन्हें विभिन्न कथा गुरुत्वात् भवन जा जाए रखने के लिए।

(२) (क) असिंहाल या असिंह जनजाती की समस्या

द्वारा, चारों हाथ या निश्चय कर सकते हैं जि अपने हाथ के मनुषीय सेपा में नियुक्ति के लक्षण पहले बोई हाथ अवश्य हिए। आदिकाल के प्रत्यर्थी इसी कालहारी हाथ रखोद दिला गया थाय और उसमें हाथ के इस कंप विस तरह है कि यह।

#### REFERENCES AND NOTES:

प्राचीन के सदृश में जन्म-वदलाल विष, जोन नह तिक्ती शक्तियों  
द्वारा विनष्ट के अभी आया है विष, वह ग्राम, देश ग्राम  
में उत्तु एक दूसरे वदलाल के उत्तरादि रह देते गुरुकर द्वे देवदाहुल भास  
करते । प्राचीन विद्यालय विष, विद्यालय विष, विष, विष, विष, विष

पहले दोष के लक्षण में जिन छाएँ। इसके मासलों में विशेषज्ञ की अखिल तक समर्थ तक नहीं गिनते जाएंगे जब तक ऐसे मासलों के प्रशासन में संवेदित विनियम के अन्वयन एवं धारिक पालित करने के लिए उपलब्ध प्राधि-  
कारी द्वारा दृष्टि स्पृह से लक्ष लगवा बड़ा सोचित नहीं कर दिया जाता है कि वह वक्तव्य प्राप्तिकरी दृष्टि धैर्यिकी की एक गोमुकु तक पिण्ड छाएँ।

4. ग्रिल्सपेपर खाद्य/ व्हार्टेंटरी पर दृष्टि का अध्ययन

किसी कर्तव्यार्थ का लियो सेवा वा पद से निष्पत्तिकरण अथवा बद्धोऽसुद्दोषी  
पिण्ड वांने पर उत्तमी निधनों सेवा वा स्वप्नवर्तन विज्ञा आएं।

(5) अप. वराणी पर विद्युत में तथा फोन उपकरण

(ii) यदि हिस्से इन्हें रोका जाए तो वे निष्पालित/विकाराद  
प्रक्रम दृष्टिकोण से वे निष्पालित किया जाता है, परन्तु मानव  
प्रक्रम प्रतीकरण वाले उसे पुकार कहते हैं तो वह  
सामर्थी गिरावटी सेवा वा बहुक सेवा के रूप में गिरे जाने का  
प्राप्त होता।

(ii) कार्यवाही के विवरण, बहुत हल्के शब्दों से विवरित करने पर उसका अधिकारी का नाम से जोशभिलपुत्र करते, रेस्टूरंट की प्राप्ति, हो, जो लारोग डेव्ह युक्त दृष्टिलों की लारोग के दोष से भी मैं अप्पाचान की लारोग उत्था विवरण की अधिक, वाद दोई हो, जहाँ गोदा के सम में उस समय तक पर्वतिल महों की जाएँगी वह तक उस दृष्टि दृष्टिलों का शारीर परिवर्तन महों याकौ प्राप्तिकारी के विविध वादिय द्वारा दृष्टी वस्त्रों द्वारा के सम में विविध वादी वाद दिया जाता है।

१६. लायन-वर पर सेवा दा प्रपञ्चने

(ii) निम्नलिखितार्थी द्वारा ओड़ी की शेषा के हित में संयोग-ज्ञान का वर्णन किये गये स्थोहृति दिए गए के मध्यमें को संक्षिप्तरूप  
किया गया। या किसी वद में उत्तम-नट देवे से प्रियक्षी के द्वारा  
उपर्युक्त दो वाक्य।

(ii) नियुक्ति वापरिकरण किसी संस्थित पोर्ट बोर्ड के हित में सम्भव राज्य-प्रबन्ध वापरिकरण के संबंध में नियमोंनियत खर्चों पर एकमात्रि के बजाय कैसे अवशिष्ट।

(ii) यह कि स्कूल-नव वर्षावारी का दृष्टिकोण से निवेदित ज्ञानी व्यापकीयता, कार्य कुशलता प्रदान करती है। इसके अलावा यह व्यापकीयता की विश्वास उत्पन्न करती है। इसके अलावा यह व्यापकीयता के लिए व्यवस्थाएँ इन परिवर्तितियों में महत्वपूर्ण विभिन्नताएँ दर्शाती है।

(ii) यह कि व्यापक प्रयोग होने और आरोप लगा जैसे कार्यविधि के लिए अनुरोध करने और सारोक के नीचे को अनुमति के दोषात् व्यक्तिगत व्यक्तिका सामरण विकल्प भी प्रदान करती है।

(iii) यह कि स्पष्ट-प्रति पदार्थ होने की सुरक्षा तथा देवानन्द पाठ्य होने के लिए अवश्यिक इन ग्रन्थों के परिचयान्वयन ग्रन्थित की गयी है। यह ग्रन्थ छठन का शीर्षकहीं दिया जाते हैं जो कि ग्रन्थ की सामग्री में दीक्षा विधि से असम्बन्धित रहते हैं तथा इसकी ३० दिव्य में व्याख्या ग्रन्थ होता जाता है।

(iv) महान् विकासकारी विद्यालयों की स्थापना करने पर उन्हें शामिल रखिए जिनमें बड़ा वर्ग वा जोड़े गए दुष्टवालोंके बड़ा उपचार हो।

(३) रानेपारों द्वारा उल्लंघन करने वाले वायस जैसे तथा एप्टी की पुक धूम करते के संबंध में उल्लंघन धर्मिकारों द्वारा स्वीकृति प्रदेश परिषिक किए जाने पर, अधिक ऐ बेतवा व्यवस्थान का उपायाचार उपरिणित हुआ। माना जाएगा, पश्चुत् व्यवस्थान की परिषिक लाइक फोन के लिए में नहीं लियी जायेगी।

#### 17. लेपा में व्यवस्थाएँ की प्रभाव

(1) हिन्दी कवितारी की सेवा में उपराजन से निश्चलिष्ट मामलों की छाड़ी, उसकी विस्तृत गेलारी या साक्षी होन। :-

(क) अनुप्रस्थिति यहाँ से प्रोत्साहन करें।

(प) अनुप्रिवाल छोड़ने की प्राप्तिका खुली है सत्रजग में अनुप्रिवाल के पद को स्पष्टीकरण में भवि बाने के लक्ष्य तक अप्राप्तिका दर्शायेगा; और

(g) नियमन के तत्काल बाद पुनः वहाँ से, पाहे दूष उत्ती या विही द्विती पद पर हो अब वा नियमन के अनुसन्धान शुरू हुए पहाँ द्विती कम्पनी की वट्टू हो जाती है या जो योग-नियुक्त होने के अनुसार दी जाती है ना सिवियां संलग्नति की प्राप्त वाप्त करने पर वह योग-नियमन हो जाता है।

(2) उप-नियम (1) के विरोध आते होते ही भी नियुक्ति प्राप्ति करने वाले व्यक्ति अपनी व्यवस्था को बदलने की चाहिए।

18. ये क्षेत्र वाले दोनों देशों के बीच एक समझौता है।

(\*\*) लेकिन पुरी में प्रतिकूल विहित संकेत के न होने पर यात्रा बोर्ड के अधिकारी निची असंवत्ती हात्या को यह येत्रा को प्रतिकूली की तीव्र के अवश्यान का स्वतः इमा किया गया। मात्र आठवाँ और उपक्रम मुर्दे येत्रा को अहेतु येत्रा मात्रा पाएगी।

(v) बहुउ (क) की गोई यात नेपा में द्वारा प्रति निकालने वाला है औ जोसे अवधारिती है ताकि इन नेपा में यात नेपा के दररोग हैं। अपनावन एवं जाग नहीं होती; और

(ग) अप्टी (क) में अनित व्यवहार हो इसके प्रति ग्रहण में के सभी में जीवी गिरि जाएंगी।

10. इसके मेंबर शास्त्री एवं प्रशिक्षित होने का लाभ।

इसके बावजूद, परमाणु की अपेक्षा इसके गोले के संख्या में, ऐसे अविभाजन दशा कारण हींगा क्योंकि इस विनियन के अन्तर्गत ऐसी नेत्र विभाजन के लिए अस्वीकृत खेत्र गिरो आयेंगी।

第141頁

परिज्ञानियता तथा वैज्ञानिक प्रयोगशीलता

## १०. परिस्थितीका

अधिक्षेत्रका "पारिवर्तनी" से यह बताना लाभदायक है, जैसा कि मुख्य निवासकालीन चिपम ८(१) में पारिवर्तनीका दिवाना मता है। इसी कानूनी कामयाकारी शब्दलैं शेवानियन्त्रित से उत्तरान छिले थवया भवनों मृत्यु की तारीख की घटना कर याहा था तोह उसमें मर्मा जा संतुष्टानुभव भवानों की ओर कोई अग्न्य भत्ता कर्त्तव्य है, परन्तु जाह एवं गांधीजीका जोई द्वारा गेहूँम के प्रयोजन के लिए येत्वा न तुल में परिवर्तनी की जाती है।

३५४

१. इसी कोई अविनाशील सेवा के सहने हुए दर्शनी सेवा-निवृत्ति परमाणुक के उपर्युक्त पहले शुभ्रटों से गेहूं की छाती पर समरप्तिका रहा है, जिसके

लिए लग्ते हैं लेकिन यहाँ किसी जाना है यहका किसी कर्वाचोरी की किंवदि किसे जाने के बाद, सेवा के अपवाहन के बिना युक्त यहाँत कर लिया किए जाने के बाद, सेवा के अपवाहन के बिना युक्त बहुत कर लिया जाता है तो के पर्याप्तियाँ जो वह लग्ते हैं उपराहित न रहते तो यह किंवदित के रहने को कियते में प्राप्त करता है, वे इस विनियम के बाही जाने के बिना कियताहोंगे।

बलते कि बेतत में कोई वृद्धि (हिथरी ५ में अधिक वृद्धि को छोड़कर) और उसे प्रत्येक में प्राप्त नहीं होती है, उन्होंने एकलिंगमें पा भाव नहीं होगी।

२ ऐसे मानस में जहाँ कोई अवस्थाई सेवा में रहने हुए भरनों से मानियुक्त लक्ष्य समूप से उत्तम पहुँच की छोटी पट चढ़ रहा है, जिसके लिये उत्तमाप्रभ या उद्दारी का से उत्तमतर नियुक्त आदत दिए गये पर इसी बेंग चढ़ा लिया जाता है, तो ऐसी उत्तमतर नियुक्ति में प्राप्त होने वाले अवस्थितियों का लक्ष्य सेवक उसी समय लिया जाता है वह वह प्रशंसनिकत कर दिया जाता है कि यही कार्यात्मक छोटी पट न बढ़ा होता। कहु उत्तमतर नियुक्ति पर ही बढ़ा रहता।

उ. यदि कोई कलेजीय प्रैरा में ऐसे हुए वार्ता सेशन-प्रिवेट पा  
मूल्य के लकड़ाव पहले दृष्टी से अत्यधिक छूटी पर बदूलियति रहा हो  
या निष्काशन के अधीन रहा हो, तिलकी धर्माधि की सेवा के हाथ में  
नहो तिलक बाला है तो वे परिस्तिज्ञा जो वहु उसे छूटी पर वार्ता वा  
या निष्काशन के अधीन रहे वार्ता वे लकड़ाव पहले लात करता, इस  
प्रिवेट के लकड़ीयों से तिलक परिस्तिज्ञा होती।

५ वर्ष कोहे परम्पराई लेगा ने एक बड़े सारों पेग-फिरायि वा  
सूत्र के लकड़ीय पहले शक्ति छुट्टे पर होता थोर उत्तरे ऐसा यदि  
अनियत भी होता, जिसे दोनों न चाहा ही तो हानिकि उत्तरे वास्तविक  
रूप में उत्तर पृथिवी पाना नहीं का है, एक हुए पर उत्तरे परिवर्तियों का  
चारा होता।

बहुत ही बड़ा वृक्ष ऐसो लकिन उसी के दीपक परिवार में यह दो बोने 120 दिनों से अधिक लगते हैं। प्रथम भाग तक उसे 120 दिनों में अविन भी नहीं हो।

३. इत्यर सेवा पर रखी गुण विवादी हादा प्राप्ति किए गए  
ये उन परिवर्तनों के लिए ये नहीं बनाए जाएंगे, परन्तु केवल वह वैकल्पिक वह योगी के वस्तुतः उस विवरि में प्राप्त ऊपरा परि वह इतर सेवा  
पर स वक्ता हात की परिवर्तनों के लिए यानी कामया।

### 2.1. भौगोलिक स्थितीकरण।

औसत परिविद्या करेगारी जै तेजा हे पर्याप्त दया सहोरों के द्वारा, उनके इच्छा काल जो पहिले परिविद्यारों के भवनों में विकासित की जाएगी।

Francesca

१. पर्याप्त नियमणीय सामग्री की विदेशी राष्ट्र व्यापारों के द्वारा इकट्ठा से ऐसी छुट्टी पर जापानिशिति दहा हो। नियमों के लिए ऐसी विभागीय हृष्पवालियों करनेवालों यों नियमित लिए जाने के बाबत सेवा के व्याकरण व किसी गुण कानून का लिया जाता है, तो वे अनियमित यों वह विभागों के द्वारा हैं। उन द्वारा यों नियमित न रखने का विवरण में आवश्यकता अभाव है।

यहाँ फि वैतन में यह नुस्खा (कृष्ण) (४) में पाया जाता है कि यह शोध  
कर) की उल्लेख करने में प्राप्त नहीं होता है किन्तु गार्डलिंगों का  
भाग वही होता है।

२. यदि, कोई जनवारी भासी बेवा के अंतिम दिन मर्होंगों के पीछे हृषकी से अमाधारक छठी पर भ्रष्टाचार करता हो, तरह निष्ठानक ने शपथ लहराया है, यिसको बराही-यी बेवा के लाल में जहो नियम अस्त्र है, की शीघ्रक वरिलिंगियों के परिकल्पना में लड़ी वरय निष्ठानक को उन्नत अधिक की दीवार की जागी और दूर मर्होंगे से फुरे हो उदाहरण देखि को शानित नियम लागाया।

३. ऐसे समेवारी की परिपालन सिंग इति यशवंती की जिसे लिख के फलस्वरूप यशवंतीयों के लिए नाम है और जो १-१-१७७० ई. वा उसके बाद शोका-निष्ठा हो रहे हैं, के ग्राम में वाक्यरिक एवं वा शोककार याचिकाता छुट्टी की परिपालन, प्राकृति लग्नवंतीयों वा उसको वैशिष्ट्य वा वारीप में १० महीने तक की परिपालन के दौरान विशेषक के अधीन से यज्ञों को दान देनेवाले वा औषध विक्रियों के परिवर्तन में वार दिवा आपाग तथा थिरप व उर्ज इत्ये वह वर्षों की मुख्य लम्बात अपवाही से बचानेवाले हिंदु भारतीय।

4. इसी से कर्मवारी के समर्थन में वो लोगों के प्रतिक्रिया यह बोलनों के दौरान अधिक छुटे वह एक ही भौत उको ऐसी चुड़ि को बदौरा छिप होता जिसे गोका में कपा दी, ताकि उको बाहरित नहीं कर सकता तब उड़ि साथ नहीं दी जा सकती, परन्तु एक और उड़ि कर्तव्यान्वयन में हविर का भी है।

बहारे कि उत्तर बुढ़ी ऐसी भाईत छोटी के द्वारा अविष्ट की गई है, जो 120 दिनों से अधिक न हो प्रवर्ष। उसे 141 छोटी 120 दिनों में प्रवर्षित हो, जहाँ पर प्रवर्षित छोटी के प्रदर्श 120 दिनों में प्रवर्षित हो रहे हैं।

संग्रहालय - ५

ऐसी ही व्यविधि का उत्तराने विवरण के सम्बन्धित रूप से संबंधित

“१. अधिकारियों के दावे

सोई कमेंटारी जी अग्रियार्द सेवा-प्रैरुद्धि के बहु प्राप्त करने पर  
मेहर निश्चित होता है, जो लोकोंका लिए निश्चित होता है।

### २३. बैना-निवासि गोदान

दिल्ली वाले भैरव-गिरिजा की दृश्य से आए हो

(क) किये एवं कर्तव्यों का नीति दर्शन के प्रबालन से पृष्ठभूमि तातों के धनसुर एवं विकास लेखन-निवृति यो जारी न होने वाले लेखन-निवृत्ति दृष्टि है, यद्यपि ऐसा विविध दृष्टि हो।

#### 11.4. भारतीय विद्या

(1) यदि कोई कल्पनारी प्रिया ऐपी ने शोरिए या नाविक असमाज के प्रति सेवा-निर्दृष्टि होता है, तो उसे वह देखता या उसे मेहरा के लिए छार्मर्ड हो जाकर है तो प्रदर्शन प्रियन बद्री की शास्त्री है।

(ii) प्रकाशन के लिए भवित्व करने के लिए विद्युति को दो-  
के भवित्व विनियोग विधियों से अद्वितीय प्रबन्धन करना।

(३) वही बोहे के मुख भित्तिया लोहारों में दिये रखवानी  
को शैल पारे की सेरा के लिये उन्हें हाथी लोहार में दिया  
जा दें जहाँ वह तुलना में कम अच ली ग्राहित के लिये  
कही के योग्य संस्कृत लिया है। तो उठा रखवारों की नियम-  
पाद एवं लिपालित लिया लोहारों, वहसे कि वह इस प्रश्न में  
लिपोलित लिये जाए के लिये सहजत ही व्याप गयी उठे लिप्त  
पाद पर वी नियोजित लिये करे के गयी उठाय न गई है।  
उठायाया गया है एवं लोहारों लिया द्वारा ताजाही।

২৫. ইতিবাচক দৃষ্টব্য

(१) यहीं इसी प्रकार सदाचार वा के समाज किस घटने के बावजूद दैश्वर्या करते के लिए चुना जाता है ऐसे, उन्हें इसी पर विकली जाने वाले देश भूत भवते के लिए सदाचार प्रविकारी द्वारा पर काम हो जाता है जिसे वर या जीवों के एप्रोल बनाने पाती है, पर जिसकि हित जो उस विकासित विकास द्वारा दिया जाता है।

(र) द्वारे उत्तर की गई पैसों के लिए हाईकोर्ट नामांकन पर  
प्रियतम नाथ सुनदार है; अब यहा-

(v) निम्न पद इन्हें हिन्दी स्वरूप बदलो । लिखक  
पर्याप्तता के लिए पाराफ़ दें ।  
उदाहरण के लिए पाराफ़ दें ।

੨/੮) ਯਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇਖਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗੁਦ ਹਿੱਸੇ ਵਰ੍ਣਨੇ - ਅਧਿਕ ਵਾਚੀ ਵਾਚੀ ਗੁਦ ਹਿੱਸੇ ਪਰ ਤੇਜ਼ ਰਾਵਾਂ ਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

(८) यद्यपि वे तांत्रिक महीने का नोटिस नहीं दिया जाता है और कर्वन्शरी के उपरी लेखाओं के हाथों को गारीब लोग लियोजन ट्रास्ट नहीं हिला रखा है, तो तांत्रिक लेखाओं को हाथों के लिए नहीं प्रतिक्रिया द्वारा वे वर्तमानीय रिहर्सल की सशमनी की स्वीकृति दो जाएंगे जो इसके उत्तराधिक फैलाव और जारी होने पर नहीं होंगे जो रिहर्सल ब्रॉडवेय नोटिस उपर्युक्त जाता है।

(ग) उन प्राचीन के लिए विभिन्न भौतिक वैज्ञानिक के एवं इतिहास में कामों  
का सम्बन्ध लगाया जाए। अनेक वैज्ञानिक ने दर्शाया है कि यह विभिन्न प्रभाव  
प्रतिक्रिया वा योग सदृश होती है।

(3) ये के पास जैसे वह दिसे रहा जो उन व्यक्ति के लिए बेस्टमे और भवती हो जाते करते रहे हैं, इच्छक लिए उन्हें लिया गया भौतिक सीख नहींने के काम रहा जाता है और उसे उड़प्रवाही की व्यापकियां पहुँचे मूल विश्वास कर लिया जाता है दिसे लिए उन्हें बेस्ट और भवती प्रशंसा रह लिए हैं तो उन्हें एक विशेषता ने उड़प्रवाही के लिए इस प्रशंसा से प्रभावित किया रहा और भवती जी का प्रयत्न मरणालयों पर रहे होगी।

(4) पर्याप्त बोर्ड ऐतर कार्बिनों की प्रतिकृति पेशव के लिए भी इनका उपयोग है, इसमें बोर्ड के घटावाली गई जल प्रतिकृति स्टोकार जल देखा है और जल में यह छिपा थी। इसके बाद जल करों का गोदार ही बनाया है जो देखा जाता है कि इस प्रतिकृति पेशव में जल गहरी होनी चाही जो जल उक्त उपयोग में याद है, किंतु इसके विपरीत इसीकर नहीं होती।

२५ लक्ष्मणी देवा-विजय देव

(1) नियों दरम्भ के लागे सेवा में अधिकारीय रूप से सेवा-नियुक्त हुए कर्मियों तो उनके दरद लगाने के लिए यथावत् वापिसीरी द्वारा प्रेषण का उद्देश्य या विनाश का विनाशी रूप वह संस्कृत छिपा जा सकते हैं। या उसी व्यक्तियों द्वारा द्वितीय वा तीसरी वर्षे स्थानान्वय पूर्वे प्रतिष्ठित देवका प्रकाश उत्तराधि दरम्भ लोकों के द्वा दिखाये जे कला परम्परा उपरे प्रतिष्ठित नहीं होती।

अपना इस अधिकार के बहुदोष "कार" में उत्तम लक्षणिक है।

(२) दूसरीपक्ष (१) के अनुसार शहर में गवर्नरचुनियों सहित वापासीयों की शाही ये बाधा मालै होगी।

८७. संस्कृता शब्द

(१) कोई ऐसा कामधारे शिक्षे केरा से निकलिये रखना हडाना मत ही जो प्रकृत तथा उम्मीद का अवकील निया जाएगा;

वर्षावें फिर पहले हीपा से निरापदित अपना जटाई के लिए प्रत्यग प्राप्तिकर्ता, अदि उनका मामला विशेष रूप से विश्वाद छिप लाने दोमंद हैं, अनुसन्धान भरे की स्वीकृति दे सकता है, तो फिर अंडिग्राव ऐन नर मियां-योग्यता लूटने की स्थिति में उसे स्वीकार्य बैश्वरण या उपदान या दोनों के दो लिहाई से श्रीमत नाम दोनों।

(2) दायित्वम् (1) के परस्पर के अन्तर्गत विभाष्य लगूहन्ता  
भवति साठ एव श्रियोगां ती राजि हेकम गर्नी होया।

第四回

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਅਤੇ ਸਾਂਚੇ

३६. ३९ लाखों की अर्थक लेखा के मुनि होने पर लेना-दिवस।

(1) किसी वर्षमें दौरा 30 लाख को अधिक मेंवा के पूर्व हीन हो जाए तो इसी भी समयः—

(क) वह सेवा ये सेवा-निवास ही समझा है। अधिक

(b) नियुक्ति प्राप्तिकारी द्वारा उसे बोर्ड के हित में लेखनिवेदन किया जाना चाहिए है और ऐसी लेखनिवेदन के सामने में कमीशीरी लेखनिवेदन पंचत वा हस्ताक्षर होगा।

स्वामी कि :—

(क) कर्ववारी नित गारीब की लेखन-नियन्त्रण होना चाहता है परं गारीब ने कम से कम तीन महीने पहले नियुक्ति प्राप्तिकारी की लिखित रूप में इसे हड़ता देका। तभी

(४) शिष्यका प्राविहारी हाँय चिंह तारीच को पोडे के हित में नवीनतारी को खेल-गिरुत निका जाना अनिवार्य है, उस तरीके से बदल से कम हीन महीने लगने तक कर्मचारी को लिखित हण में सूचना देणा एवं उसका उत्तर सूचना के एवज में हीन महीने से लेना सभा भर्ते देव :

इनके अधिकारों महं भी नि वह नूबेती परम्परा के बाहर (क) से अन्तर्भुत भविता है वाला कर्मजारी विवरण के अधीन है, वह यह विद्युति प्राप्तिकारों को यह अधिकार ही नह कि वह उन्हें जिसी कर्म-जारी के संबंध में इस विविधता के अन्तर्भुत सद्वानिकृत होने की अनुभवी हो से।

1. (३) क. अधिनियम (१) के प्रथम उल्लेख से वर्षा (क) में वर्षाएँ कोई कमेंटारी तीन बहुने से ज्यादा की मंडुर करने के लिए निपुणि प्राप्तिकारी की विधिएँ राज में उनके लिए काम करती हैं। यद्यपि वर्ष सकारा है।

(क) चरण (क) के अन्तर्गत स्वतंत्र लोगोंपर नियुक्ति प्राप्त करनी होगी जहाँमें ये नोटिस की जावधि की समीक्षा बनाये गई हो। इसे फ़ाइलेट पर युवाओं के स्पष्टात पर विचार करनेवाले और वारि, वह इस साथ से नहुएँ हो जिस नोटिस की जावधि की उमा छाले गये होइ मामाक्षिण चार्टिंग्स नहीं होगी, ती नियुक्ति प्राप्तिकारी तीन वर्षोंने उस नोटिस की आवश्यकता दें इस तरह पर छूट दे याता है जि वर्षाकारी तिन वर्षोंने के नोटिस की जावधि की उमाप्ति से पूर्व चयनी बोल्ड के किसी भाग के सारांशीकरण के लिए ध्यायेन नहीं बोला।

२. जोहे कर्दवारी सिलेन एवं प्रियदर्श के अन्तर्गत सेप्टेम्बर महीने का वर्षा किंवा है और इस उमसा में नियुक्त प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया तृप्ति की है, तो ऐसे प्रतिक्रिया की प्रियदर्श भग्नमयी के प्रियांग वाद में अपनी अपनी वासना तंत्र से प्रतिक्रिया किया जाएगा :

ਅਚਾਰ੍ਟ ਹਿ ਪਦਗ ਕਾਪਥ ਸੇਵੇ ਕਾ ਘੜੂਰੋਮ ਲਾਹੌਰੀ ਰੋਜ਼-ਸਿੱਖਿਤ ਮੀ ਗਿਆ  
ਗਾਰੀਥ ਥੇ ਹੀ ਕਿਧ ਆਏ।

३. इन विभिन्न के प्रयोगों के लिए अधिकारी ने "विद्युत महिलारी" ने ऐसा प्रशिक्षण दिया है जो नई विद्यारी के लिए निष्पृष्ठ हीने की तरीका से उन पर विभिन्न घटनाएँ में प्रयोग है।

२७-क. ३० वर्ष की यहुक चेष्टा के उत्तर होने पर लेप-निवारि

(1) जिनों कमेंटारी द्वारा 30 अर्डे की महंगी सेखा पूर्ण हो तिए इनके बावजूद यह कोणते हैं ये योग्यतावाले होने के लिए नियुक्ति प्राप्तिकारी की जिसी छोटी समस्त दाम में उच्च लागत महंगी का नियुक्ति नीतिमें दे सकता है।

(2) अपेक्षणम् (1) के अन्तर्गत दिए वह एकीकृत वैज्ञानिक सिद्धि के नीचे यो नियुक्ति वाचिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए।

बहुत ही ऐसे मामले में जहाँ नियुक्ति प्राप्तिकारी उपर गोदिया में नियंत्रण अधिकारी की व्यवाधि है और लियोनिस के लिए अनुमति लेकर करो तो भाग वहाँ करता है, ऐसा-लियोनिस उपर अधिकारी की व्यवाधि की तारीख से प्रभावी ही बात है।

(3) क. इन्हींमें (1) में विविध कोर्ट दर्शाते ही तो यहाँ से उन के ऐकानिक रोका-नियमिति के अधीनियम को बंदूर दर्शन के लिए नियुक्ति प्राप्तिकारी को विविधत तरफ में उत्तर के लिए प्राप्त विभिन्न विभागों द्वारा लकड़ा है।

(८) यद्यपि (क) के अनन्तरीत भवनोंसे जो प्राप्तिक वर नियुक्तिर प्राप्ति-  
कारी लीन महीने से नीटिश की प्रवति को बन करते हैं तो उसे लिए  
देते एवं उत्तरोत्तर वह दूसरोंसे के भवानात वह विचार करेगा  
बारे वह, यह इस कान वै समृद्ध हो दि नीटिश को प्रवति  
को बन करते हैं तो इस कान ने कोई प्राप्तिक भवनकिया नहीं  
होगी, तो नियुक्ति प्राप्तिकारी लीन महीने के नीटिश को  
धर्वनपक्षा में इस बर्ती पर छुट दे नहींता है दि कर्मसंदी  
लीन बहुते के बीतरी को भवति की सम्पत्ति के पूर्व धरणी  
गत्वा के लिये भाग के वारानीदरवाजे के लिए धारेव नहीं  
करेगा।

(4) यहाँ कार्यकारी जिम्मे हात लिंगियत के समर्थन वेदा-विवृत होने का बयान दिया है और इस संबंध में निपुण प्राचिन शास्त्रों की अधिकार लगाया दी गई, जो से यह प्राचिन शास्त्रों की लिंगियत अनुमति दिए गए थे। यहाँ बयान कार्यकारी जिम्मे तो इन्हीं कार्यकारी जिम्मों का बयान है।

बताते हि अपन चाहत से वा का फ्रैंटोर उसकी भेदो-  
विभागीय स्थिति न दीख से पूर्ण बिल्कुल जाएँ।

(3) इस विनियन के सम्बन्धत तेजारित हुने थाली कर्मवाटी की पेहच गर भयु पर्ने सेका-लिपि उद्दाह तथा पर्लिपिपी पर लापरित होने जो कि शिरें 21 तथा 22 के अन्तर्वर बालिकामिल तो यहै है और उपरी खालक मेवा में घटिक तो घटिक रोब बड़ी भी वृद्धि तो बेताव तथा उद्दाह की समान हरने के व्यक्तिगतों के लिए तेजा से फिलो आलनिक विषयक के लिए उसे कोई अधिकार दाना नहीं होए।

(6) यह दिनियम ऐसे अवैज्ञानीक रूप लाने नहीं होता जो किसी ऐसे विषय से गिरता रहता। लावेजरिक्स दीव में उपरान्त में दृष्टिकोण से छापने के लिए बाहर की सेवाओं से सेवानिवृत्ति दूखा है। दिनियम वह एकिकृत गेयार्निवृत्ति सामने के समय प्रतिविवृत्ति पर है।

**प्राचीन** — हम विजियर के अधीक्षण के बिंदु विद्युतरण "विद्युति प्राचीनकारी" ने ऐसा विधियादी विविधत है जो कि एकान्तादी के संग्रहित तेलविधियां नामे गो मेरा या यह नह विद्युति तारने में विश्वस्त है।

29. (क) लिंगुर सेवानियनि पर लहीक सेवा मे बढ़ि

(१) गृह नियमावली के नियम ३६ के नियम २०(१) (क) पर नियम २०(आ) पर अवृद्धि (ट) के लगती है इनमें से भी यह नियमावली का अनुपयोग के लिए उपयुक्त हो जो कर्मचारी को लेता-प्रियता की अधिकारीता को असुरक्षित बैठाकर यहाँ में पर्याप्त से अधिक अवृद्धि की विधि की जाएँगी, तो कि इस शर्त के प्रारंभिक होनी कि कर्मचारी इतार को पर्याप्त असुरक्षित बैठाकर यहाँ में ३ वर्षों में अधिक न हो तब इसके कर्मचारी परियोगिकी की अपार्थीता के अवृद्धि अवृद्धि।

(2) उपरिप्रमाण (1) के अन्तर्गत वाली कही मान गहना उन कर्म-  
विधियों के गावलों में स्थिरतार्थ नहीं होता जहाँ वैष्ण वर्णकारी  
चिकित्सा पक्ष अस्ति, 56(ज) के नियम 29(1) (ब) के  
अन्तर्गत बोले के दिन में भोवी इति समव-उर्ध्व लेता-स्वित हिए  
गये हैं।

### 30. पंजाब की राजि

(1) इन पर्दों का सांकेतिक पूर्ण वार्ता से पहले इन विनियमों के उल्लेखों के अनुसार संवादनिकता दी रखे। अन्यथा ये के प्राप्ति से लेकर इनका का बात, उत्तराना आवश्यक होता, जैसे; तिनीष्ट विनियम किए जाते हैं, यद्यपि, —

અનુભાવના કી શરૂઆતી સાથે આપ્યો છે

३०८ उत्तराखण्ड का विभाग

1	2	मरुदेवि	3	क्षेत्रीय विद्युतिकारी
2	4		40	
3		$1+1/2$		11
4		2		17
5		$2+1/2$		11
6		3		—
7		$3+1/2$		16
8		4		—
9		$4+1/2$		11
10		$5+1/4$		—
11		$5+1/3$		—
12		$5+1/2$		—
13		$5+1/8$		—
14		$6+1/4$		—
15		$6+3/8$		—
16		7		—
17		$7+3/8$		—
18		$7+3/4$		—
19		$8+1/8$		—

२. (क) दाम-दर्शकिकार के हाल (८) में न आने वाले बीड़ी-न. तरीं बीड़ी-४ के सभी अवैधारी जो कल से कर दी गयी जो पहुँच सेवा पूरी करने से दाव इन विविधों के उत्तरार्थी के प्रत्युत्तर देना-निमित्त हो चले हैं, को गमनसे में पैशान को रासि अप्रकार राज्य संस्थानी बोल जि यीजे विष दाव है अवशिः—

ઘર્ણ રેખા ની પૂર્વી	દેશન રાની માત્રા	અધિકારીન રેખા	
		(સાધે પ્રતી રૂપી)	
૧	૨	૩	
૨૦	દીક્ષા વિભિન્નાં રૂ.	૧૦૫૮૦૩	૩,૭૫૦.૦૦
૨૧	"	૧૦-૧/૨૫૮૦૬	૩,૯૨૨.૫૦
૨૨	"	૧૧૫૩૦૬	૪,૧૨૫.૦૦
૨૩	"	૧૧-૧/૨૫૮૦૭	૪,૧૧૨.૫૦
૨૪	"	૧૨૫૩૦૭	૪,૫૦૦.૦૦
૨૫	"	૧૨-૧/૨૫૮૦૮	૪,૬૮૭.૫૦
૨૬	"	૧૩૫૩૦૮	૪,૮૭૫.૦૦
૨૭	"	૧૩-૧/૨૫૮૦૯	૫,૦૬૨.૦૦
૨૮	"	૧૪૫૩૦૯	૫,૨૫૦.૦૦
૨૯	"	૧૪-૧/૨૫૮૧૦	૫,૪૩૭.૫૦
૩૦	"	૧૫૫૩૦૧	૫,૬૨૫.૦૦
૩૧	"	૧૫-૧/૨૫૮૦૧	૫,૮૧૨.૦૦
૩૨	"	૧૬૫૩૦૧	૬,૦૦૦.૦૦
૩૩	"	૧૮-૧/૨૫૮૦૨	૬,૧૮૭.૫૦
૩૪	"	૧૭૫૩૦૨	૬,૩૭૩.૦૦
૩૫	"	૧૭-૧/૨૫૮૦૩	૬,૫૬૨.૫૦
૩૬	"	૧૮૫૩૦૩	૬,૭૫૦.૦૦
૩૭	"	૧૯-૧/૨૫૮૦૪	૬,૯૩૭.૫૦
૩૮	"	૧૯૫૩૦૪	૭,૧૨૫.૦૦
૩૯	"	૧૯-૧/૨૫૮૦૪	૭,૩૧૨.૫૦
૪૦	"	૨૦૫૩૦૪	૭,૫૦૦.૦૦
૪૧	"	૨૦-૧/૨૫૮૦૫	૭,૬૮૭.૫૦
૪૨	"	૨૧૫૩૦૫	૭,૮૭૫.૦૦
૪૩	"	૨૧-૧/૨૫૮૦૫	૮,૦૬૨.૫૦
૪૪	"	૨૨૫૩૦૫	૮,૨૫૦.૦૦
૪૫	"	૨૨-૧/૧૨૫૮૦૫	૮,૪૧૭.૫૦
૪૬	"	૨૩૫૩૦૫	૮,૬૨૫.૦૦
૪૭	"	૨૩-૧/૨૫૮૦૬	૮,૮૧૨.૫૦
૪૮	"	૨૪૫૩૦૬	૯,૦૦૦.૦૦
૪૯	"	૨૪-૧/૨૫૮૦૬	૯,૧૮૭.૫૦
૫૦	"	૨૫૫૩૦૬	૯,૩૭૩.૦૦
૫૧	"	૨૫-૧/૨૫૮૦૭	૯,૫૬૨.૫૦
૫૨	"	૨૬૫૩૦૭	૯,૭૫૦.૦૦
૫૩	"	૨૬-૧/૨૫૮૦૭	૯,૯૩૭.૫૦
૫૪	"	૨૭૫૩૦૭	૧૦,૧૨૫.૦૦
૫૫	"	૨૭-૧/૨૫૮૦૮	૧૦,૩૧૨.૫૦
૫૬	"	૨૮૫૩૦૮	૧૦,૫૦૦.૦૦
૫૭	"	૨૮-૧/૨૫૮૦૯	૧૦,૬૩૭.૫૦
૫૮	"	૨૯૫૩૦૯	૧૦,૮૨૫.૦૦
૫૯	"	૨૯-૧/૨૫૮૧૦	૧૧,૦૧૨.૩૦
૬૦	"	૩૦૫૩૦૧	૧૧,૨૫૦.૦૦

2. (घ) खेलों-। इवा खेलों-१ विभिन्नताओं के माध्यम से खेलों-१ और ४ के संबंध क्षेत्रान्वयी विलोहन सेवन के ग्रन्तीकरण के लिए "खेलों" की उत्तर परिवारों के लिए विकास दिशा है या विकल्प जैसी जगह दिए गए विकास/दिशा जगत् बाजे किंवद्दं की तात्त्विक मनुष्यान् नेतृत्वात् लक्ष्यात् के अभ्यन्तरालीयों पर वायु छोड़ा जैसा तथा जो काम से वायु ३५ मीट्री की ऊँचाई तक हुआ करने के बाद इन विभिन्नताओं के उपकरणों के अनुशार सेवा की देश-निपुण ही रुद्धि के माध्यम से प्रेषण को याति नियम प्रकार से विवरित की जाएगी। यद्यपि :-

दौसत परिवहनपात्र	मानिक येजन को नापा
(1) शब्द 1,000 रुपये तक	दौसत परिवहनपात्र सा 50%
(2) अपने 500 रुपये	दौसत परिवहनपात्र सा 45%
(3) शेष	दौसत परिवहनपात्र सा 40%

31-3-1965 को या उसके बाद विषय-विवर हो रहे तब सभी प्रियों  
के लिए भावित वैज्ञनिक की रुचि पर कोई सीधा नहीं लिखा।

3. (ग) उपर्युक्त वर्णन ३(ब) में वर्णित कियो गए कार्ड कम्पेनी की 33 दस्ती का प्रदृश केवल दूसरे कार्ड से पहले पालतु, 10 दस्ती की घटक सेवा पूरी बदले के बाद इन विनियमों के अनुसार सेवानिवृत्त हो जाए औ उन कामकाज में योगदान को दूरी वर्णन ३(ब) तो प्राप्तिकारीकारण वर्णन को योगदान के अनुप्रयत्न में होगा, बल्कि जिस तरह की राजिकाओं की विवरिति में 60 वर्ष के अन्तर्वर्तीन से कम रही होगी।

(3) घटक सेवा की प्राप्ति की कमता उठाई में 3 महीनों के बादवर शब्दाद्वयों अधिक के बारे के भाग को दूरी/वापी पर्याप्त गोपनीयता और उसे घटक सेवा के अन्त में छोड़ा जायगा।

(4) वर्णन ३(ब) या वर्णन ३(ब) के अन्तर्गत विवर का से निर्वाचित की गई पैकीज की रिहाई की दूरी दाखिल न अनुसार दिया जायगा और उसी पैकीज में पालतु का कोई भाग शामिल नहीं, तो घटक सेवा स्पष्ट पर उपलब्धिकार किया जायगा।

33. एवार्डमें प्रश्नों की संख्या की

ऐसे वार्षिकी के संबंध में यो ग्रन्थ २३-की छाती के पश्चात अपनाया जाएँग पर लोकार्थित होता है, की धर्मविद्वत् पंजाब की ग्राम पर्याकर वंश की परिव से लड़ लह जाएँगी।

३३. प्रत्येक देशान्तरिक्ष उत्तर

- (1) क. (ii) काई प्रभावी नियन्त्रण संबंधी नो घटक वह पूर्ण कर ली है और वह नियम 20 के अनुसार एवं उपर्युक्त देखा देखने के लिए गत्ता हुआ भवा हो। का यहाँ सेवा को अपेक्षा बड़ी दूरी तक सहीये की प्रबोध के लिए उसको परिचालितयां जै एक नीतिवादी के गतिविधि मृत्यु एवं मरण-नियन्त्रित उत्तराम मन्त्रिरत्निया वर्षाया जा रहा था। यह थोड़ी-दी शर्मनाकियों के बजाए में अधिकारियों आवश्यकताएँ 14-15 दूर ही हैं और बोनो-III और IV के बायाएँ जै अधिकारियों का अधिकार इस दूर होगा।

ब्राह्मण के बोनो-III की ओर यहाँ IV के ऐसे पर्वतारियों के दृश्य से, जिन्हें मूल एवं सेक गिरिजा उत्तराखण्ड की लकड़पत्ती के लिए धर्मी— वा वो भी II के अर्द्धवर्षारियों के रूप से इन्होंने वर्षारियों की शक्ति के लिए प्रियतम है, जो जो खाल क (II) की भवति के अन्तर्गत मूल एवं सेक-गिरिजा उत्तराखण्ड की विद्या— वा । १०१। ३ वर्षी धर्मी ।

अखंक सेवा की प्रतार के अधिकार के लिए १२  
महीने के अधिकार मोर्ट इसले इटियर के बर्ते ने  
प्रत्यक्ष को दुष्प्र १११-२ दर्शन दिया, जिसका मोर्ट इसे  
पर्याप्त विषय के रूप में लिया गया था। इस  
संविधानम् १७२१ (१७२२ की संविधानम् में  
३५) द्वारा उन्नीस वर्षांत तक यह विषयों की  
प्रबलता के बारे है।

- (ii) उत्तर प्रदेश, १९७२ : (१९७२ के) अधिनियम अनुसार ३५) वोट देके संवत्सर बोलने पर विधायी के विवाहित होने वाले एवं विवाहित के बाबजूद होने वाले विवाहित के कारण से का छापते हैं।

- (क) गार्हिणी वर्ष के मनमें हा प्रजननों के बारे चरण सेवनीवर्ती के लिए बोहे डाक लैकार थिए यह दुहो और प्रत्येक नगरी के बाहर दूर ज़मीन परिवर्तन के बारे सेवनीवर्ती प्रधारण

- (४) अमेन्डमेंट द्वारा कम से कम ५ वर्ष की समयावधि में बदलने के लिए।

中華書局影印

वा. एस्ट्रो शैक्षणिक विद्यालय के अधीन संचालित है।

“त्रिष्णु (I) (ए), (II) (ए) ते महीय

ਪੀ ਕਾਰਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਮਹਾਂਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ।

मुख्य एवं महत्वपूर्ण जातियों के अधेक पूर्ण हुए देखा गया है जहाँसे वे भवितव्य ते उनके वर्णन के लिए विशेष संकेतक द्वारा उन्नत की गई अद्वितीय विधि की परिचयादाता हो रहे हैं एवं स्पष्टीय होता है कि विशेष संकेतक २० घटनाओं की परिचयादाता होती है।

बाहर के जब चिट्ठी फॉर्म्स हों, ऐसे भी इस उपचार में  
महत्व पड़ता है की यिन्होंने कुछ इन चारों चिट्ठों के बाबत  
कैसे कैसे विचार करने में लगाए हए विचार तक से ही, जो सेक्षन-युक्त  
होने वाले के लिए जल्दी के काम में गलत एवं जिस अनियन्त्रित उपचार  
पद्धति की अपरिवृत्त और वापर से अपरिवृत्त के लिए अधिक-उपचार  
निर्देश देते हों।

- (१२) काल्पनि अधिकारी, १८५० (१९७२-८०) अधिकारी ने ३५ वर्षों तक अपनी काल्पनिक काम विकास की अद्यता के अन्तर्गत उन दुई राज्यों को प्रदान किया। इन विकासों के संस्थापन का मुख्य योगदान उपराजन की शक्ति के बढ़ने को है।

इस उपर्योगम् ग्रन्थी यात् कहले हुए दी, जिन्हीं एक  
प्रभावी दी शिरों बैठका बांधिनी लिए दीजी जापदार्थ का  
करते प्रवास यापदार्थी के वाराणी दीजी का कहा है जिसका  
प्रति हूँ या बाटे संस्कृतम् यापान का विद्वत् हैने के बाराणी  
सेहूं मृक्ष भित्ति याहूं है, तर इष्टे यापान के हुई अपि या दीजी  
ही पूछा सारे के दिल तक लाकर या या गुरु एवं केवा विजये  
उत्तम तात्त्व का विज्ञ लाया।

卷之三

- (1) "लिंग के मुर्ति बनें" से सह वडे के लिए लगातार सेवा आयोजित है।  
 (2) श. "जगत्कार सेवा" के लगातार सेवा आयोजित हैं, जैव विज्ञान अधिकारीयम्, १९८५ की भवानी के लागे ३-वा विद्यालयीय विज्ञान सभा है।

४. यदि विस्तृत कर्मवाची हारा ५ पर्याएँ को घटक सेवा पूर्वे करने के बाद, उसके सेवा में रहने हुए गृह्ण छोड़ जाती है तो, मध्ये पूर्व सेवा-विभिन्न उपचार की एक लाइंग विभिन्न विभिन्न विधियों के १२ गुना या तथ्य (८) के अन्वयन विभिन्न राशि के बढ़ावर होगे, इसमें जो भी उच्चतर हुई, और तब विषय ३४ के उप-विभिन्न (१) में प्राप्त गए दंप से उसके लाभिकार की पदा की जाएगी।

(५) वर्ष (क) संवाद (ब) के प्रयोगन के लिए इस विविधत के अन्तर्दृष्ट एवं नियम का ने कले मात्रा एवं सेवा-निवृत्ति उपयोग की राशि, जिसी तरह विवरण में ३१ अक्टूबर, १९४६ से पहले नए विविधत होने की गण्डारी के मामले में ३५,००० रुपये से अधिक नहीं होनी चाही तथा ३१ अक्टूबर, १९४५ को या उसके पाँच सेवा-निवृत्ति होने की गण्डारी के मामले में ५०,००० रुपये तक अधिक नहीं होनी।

(३) भ. बापि विहो चर्चितरो की उमतो धर्मक खेक के प्रवर्ष यद्ये मैं नहीं हूँ। वहाँ के तो उच्छी श्रवण के लिए उपर्युक्त अधिकारी के दो नक्क के दर्शक श्रवण एवं सेवा-निवृत्ति उपर्युक्त अधिकारी को निवेदन उपर्युक्त अधिकारी (१) में इन्हा विवर द्वारा दिया जाएगा।

(२) बहिर्भवी वर्गोंकी की एक दर्ता की गणक देश के पूर्ण भौतिक काल उन दर्ता की गणक सेवा के तुम हमें के पूर्ण भौतिक यात्रा में का दृश्य एवं विविध आवर्त की अधिकतमी विवरणों का दृश्य यात्रा के वास्तव दर्ता

(4) इस विनियम के अन्तर्गत स्वीकार्य उद्देश्य को प्रयोजन के लिए इन कर्मचारियों के भागी में जो 31 जारी, 1985 से 1 अक्टूबर 1988 तक हो रहे हैं, अधिकारक पदिलिपियाँ 2,500 रुपए प्रति वार्ष होती रहीं और 31 जारी, 1986 की या उसके बाद सेवा-न्यूज़ होते रहते कर्मचारियों के नियन्त्रण में अधिकारक पदिलिपियाँ 4,000 रुपए होतीं रहीं तो लियम 21 के अनुसार परिलिपित की जायेंगे। विवाद यहाँ कि, यार्डरेंट घास दर, प्रैस्साहन घटायानी और परिलिपित करनी तो इत्यादि दरों से अन्तर्गत ऐसी घटना घटायियाँ नियम "घोल" के रूप में आवा जाती है, कर्मचारी को देखा के समिय 10 रुपयों से दौरान प्राप्त की गई ऐसी घटना के संदर्भ में यिनी जाएगी। किसी ऐसे कर्मचारी के भागी में वह, "उपर्योग अधिनियम, 1972 (1972 की संख्या 32) की अदायतों" के धैश में आता है, उपर्योग के प्रयोग के लिए संपत्तिवितरों में महाराष्ट्र भारा इत्यादि के देवदारों के लिए व्यापित है कि उक्त वर्गचारी ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लगभग हाले वाली पेशेवर के प्रयोग के लिए "घोल" की परिलिपि के लिए विस्तृत दिया है, या नहीं।

(३) इद नियम के उप-नियम १(क) (ii) के उपस्थिती की भाव के प्रतीक विविध वर्मजारों की परिलक्षिता उपको सेवा के अनुसार एवं महोगी की दौधान काम कर दी गई है, जो इस अन्यथा दण्ड के भाव में लगती है। तो बोधक परिलक्षिता जैसा कि नियम २२ में बोलता है, परिलक्षितों के दृष्टि में भावी लाएंगे।

### \*3. परिज्ञान की विभाषा

गिर्द ३४, ३५ और ३६ के अधीन से सिव शिल्पी नवाजाहारी ने गुरु में पद्मावत से भिन्नतिहसित भवित्व है।

१. विश्वी पुस्तक कर्मचारी के नामों में पत्री या पालियर  
(न्यायिक स्वरूप में भवन हुई पत्री या पालियर सहित)
  २. विश्वी विद्यालय कर्मचारी के गानमें में पति  
(न्यायिक स्वरूप में भवन हुई पति सहित)
  ३. बोलते हुए उपरा दस्ता पुस्ती सहित पुस्त
  ४. बोलती हुई पुस्तियों दस्ता दस्ता पुस्तियों सहित अधिकारीहृदय पुस्तिया
  ५. बोलती हुई पुस्तियों दस्ता दस्ता पुस्ती सहित विषयका वृद्धिना
  ६. ऐसे अधिकारी के नामों में लिखता अधिकारीगत जानकारी दोष लेने की  
मन्त्रायति देता है, नीव लिए और साइर-पिता सहित पिता
  ७. ऐसे अधिकारी के नामों में लिखता अधिकारीगत कानून दोष लेने की  
मन्त्रायति देता है, नीव लिए गए माता-पिता सहित माता
  ८. बोलते हुए पत्री सहित । १० बद्द वी घायु से बीचे के घाय
  ९. बोलती हुए बहनों सहित अधिकारीगत बहनें दस्ता विषयका भवने
  १०. मूल-भूल दृष्टि के बचने, दोष
  ११. विषयानुसार पत्री ।

२४ के अंतिम दिन उपर्युक्त विधि लिया जाए ॥

(क) नियम ३२ के अन्तर्गत प्रदा किया जाने वाला उपदार ऐसे अदिति या अपवित्रों द्वारा प्रदा किया जाएगा कि वे नियम ३५ के अन्तर्गत नामांतर द्वारा उपदान की प्राप्ति करते वह संविधान प्राप्त हो।

(५) यदि कोई ऐसा नियमन लाई हो जिसका कर्तव्य निया वा गतिशील वार्ता नहीं रखता है, तो उपर्युक्त विवेचन के बाहर से बहुत अधिक विवाद आया।

(1) विद्युतीय रूप से बदला एवं विद्युतीय रूप से बदला जाने वाले तत्त्वों की समस्या इस में पर्याप्त सीधिक उल्लेख है।

- (ii) यदि परिवार के भीड़ ऐसे लीचित प्रथम न हों, तो वे द्वारा उपनिषद् १ में है, जिन् विवाह का एक विधान एवं उसके विवरण हों जैसा कि विषम ३३ के अध्यय ५, ६, ७, ८, ९, १० और ११ में हैं तो उन्हीं गोदे प्रदर्शनों की अवधि भागों में बनाए जायें।

(2) वैदिकों कर्मचारी की नियन् 32 के उत्तरान्तर स्वीकृत उत्तरान्तर की प्रश्ना किए जिनमें सेवानिवारण के बाब्द मापु हो जाती है, तो परिषार में उत्तरान्तर का अधिकार उत्तरान्तर (1) में बहाए रखे, जिसमें इसका लिया जाएगा।

पहले यि चित्ती पैरें करवायी तो भट्टु के मालते में औ उदयान अदिविष्यम् । १९७१ (१९७२ की अदिविष्यम् सं. ३०) मी अदायकी के बालांग उदयन की अदायकी का हातार है, जो इस उदयन उसके नामाकित अविष्ट तो बद्ध तिमा जापा। उदयन यदि इस अदिविष्यम् के हृषी-जिवन । (२) में अदिविष्ट यिए गए डग में उसके परिवार के कोई गृहोंका ज्ञान नहीं था और ऐसी मालते में जहाँ भूलक खेतोंकी तो कोई गृहोंका नहीं किया है उदयन उसके द्वारा किया गया वह मालते नहीं गृहों हैं और उसके लिए उसका कोई अदायक नहीं है तो उदयन उसके आजनी इत्यादिधारियों की ओर किया जाएगा।

३५(३) लेख के इहते ही स्थान सेवा-सिद्धि के बाय विभी कम्पनी की मृत्यु होने पर परिवार के भागीज उपचक धरणों आदि का उपचयन के भाग को 'अधिक' करने का प्रतिकार इस बात से प्रभावित नहीं होता कि कम्पनी की मृत्यु के बाद उपचयन का उपचयन या उपचयन करने के लिए परिवार सदस्य ने कियाह स्थान मूँ़न लियाह करना चाहिए है यद्यपि यह स्थान की सामुद्र घास कर ली है।

(२) विभी अधिक सो इन्हात बाप्त करने पे गुर्वनित करता

(1) दूरी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारणात्मकी की मतलु ऐसे पर नियम उत्तर की जाति के मनुष्यों उपरान्त ग्रहण कर सके का प्रबल है, वर व्यवस्थाएँ को हृष्टा बनाए प्रबल ऐसे ही व्यवस्थाएँ जो आदर्श में उत्पादित करने वालों द्वारा जाती हैं ही को उत्पादन के अपने भाग का ग्राहक करने के संबंध में उत्तम दाया, उत्तम विषय उत्पादित की गई आपराधिक पर्यावरण की स्थापित हो जाना चाहिए होगा।

(2) यदि युव-नियम (1) में दाखल ज्ञानात्मक वार्ताएँ बोला गया हैं, तो उन्हें प्रत्येक अधिकारी के साथ लिखित रूप से वर्णित करनी चाही

(क) की वर्णनासे की दृष्टि करते तथा कर्मवा कर्मवाही की हृष्टि हरने के संबंध में उल्लगने वाले दोषी पात्र चाहा जाता है, तो उन्हें उपराज के अपेक्षा भाग वाली धरात गत्तों से विचित्र कर दिया जाएगा, जो कि निश्चिद्र तथा उच्च पात्र संदर्भों, यदि हाँ तो की दृष्टि दिया जाएगा।

(क) नवजाती की हुए करें भविता हुया के लिए उपरोक्ते व्यापार से दोषभूत बिधा जाता है तो इनका या उनकी प्राच उम्मीद वह दिखा जाएगा।

(३) इन्हींमें (१) जब इन्हींमें (२) में इन्हें लिखें ३४ के इन्हींमें (२) में याकूब मसितउल्लास न लिखते हुए उल्लास के संबंध में की भाषा होती।

३५. ग्राम एवं सह-जिवनि उपचार का कानूनिक हो जाता

लियम 34 के उपनिषद् २ के उपनिषदीयों की कहाँ के सद्विन अहो  
सिंही तर्हाली की उपकार की खति एवं लिय लिना मेवा में यहो

तुम वा चेता-निवृति मे बाप मर्ला हो जाओगे हैं और वह अपने पीछे लोड परियार वही छोड़ता है, प्यार

(c) शुप्तसे कोई सम्बोधन न हिया।

(४) उसके द्वारा दिया गया समाजक दर्शन नहीं ठूला है, जो नियम ३२ के अनुसार ऐसे कांडागारी के शेषों में सदा दिया जाने वाले मूल एवं सेवा-नियमों द्वारा को ताकि वहाँ सो जाकर तो आएगी।

३६ नामोदात

(1) लिंगों संभा या एवं वार्षिक लकड़ी-दरवाजा पट निम्नमें 32  
वे इन्हरेंस क्रमत दिए गये वाले मूल एवं मुख्य लिंगों उपलब्ध की  
प्रत्यक्ष करने का अधिकार एवं लकड़ी एवं वार्षिक लकड़ियों की  
प्रबन्ध करने हुए, इन्हें द्वारा ऐसे पार्ट के वापाकरन किया जाएगा जो  
प्राप्ति की परीक्षणिती में उत्तिर हो।

यहाँ के नामोंकन किए जाते समर्थ

(१) यदि कहेंचाहे को प्राइवेट हो तो नामिल डिप्पर प्राइवेट के लक्षणों को स्थेटिक द्वय लिस्ट के पक्ष में लाएं रिप्पा जाएगा।

五

(ii) यदि कार्बनाते का वॉइट लिंग्वर न हो, तो ग्रामात्मक भिसो लिंग्वर प्रदाया अनियुक्ति के साथ योग्य औ ग्रामाधिक किए जान्दे या तो के पृष्ठ में लिखा जा सकता है।

(2) यदि कोई कर्मचारी अपनी कामगारी के लिए अपनी कामगारी को प्रत्यक्षित करता है, तो उसे नामांकन में फ्रेश ग्राहकियता समिति की ओर किए जाने वाले बापा या बाति द्वारा इसे निर्दिष्ट करनी चाहिए कि उपदान को समरूप रूप से बापा बाप।

(+) यहाँ अपेक्षित रूपानुसन्धान में विस्तृतिवित व्यवस्था करनीचाही है;

(1) यि विसी ऐसे विशिष्ट नामांकन लघित के संबंध में विस्तृत वर्णनों से पहले मूल हो जाता है। अपना विकास मूल से नवजारी की मूल के बाद एक उपकान की यात्रा प्रारंभ होने से आते होती है, तो उसका नामांकन लघित की प्रक्रिया विशेष गत विकास नामांकन में विशिष्ट गत विकास की तरफ हो जाता।

बल्लै विभिन्न गोमात्र के समय गोवारी का परिचार हो जिसमें एक ने भविष्य संदर्भ हो तो इस प्रकार से निविड़ गिया गया अधिक उनके प्रतिबाद के सदाचार की काँड़ाइर घट्ट अदिक नहीं दीगा।

इसके अतिरिक्त यह भी कि उड़ान दर्वाजा के पश्चात में एवं उसके साथ ही और नामांकन उपरोक्त पाले में किया गया हो, तो कर्मचारी भी वह छुट होगी कि वह दिनी प्रवर्तन या अविश्वसनीय के लकड़, बातें या नामांकित निपाए गए हों या नहीं, क्योंकि में इनका नामांकित प्रवर्तन नामांकित नहीं।

(2) जिसके द्वारा भाक्षणिकता के होने से नियति में नवाचार घटाया जा सकता है।

(५) भीड़ कर्मचारी, उपर्युक्तम् (७) में विविध प्रक्रियाएँ हो विद्युत लाइट सूचक भेदभाव, किन्तु भी लापव नामांकन की रद्द कर सकती है।

यहते कि यह इस सूचना के गाव, इस विनियम के प्रत्युष्ट एवं  
गवा नामोंकरण भेदभाग :

(ii) दिसी ऐसे नामोंनित अधिकारी, जिसके साथ में उप-मियम (3) को घट्ट (1) के अधिकारी नामोंनित में कोई विशेष उत्तराधिकारी नियम नहीं है जो उन्हें पर व्यवस्था नियम तथा घट्टों के होने पर विस्तरे परिवर्तन चर्चण उप-मियम के लिये (ii) के अधिकारी नामोंनित अधिकारी हो जाता है, तो वार्षिकार्य उप-मियम (?) में वर्णित प्राप्तिकारों की नामोंनित रद्द करोगे हुए। इस विधिनियम के अनुयाय किए गए नामोंनित महिला विभिन्न राज में उल्लंघन एक बड़ी घेऋेग।

(२) क. इस विनियम के अन्तर्गत जिसी कार्रवाई द्वारा चिका बना हालतेह पायाजानक [इस बाबत ऐसे प्रश्नोंमें तुकड़ा सहित, यदि कोई भी रद्द हो] वास्तविकी के संबंधित विभागात्मक भी मौजा जाएगा।

का उपनिषद् (८) में विज्ञान गमनके को प्रतीति दर्श विभावाइत  
इसको पाठ्य की सारीक लक्षण हुए हम परं लक्षण गति-दृष्टिक  
करेगा और इसे अपनी धन्तिकार में रखेंगा।

(८) विस्तारपूर्वक सम्बन्ध संवेदन संस्थानों, जो कि इन्हीं के एक के नाले वह ही की कर्वाचारियों के सामाजिक घटनाओं परी प्रति इकाईता करने के लिए प्रतिष्ठित कर सकता है।

(८) कियी कर्त्तारी द्वारा किया था प्रत्येक सांगोकत और एक संवेद में ही गहरे प्रत्येक दूसरा, इनके बीच होने वाली सब उप तारोंमध्ये प्रशासनी हुमी दिन तारोंमध्ये की वह अन-नियम (१) में वर्णित प्राधिकारी द्वारा प्राप्ति जीव है।

३७. परिवार वेश्या

१. दृष्टनियम (३) में लिहित उत्तरवाचों ११ से १५ वार्तालूक वभाग शब्द  
किना, अहं किसी कांचारी से निरसात्मिक वार्तालूकियों में सत्त्व ही  
शब्दसी है:

(क) गुरु चर्चे को लगातार सेवा पूर्ण होने के बाद; अमरा

(क) एक कोई की सरगातार सेवा पूरी होते हैं तो उपर्युक्त बालतं विसर्जित भूतक दर्शकारी नीं, तोमा या वट दर नियुक्ति से उत्तरात्मक प्राप्ति उन्नित चिकित्सा प्राप्तिकारी हाया जाता की प्राप्ति हो और उके बाल की गति के लिये उकह आविष्टार्थी हाया दीमय दीर्घित किया गया हो, या

प्रियो वर्षार्थी की जैवनी

सामिन फोरेस्ट मैनेजमेंट की दाखि

(f) एल्फ्रेडा है जीवि

वेतन वा 10% वर्षाये कम हो तो वह १० रुपए और दसविंची से घटिया

(ii) 400 लाठे और दाढ़ी कार्तून बेतन से 15% प्रत्युष दस्ते का विकल्प, 1,200 दस्ते ने संभव 100 लाठे और घोड़ी के विकल्प से इक्षित

(iii) 1,206 लाख सीर इम्बे ग्राम देवता का 12% वराह शब्द से कम 165 लाख ग्राम इम्बे का नियन्त्रण करता है।

बाबरी मि अंग्रेजी III अपला खेतो 17 के दैन नमंतरों के लिखे में जो 2-1-1969 को यह दस्ते: मार्ड जोखा-निमुक्त हो रहा हो और दिल्ली में दूसरे दिन भित्ति उद्धवास तथा वंशगत को उद्धवासों के उपर्याप्त के लिए हिन्दी चेनों। अपलाखेतो 11 के क्रमांकों के दृष्टि से अपनी परिचयित्री का परिचय उत्तर पाय विकल्प महीं दिया हो, तो मृतक-पा परिचय 1-1-1979 से परिचय उत्तर पाने का एकदार होता और उनकी राजी गई हो की जाएगी के अन्दर लिप्तिरिक को लागती।

Digitized by srujanika@gmail.com

प्राकृत विज्ञान वेंगन वर्ती राजि

(i) 400 रुपए से नीचे	60 रुपए
(ii) 400 रुपए और 500 से ऊपर पर्याप्त 800 रुपए से नीचे	100 रुपए
(iii) 500 रुपए और 1000 तक पर्याप्त 1200 रुपए से नीचे	150 रुपए
(iv) 1200 रुपए और उससे ऊपर	160 रुपए

दशायाः प्रधिष्ठयना लग्नातारं एक वर्ष की सेवा । उहाँ पहि इस प्रतिष्ठान में पांच बारे से बहु वर्ष लग्नाता रहेगा जि उहाँ एक वर्ष से लगभग भी लग्नातारं सेवा भी 'प्रतिष्ठित' हो देना ति वर्ड (५) के प्रतिष्ठापित विषय सज्जा हैं ।

(2) परिवार पैदल की रुचि साधिक बढ़ कर नियत को आजीवी और इस पूर्ण रूपों में भवति दिया जाएगा और उन्हें अट्ठे परिवार पैदल है एक सम्पूर्ण का भाव घाला है। उसे यहाँते उच्च बढ़ कर उत्तरांचल किया जाएगा, इसके लिये यहाँ को सिविल में इक विनियम के अनुसार नियोजित प्रधिकार संसार से अधिक स्थिरता नहीं की जाएगी।

(३) (क) (१). यहाँ नई युके करनेवाली, जो विभागात्मक प्रतिकूलि  
कार्यविनाशक, १९२३ (१९२३ नं ३४) द्वारा प्रयोगिक होता है की इस  
में कम याहू वर्ष की जागात्मक चेता करें के बाथ, ऐसा वे रहते हुए  
मृत्युहो जाते हैं तो इन्हें प्रतिकूल को देख प्रतिकूल वैयक्ति की इच्छा  
नहीं, सार्वजनिक देवता के ८० वर्षोंका ले करवर एवं उड़ानीदार (१) के  
प्राप्ततावाला प्रतिकूल स्वीकारमें विनाश की दो पूजा। हुआ, इसमें जो भी काम हो, और  
इस प्रकार ते स्वास्थ्य रखि, कर्मचारी को मरण की सार्वजनिक के बाद से  
सात वर्षों की अवधि के लिए अवश्य करि कर्मचारी जीवित रहता द्वारा उत्तरके  
द्वारा ६५ वर्ष की आम जगत् कार्यों की सारीकाल की प्रपत्रि के लिए  
देव होती, इसमें जो भी काम हो।

(ii) जिसी ऐसे कम्पनियों (जैसे ३ लाख लोगों के ५% ऐसे कर्मचारियों की सीधीकरण विधि में भूमि की इस अविभाग के लिए विकला नहीं दिया है जो कि संघर्ष के अपेक्षाकृत तौर पर जनजीव वाहकों के कार्यकालित वर्ष लाने होती है) को संवाद-प्रदान की स्थिति में उत्तराधि (i) के समर्थन निर्णयित्र की गई संघर्षाद तथा ३ लाखों को जनजीव के लिए संघर्ष के सिद्धांतमाने जारीकर रखा गया उसके हाथ ०३ लाखों की संघर्ष प्रदान कर्तव्य की घोषित गया कि संघर्ष के लिए इस दृष्टि की भी बहुत ही ।



६(ग) (i) यहाँ परिवार पेश करने के लिए विवरणों की सदी की जांच है, यहाँ परिवार तंत्र विवरणों को उत्तराधिकार भाग में दिया जाता है।

(ii) इसी विद्या की सहाय होने पर, परिवर्तन ग्रंथान का उत्तम लाभ लाने की याद रखने की जरूरत निष्पक्ष रहेगी।

मरते ही विषय का कोई दृष्टि ज़ेरिया न था तो, परिकार ये गम सब लालाम भाव लड़ा करते ही ईरादा दिया थाएगा।

(c) वहाँ मुकुक करनेवाली ना देतन प्राप्तवारी जो कोई अधिकत विवरण हो, परन्तु उसके फैले दुर्घटी पर्याप्त जिम्मेदारी नहीं हो गई है ऐसा बच्चा या छोटी ही दी पाप यथा या उसके दरियारे देतन के उन आए की पाप के एकपार होने, यो उसकी लाग की कर्मवाही दरबता देतन प्राप्तवारी की लाग के लक्ष्य उसके अधिकत तौर पर को सिखावा दें दिलाना।

7.(i) अन्तिम (६) में की गई व्यापकता परे दृष्टिकोण से वह एक नीति विवर है जो व्यापक विद्यमानों की ओर लाभ की जाएगी।

(ii) यह कोई नुक्त गवेलार्थी या दूसरे प्राणियाँ भरने की क्षमता या विद्युत ऊर्जा है तो उत्तिकर प्रैवा विद्युत या विद्युत या अन्य कोई जगती और सूक्ष्म न होने पर एक प्रवाह बनावनी को बदल कर बनावनी।

(iii) यह जुलूस और व्यक्तिगत पुस्तिकालीनियां हैं जो व्यक्तिगत पुस्तियाँ, पर्सनल एवं प्राप्ति पाने की जगह समर उपलब्धता नहीं हैं, जब तक पुल रा. एवं की अपेक्षा उत्तम करने वाले व्यक्तिगत विवरण की वंशानुसारी के लिए उपलब्ध न हो जाएँ।

८. जहाँ सोई भूत कार्यवादी या नेतृत्व प्रयोग का उद्देश्य एक से अधिक इच्छों लाना है, तो उसमें अब ताकि लक्ष्य वर्णन (ii) अवश्य उपलब्धिपूर्व (५) के साथ (iii), तेंदुओं द्वारा विविध ही वे विविध मार्गिके लिए परिचार प्रयत्न की मंजुरी के लिए पात्र दीना और उनका वर्चित नींमनानित के माध्यम संगत वरका परिचार प्रयत्न मंजुरी के लिए वार्ता ही आवश्यक।

५. यहाँ इस विविधता के सम्बन्ध में प्रोटोकॉल विभीं प्रबन्धक की घटनाएँ की जाती हैं, तो यह घटनाएँ के लिए शामिल होने की घटी की जाएंगी।

(10) नेहे मामते में अद्वा करते होंगे ताकि गरिमी बरकरार की ओर  
वे पूर्ण विद्यमान के उपर्युक्ती हाता लगाकर होने ही हों और तेवा में इन्हें  
हुए या खेल-प्रतिपत्ति के दौर उसमें से एक भी नहीं हो जाएगा तो मनका  
हो संबंध के प्रश्नावार ऐसा है, जीवित पर्याप्त या इसी दृष्टिया से चाहाया जाए  
पर्याप्त तरह पर्याप्त या महसूस होने जो व्यक्ति के मृदृष्ट मात्रा जिस के द्वारा वह  
अधिक वर्षों का व्याप्ति भी जी विनाशक रूपमें पूरे की जाएगी जो कि  
साक्षे लिप्तित बीचारों में लाते जायेंगे।

(ग) (i) फैदे और विषय वस्तु का साथे उन्नतीस (.) में कोड़ी द्वारा पूछ दी गयी विवरण लेने का काम पाक होती है। यह दोनों पैरों से जागी पाए जाने वाली है ताकि उनके बीच अंतर नहीं हो।

(२) अद्य, दालों परिषदः त्रिवेदी उत्तमाम् (१) के विषयक दोनों पार्ट भाषा वाले जनक श्री शंख देव एवं विष्णु देव द्वारा दोनों भाषाओं में बहुत सारी प्रशंसा दी गई है।

(ii) नहीं दिये देके बड़े सारोंसे का उत्तर लिखें।  
को मृत्यु हो जाने के बाबा की अपील इन से  
जबकि वे एक विद्युत को छोड़ते हैं और कोई  
विषयात्मक वज़ू नहीं है, तो उत्तर के संदर्भ में  
परिचय देना चाहिए। अतिक्रम की गयी हो।

नवाज़ ने ऐसे दावों में जहाँ शापिक है कि अब उन्हें जी वह कुटी परिवर्तन के लाभार पट दी जाएगी तो योद्धा रक्षणार्थी भी सूखे नहीं होंगे क्योंकि उन्हें को जलवायी के दोषान होती है, और ऐसे जलवायी भूमि की प्रशंसन का दृष्टिवान् उत्तराधीन बाल है जो परिवर्तन में कम जीवित जलवायी की घटा गई की जाती है।

१२.(क) यहां लिए गए जटिल कम्पवर्ती या पृष्ठ अवैकरी की भूमि ही नहीं है जो यथा पैलौ एक वर्षे मा जटिल के साथ स्वयंप्रिय रूप में यथा दुष्ट पर्ति या लिप्ति को छोड़ता है, तो दुष्ट के संबंध में यथा की जान करने परिवर्त योग्य, और इसके बदल की जाएगी, यद्यपि यह दूसरे जटिल कम्पवर्ती की प्रत्येकान्क हो।

(v) यहाँ जीवित वसित नेरो इक्केविन्सों का अधिभावक नहीं रखता है, गो लेही चारिंग चेलन उन वसितों को प्रदा हो दण्डिये थी ऐसे इक्केविन्सों का सामाजिक अधिभावका है।

13.(क) यदि केवा में इसे हुए दिलो कर्मकारी का गृह्ण होने की स्थिति में यदि कोई अपील, जो इस विवरण के मध्यमें नियमानुसार बेचन ग्रहण करने पर उत्त है, एवं कर्मकारी को हत्या करने पर ऐसे किसी अपराध की कारणी है उकाले वा भारोप शक्यात्मा नाम है, तो पत्तिवार बेचन धारण करने के संबंध में पटिहार के लक्ष्य पाप बड़ार पर उद्दर्शीय गणित ऐसे अनुभव का दाता, उसके विविध ग्रहण से नई आवश्यिकता दावेशी के समाप्त होने तक ये लिया।

(८) यदि व्यक्ति (क) में वर्तमान लाभसंहिता का विवरणीय को सहीप्रिय प्राप्ति करना चाहिए तो—

(1) कम्पनी की हालत पर्याप्त न होने में उल्लंघन के लिए बोधीपूर्वक जवाब देता है। जो ऐसे विविध की परिस्थिति में सहज सही तरीके से रोक दिया जाएगा, फिर यह दर्शावारी की मूलता को तारीखे के अनुसार बदलने की आवश्यकता नहीं हो जाएगी।

(iii) समस्याएँ भी इन्हीं गतियों का समय में उपलब्ध होती हैं। जारी की जाने वाली दो गतियों में से एक गति तो ऐसी गति की जारी करने वाली गति को अधिक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहिए।

(प) चम्प (क) चौर लाल (ख) के उपरन्त ये ही दो दशहरे प्रेतक पर की ओर दृग्मि, जो सेवा विनाश के द्वारा दिया जान्दा हो की मात्र वह एक अद्वितीय देवता हो जाती है।

— यह विद्युत ने ज्ञान के लिए—

(४) "प्रसादालर मेंदा" ने भृत्यामी प्रवास स्थायी हैलिफ़त के को मई  
लेकर अपने वे बीड़ इसमें दिल्लीहिल्ल जानिव गहों से—

11. *Females* are *adults* until *ovario-*

(ii) 18 वर्ष की ऊपरी व्राति कार्य से पहले दो मंदि सेवा की अपेक्षा किए जाते हैं।

(२) लिप्त कर्मसाधी के संबंध में 'कर्मस' का प्रयोगिकीय अनुभेद

(ii) यह अंतराल के मध्यमे में सभी वृक्षों की जिसी  
सहित अंतराल के मध्यमे में पड़ता है, उसकी जिसी  
वृक्षों के बीच सहित अंतराल है।

- (ii) (c) नायिक का सा तो बता हुई थीं वा वह कहि दूसरे प्रियार्थ से भगवा होना परामर्श के बाबत पर तम्हारे किसी गया हो, जबते कि, दिवाह कर्मचारी के सेवा-निवृत्त होने से पूर्व हुआ हो और जीवित रहके बाले अपनी को चाराकाल का देखो व ठहराया गया हो।

(ii) पूर्व, विस्ते 21 वर्ष की आयु आज में को हो तब अलिङ्गित नुस्खे, विस्ते 30 वर्ष की आयु तब आज की हो, जिसमें देवा-निवृति से पूर्व कानूनों का से भी बिए दूत तथा पूर्वी जापित है, लेकिन सेवा निवृति के बाब ऐसा हुए पूर्व वा पूर्वी जापित नहीं है।

(v) (i) "वैदन" से ऐसी वरिज्ञाता जनित है, जो विस्ते 21 में निवृत्त है, लेकिन हठमें काम्पुरेक श्राव दर, प्रोत्साहन धर्यायियों और परिषायक इसीने इस वर्षाकारी के बाबत ही ऐसी अन्य वर्षाकारी जापित नहीं है, दिवाह देवत के काम में माओ जाता है। इन्हें कर्मचारी की सेवा के अंतिम वर्ष महोनी के दौरान की एहत शाय के संबंध में पिछा आता जाता है।

(ii) विस्ते 22 में अवित औमत परिज्ञित, यदि दूर कर्मचारी को परिज्ञियों को उसकी सेवा के अंतिम तीन महीनों के दौरान कम दिता गया हो, जो एहत एहत शाय में न विस गया हो।

प्रधान अंक - 7

प्रेतन तथा मृदू एवं सेवा निवृति उपशासन की  
मंजूरी के लिए वृद्धि

38. प्रेतन तथा मृदू एवं सेवा निवृति उपशासन की मंजूरी के लिए

प्रेतन, परिवार प्रेतन तथा मृदू एवं सेवा निवृति उपशासन की मंजूरी प्राप्ति एहत होगी, जो अक्षय द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई।

39. सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की दूबी तेलाव करना।

(1) विभागाधार वर्ष में एक बार, अप्रैल प्रतिक्रिया वर्ष यी पहली अन्यायी को ऐसे सभी कर्मचारियों की एक शूपी सेपार करने, जो उस तारीख के आगे के 6 में 18 महीनों में ऐसा निष्पृत होने वाले हैं।

(2) ऐसी प्रत्येक शूपी की बी अतिक्रमितीर समाप्त-दार एवं मृदू लेखा अविभारी की उस वर्ष की 31 जनवरी से पूर्व भेजी जाएगी। ]

(3) ऐसा कर्मचारी जो अधिकारियों को छोड़कर, [प्रथम वार्षिक व सेवा निवृत्त हो रहा हो] के पासवे में विभागाधार की ओर ही ऐसी सेवा निवृत्ति के बारे में शात होता है, वे विशेष अलाइन्डर एवं मृदू लेखा अविभारी की लहराक दूरी सुखना देंगे।

(4) परि संबंधित कर्मचारियों को पर्याप्त जात का अवान आवश्यक पिछा देता है, जो विभागाधार-हारा निर्वाचित विजाहातार एवं मृदू लेखा अविभारी की भेजी गई शूपी शुक्रवार यी एक प्रतिशति जेती I, II एवं III से अन्यायियों के सामने में जीवि प्रक्रिय की नाया देयो IV के मापदंड में वाय विभागाधार जीवि दौदीदार संवर्ध अविभारी को भेजी जाएगी। ]

(5) विभागाधार वर्ष में एहत जार वैशार वर्षार प्रत्येक वर्ष जो पाली वार्षिकी की, जेतो (IV) के देखे बख्ती नवनवारियों, जो यि देयो III के पर्याप्ति पर अप्रतिशिवित एहत है, और जो उस

गारीब के लागे के ६ से १८ महीनों में देखा जिकृति हो रहे हैं की एक अस्थाय-मूली भी दौवार करते थे। ऐसी प्रत्येक मूली की दो प्रतियाँ जिसीपर जगहान्तर पर्व मुख्य लेखालिखितारी को उक्त वर्ष की ३१ अक्टूबर से पहले भेजें। मूली में (१) लंबांग लंबांगारी की भेजी III पद पर रक्षापत्र का है लच्छार नियुक्ति की जारीय थी। (२) संदर्भ का शीर्चा विलोक्य इन्हींने भेजी IV लंबी में की वह सेवा के संबंध में तुष्टि, रक्षापत्र बनाया-कर दिया तीव्र पर वर्णवारी लिखायित गोट थार लंबांगित कर्मचारी का छुट्टी सेवा लिखी। लच्छार पर्व मुख्य लेखालिखितारी की भेजा गया है तथा ये III पद पर कर्मचारी के रक्षायी होने की जारीय के संबंध में भी ल्लौप दिया जाएगा। भेजी III पद पर रक्षापत्र का से काम कर रहे थेंगे IV में ऐसी कर्मान्तरी के बदले भी शही देके पद पर रक्षायी नहीं किए गए हैं, तुम्हीं में पैसे कर्मचारी की श्रेष्ठी—III पद पर रक्षापत्र का से लगातार नियुक्ति की जारीय दियाई जाएगी।

40. पेशन अमज्जालो वरो तीक्ष्ण रुद्रेना

संविचारिको पर सबा निवृत्त होने वाले किसी कर्मचारी को सेवा निवृत्ति की शरीक में 9 महीने पहले प्रत्येक विभागाधारा वैश्वर कार्यगती की दिशर करने वा कार्य कारम कर दें। ऐसा बताये सभी विभागाधारी येतो IV के कार्यकारिणी को सेवा शीट ही परीक्षा करने और उसके बाहे प्रतिष्ठितों के लाही होने के संबंध में इतना की मन्तुक बताएँ। विभागाधारा वैश्वर कार्यगती की दैराएँ बख्याएँ और ऐसा प्रश्नों को सबी संतुष्ट आवश्यकी सहित प्रत्येक विभाग कार्यकारा एवं मुद्दा सेवाकारी को, कर्मचारी को सेवा निवृति की वारदी से कम ज्ञान महीने पहले विभवाएँ।

ऐसा प्रस्तावों की विवादों से इन विवाहकार जुड़े नहीं बचते होते, सेवा निष्ठि होने वाले करकारों द्वारा भी होती है। ऐसी ही विवाहकारों द्वारा विवाहित विवाहिकारों की विवाह कापड़वाले विवाहित लोगों के बीच अधिक संख्या में घटनाएँ होती हैं।

टिप्पणी:- एवं आवेदन समावृत्ति गोपन के लिए दो, तीन सुधर प्रियलिंग मिक्रोट्रो से घोषित बनाकर नव विवर प्रदान के साथ संभव नियम गायत्रा।

41. पेंगों को प्रभावित करने के लिए पहाड़ के बीच में दिनीप सामाजिक सब महादेवका रूप दिखता है।

यदि वित्तीय संसाधनों एवं मूलता लेनदेनदारों की हेतु वास्तव देशने के बाब्द, विनियम 40 में विट्टिट घटविक के अधीनसे पड़ना ही चाही है, वित्तका स्थिरार्थ पैमाने को राजि वर्त लाना पड़ता ही तो क्षेत्रप्रभ वित्तीय संसाधनों एवं मूलता लेनदेनदारों का नामांतरण दिया जायगा।

३३. वित्तीय सलाहकार द्वारा महाप्रधानाधी द्वारा वेतन छोर या-  
सन की प्रक्रिया

लिख्य 40 में वर्णित वेक्षन लिप्ताओं को अपि १८८५ तिलीन संग्रहकारी एवं मुक्ता लेखादिकारी शमिलित थाव लागू करें, पैदल और ड्राफ्टन की घटि का महत्वकारी कर्त्तव्य और नमंतरारी को सेवा निवृत्ति की संरीक्षा से सम्बन्धित कर एक नवीन वहले उपचारों अधारात्रि जापिकृत करें।

पैदान दक्ष मृत्यु एवं हिता लिपुति की ददाद्वारो वाचिकृत छिए आगे के काव्य वित्तोद सलाहकार एवं मूल्य लेखाधिकार येकन दक्ष मृत्यु एवं हेता लिपुति उपर्यात चित्र की तैयार करवाने की अवस्था कर्ते हैं। वित्तोद सलाहकार एवं मूल्य लेखा शाखिकारो नियम 39 के उपर विवरण (७) में वर्णित किए गयनामार्गों I, II द्वारा III कर्मचारियों की सूची की प्राप्ति पर ऐसे कर्मचारियों के संबंध में उनके कामयात्र में रखी गई लेता शीरों में प्रतिलिपों में यहाँ होले के संबंध में जाव भी अवस्था भी बढ़ते हैं। नियम 30 के उपर विवरण 5 में वर्णित किए गयनामार्गों IV पर देखेंगों III पद पर चर्चापत्रि हृषि कर्मचारियों की सूची भी प्राप्ति पर, वित्तोद सलाहकार एवं मूल्य लेखाधिकारों, सूची में बताए गए वित्तों भी ऐसे कर्मचारियों द्वारा शेषों III में भी यह लेता के संबंध में लेता फैट चालने भी अवस्था कर्ते हैं, जिसके बारे में गंभीर झोट पहनने से ए शीरों गई हो।

### 43. फालतु अवारदी की अवारदी

किसी कार्यकारी को बंचूट की गई पेशाजपूर्व एवं तेका निकृष्ट  
उत्तराव की रूचि, वह लाइ में इस निम्न के अन्तर्गत उत्तरी द्रव्यारी  
की रूचि से फ़ालतू पाई जाती है, गो पह ऐसी आत्मा पशि की पापनी  
के लिए विदोदय साक्षकार तथा बुद्ध तेका मध्यिकारी से घोके  
बरेता।

इस प्रयोगदान के लिए वित्तीय उत्तराहितार्थ एवं नूबय लेखाविद्यार्थी द्वारा संवेदित अवक्षित को एक नोटिस दिया जाएगा, जिसके अनुसार उसके द्वारा नोटिस अवल तृप्ति की सारांश में दो महीने की अवधि में उसे फालड़ भवावाविधि वापर करनी होगी, अंडिग का पालन न किए जाने पर वित्तीय उत्तराहितार्थ एवं नूबय लेखाविद्यार्थी वह बारेव देंगे कि ऐसी फालड़ भवावाविधि उपरके द्वारा विधिय उम्मीदों जैसे बालों एवं अन्यना एक से अधिक विस्तृत में भविष्यत में संवेदित अवक्षित की गयी अवल अवधियां द्वारा समाप्तिकृत की जाएंगी।

第44回

२०८ की दस्तावेज़

44. (1) बोई की देशवासी नहीं बहुती और समाजीकरण सेवा मिलत हो ये पार्क करवारे का यह अवैध हीगा कि वह घटना तो क्षमिता की तारीख से पहले बोई की सभी देशवासी की चुकावी।

(ii) बहु से कि विद्युत ही सूख करनारी और को देवताओं की नहीं चलती है। और ऐसी देवताओं का पता समझा जा सकता है कि—

(ए) जनके सम्बोधन रूपहाँ-जैसा, सिवा जा सकता है; अवश्य

(v) उसी क्षण किंतु जबकि वे उद्घाटन में से पर्याप्त हो पहले लगाई गई तापमान धाराओं के पार्श्व प्रभावों का अधिक सम्बन्ध रखता है।

**प्राक्षयं**— धर्मविवरणों “बाहेर की पत्ता शाहदेव द्वा सकने वाली देवताएँ”  
में गृह निर्माण प्रयत्न, बहुत अप्रिय, और द्वारा दरान किये  
गए धाराएँ ही धर्मविवरणों परा होते, घोषणा द्वारा चाहों की  
धर्मविवरणों द्वारा बायरटर इन्डिपेंडेंस, १९६१ (१९६१  
का ४०) के अन्योन्य लक्षण वर अदृष्ट जाने वाली आयकर की  
विवरण शामिल है।

४३. दोषों की जांच न हुई तोर भूलालों में से कोई भी देखता है  
 (क) यदि दोषों की कोई भी देखता है (नियम १५ में व्यक्त होने वाले देखताओं के अनुलेख) तिन्हीं गोपनीयों के बावजूद ही उनमें सूखेकाल घरों के रह जाएं तो सेवा निवास ही रहे जर्म भारी से दृष्टिं रौकान काम तो या सकती है आवश्यक होने

देश विद् वर्ती आये राजसन् वाह दैस्त लाल औ पर्याप्त बहु-  
आर, लच ब्रवद सक रोपा ला यकाद है, वर्च लग मरा।  
देवासुओं का मूलनाश एवं उनका सम्मोगना न कर लि-  
गाए।

(v) वो गाने वाले रंगड़ यथा घरमें। रंगड़ भृत् उपहार में  
युक्ति, बकरीदा दैत्यताओं की श्रवणगीति युक्ति और उन रंगड़  
के दृष्टिविषय के खास के चोरों से प्रयुक्त नहीं होती।

(८) बांधे नो दहुली पास देवस्तानी या मुख्यालय एवं प्रापारोड़।  
भारी दे लिए अक्षरी प्रश्न फिर जागेण।

(प) मुंद्राकार की घटे योजे भी वेगःधी की रोकद जमा उभा करतान की रोजो एवं रात्रि ऐ लक्षादेखित किया जाति और शेष रात्रि कोई ही, ए ऐशनिवृति कर्तव्यार्थी की किया जाएगा।

第四部分——9

लेखन तथा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों की सहायता

४६ वेष्टन की महापर्वी

(1) नियम ४ के उपलब्धी के अधीन रहते हुए, परिवार पैकी को छोड़कर यहाँ कोई लोग उस सारी से पदा किए जाने योग्य होते, जिस तारेख से कोई नवजाती संसदायता में रहता है।

(३) नागिन दरो पर निवार किसी देश को प्रदायनी मानि होता है तब उसका आवंटन महीने की पालनी कर्तव्य के साथ करायेगी।

(३) दरिंदार येहत सोहेत कोई उम्मि दिन के लिए बहा फिर अपनी विषय होनी दिन दिन रहके प्राप्तवाक्यों को बहुत हो जाती है।

(4) फिरी ऐक्सन प्राइव नारी की मृत्यु हर कास्ट्रोफ द्वारा होती है। पेशा की बाकातों की प्रदायणी द्वारा कानूनों द्वारा दाखिलाएँ को उल्लेख करते हैं कि प्रदायणी जैसा कि प्रदायण द्वारा सही गवाह हर लिंगमें हो जाती है।

17 अप्रैल १९८५ लेपा निवासी को अदानदी

इन विनियमों में को मद्द अवधारणा के अंतर्गत, एवं वह तपाईं  
स्थानों पर एक प्रश्न है कि को जाएगी।

第3章

पंक्ति का सारांशीकरण

५८ भारतीय के लिए वर्षेवन

जिन्ही बमंदारी जै सायेद एवं यह थी गई शर्तों के अन्तीन, वड्डन  
फिल्मों पैरेश, और कि इन नियमों के अन्तर्गत हस्त मंजुर थी तो हूँ आ  
वाक्यों की खाल, के अधिक से अधिक एक चिन्हाई भाग थी एवं उन्हें  
खलाफी के निम्न भारतीयता दो व्योक्तियाँ दे गए थीं।

इतने ही कोई क्षेत्रीय विभाग यथाविधि अपनी कोई विभागीय प्रभाविता ही प्राप्त की वह है यद्यपि कोई विभाग प्राप्तवाला जिसके विभाग नहीं ऐसी क्षमता ही प्राप्त की गई है कि वार्ता है, कि उसी क्षमता के विभागीय वर्षावी के द्वारा उसकी विभाग के लिए यात्रा पर सार्वजनिक काम की विभागीय गई ही अधिकारी।

સુરત II—શાખ 3(i) ]

१९ अमरीकारप के जिए विद्वान् वैदेशन

(1) लार्टेंसीकरण के लिए घटप्रैदेन की प्राप्ति पर विमानायोग, जिसके अधीन कार्यकारी सेवा के अपनी सेवा-योग्यता के नकाल पहले नियोजित पा, याकृति को भवनी विफलताओं सहित वित्तीय लालूकार्ड पर्सनल सेवायोग्यतारी के लाभप्रय से बोलेगा।

(२) फोटो आवेदक थो—

(i) इन विद्यमों के निश्चय 35 के अनुदेत प्रश्नक्रम प्रश्न पर सेवा निवृत्ति होता है; प्रश्न

(ii) किंतु इन स्वरूप सेवा से अविवाहीन और एक सेवा लिप्ति  
हुआ है और यिन्होंने इन ग्रिव्यतों के नियम 22 के समर्पण देखते  
संज्ञा की पढ़ी है; अतएव

(iii) इन नियमों के विषय 25 के सम्बर्गत प्रतिपूष्टि भला ब्रह्म कर रहा है, यथाया

(iv) जो उप नियम (3) में परिणामी प्रैगत पर सेवा से सेवन-नियम हुआ है, वेकिन सेटार्टीकरण के लिए डॉकल आवेदन असंकीय सेवा-नियुक्ति के एक दर्पे के भवित्व विशेष लकाइकार पर मुख्य सेवा प्राधिकारी, न कार्यालय में ब्राह्म गंडी हुआ है, घण्टी प्रैगत के एक भाग के सारांशीकरण के लिए प्रभु होगा, जो नि मुख्य विकित्या घटितारी भवया प्रभव डारा विदेश विद्यु यथा सम्बद्ध विकित्या प्रादिवारी डारा स्वरूप पोषित किए जाने के माह नियम 38 में विदिष्ट भीना को जहाँ के अधीनी होता।

अलग द्वारा सारांशीकरण के प्रस्ताव की स्थीरता निए जाने पर, विभागीय मैत्रीन प्राप्तकर्ता को मुख्य विभिन्न विविधारी अधिकारी विदेशी में रख रहे एवं केन्द्रीय से पर्याप्त हीरो पर यह जैसे मैत्रीन प्राप्तकर्ता के प्रमाण में ऐसे अम्ब विभिन्न विविधारी विदेशी निए यद्यपि इनमें से लाइन लाइन के अधीक्ष इन दिया जाए, निदेश की प्राप्ति की लाइन के लाइन लाइन के अधीक्ष इन दिया जाए, के प्रबन्धन के लिए कि देशन प्राप्तकर्ता सारांशीकरण के शीघ्र विवरण के साथें प्रदेशवाले हीले कर निर्देश दें। यदि देशन प्राप्तकर्ता ऊपर बताए वह अनुसार, तोन गहोने की अपील में विभिन्न विविधारी अधिकारी के लिए इन्हें क्रमानुसार दहोने करता है, तो इस प्रकार हें नवयों की उच्चता निए आवेदन का अध्यक्ष सारिक मौजूद की समय बढ़ि अनुप्राप्त कर नवयों के, और इस लाइन के बाद सारांशीकरण में लिए अवैधता नी

विकिताया प्रभावाद्यक्ष को विभावाद्यक्ष इतर विक्षीय गताहेहार एवं  
मुख्य लेखा प्रधिकारी के भावना से पश्चात को जेना जाएगा और विक्षीय  
मताहेहार एवं मूल लेखा प्रधिकारी उस गर वेतन के गताराहेहन मूल  
की लिहोई, प्रभव को देणे और इस प्रोत्सव के लिहे शासाधी अन्मदिन  
एवं आपेक्ष की बाध्य विकिताया रिपोर्ट के शब्दमें प्रियोरित ही जाएगी।  
एवं यापेक्ष की बाध्य विकिताया शासिकारी के मानने विकिताया  
प्रधानमंत्र के लिहे शब्दमें क्रमसुलु करों से पहले विभावाद्यक्ष को विभिन्न  
कामें मूलना देने के बाद लिही जो मनम भरने वालेदार की दृष्टि से  
जाती है, तेकिल मूल्य विकितायाधिकारी शब्दवा उद्द विषम (1) में बताए  
गए लिही एवं विकिताया प्रधिकारी के मानने प्राप्तुए होने के बाद लिही  
की विभिन्न में इसके लिहे भवतो लाही दी जाएगी।

(3) शोहू प्राविद्यक, जिसे निम्नलिखित के लिए प्राप्तिकृत किया गया है।

(i) वेतन विनियम के विषय २३ के सम्बन्धीत शास्त्रीयिकी प्रैरुन.

(iii) योजना क्रियायम के नियम 24 के सन्वर्तन सेवा-विवृति वैदेशीकरण।

(iii) बेक लिंगरेन के द्वारा १८ के अलाउद्दीनी दह औ इमाम  
किए गए पर उत्तुरि ईश्वर, भारत।

(१४) वेश्य विविदप के नियम ५ में पर्याप्त विभागीय प्रदक्षिण प्राप्ति का लापेंद्राही के नियमोन तथा उपर पर अलिङ लोकेश जारी होने पर सुन्दर प्रदक्षिण प्राप्ति, योजन प्रत्यक्षकर्ता नियम ५३ में नियमित बीमा की गति के अधीन अवधि वेश्य के लियाँ आग को विद्युता परीक्षण के विलासार्थीकृत करने का पाद होगा, इसलिए यह अवैदेक को सेवा लियुसि को गारीबी से एक नवी के भव्यर विभाग संसाक्षकरण एवं मुश्वर लेखाविकारी के कार्यालय में सारांशीकरण हेतु लिया जावेदन प्राप्त हो जाओ।

ब्रह्मते कि नियम ४९ के उद्देश्यमें (३) के बाबत (५) में भावाएँ यह आरोपित के मानस में, इस उपर्यन्तिर्दिन जै पर्याप्त एक पर्यंती की अवधि विभागीय व्यवसा स्थापित करायेगाही को अंतिम रूप पर्याप्त आदेष के प्रतिक्रिय स्वत्वात् लाभेष्व को आदी करते की लाभोर्च से नियम वालेसी। विभागीय संसाधनाकार इस सुन्न लेखास्तिवाही, पंथग में सारांशीकृत भूल्प के बारे में घटवधक को एक रिपोर्ट देता और इस प्रयोगत के लिए आकामी उद्देश्यमें वर आरोपित की गाढ़ जेता और में वर्ण वर्णन की तात्परी के सम्बन्ध में निर्धारित की जाएकी और इसे जेतने हेतुपी करायेगाही के प्रयोगत के लिए डिसाइ जै लिया जाता है।

जोड़ी कलेक्टर जो अधिकारियों पर सेवा निवृत्त हो गये हैं, वह बायकृत है कि वेदन में सारांशोंहत शुम की घटावाही, जोने प्राप्तिकृत किए जाते रखने प्रधिकृत कर दी गयी, तो यह धन्यवादी सेवा निवृत्त की लाइसेंस से पूर्ण वेदन के एक भाग के सारांशोंकरण के लिए वापेदन करने का पार्थ होता, वहाँते कि :-

(क) रासेयाती केवल सेया-निवृत्ति प्रवान गरे सेया निवृत्त हुए हैं;  
मोर

(अ) सावेदन घटवत को अक्षरूत किया जाता है जो उहके पास अधिकारियों की लारीख में कम से कम दोन नहींके उहके पृष्ठ काए। मगि यह घटवय कर्नवारी की अधिकारियों की लारीख से दोन नहींके कम हो, तो ऐसे किसी सावेदन घर सोई दिवार नहीं किया जायगा। और

(ग) यदि कमेंटरी की अधिकारिकी द्वारा इसमें सहजे बृहत् हो जाती है तबका नियुक्ति से उसे मंडल का एक सामाजिक हो जाता है, तो मंडल के प्राचीनोहर मूलतः सभी लोगोंमें से निष्ठा संरखे की काही देनपात्री नहीं होती।

देश के नायोंदियों के लिए प्रतिरक्षा का विवाद अभी चल रहा है। इसके बाहर एक सूची तय दिया ही भी भवित्वा।

(४) मूल वेकातिकारी घटकों विशेष में रह रहे या कठकला से प्रभावित होने पर उन्हें जब वेकन प्राप्तकर्ता के पास नहीं मैं उपर्युक्त लेखनिक (२) में डालता जाए चयन विकिधान प्राप्तिकारी द्वारा वेकन के सामाजिकात्मक के प्रदोषक के लिए वेकन प्राप्तकर्ता की प्रतीकों द्वारा को घटकों वालात्मक घागु की घटका चयिक दोस्ति लिए जाने पर विकासात्मक घटकों द्वारा वेकन प्राप्तकर्ता की घृणना को बढ़ावा देने के लिए होने की आशीर्वाद से दो वक्तव्य छारा रखने प्राप्तकर्ता की घृणना के प्राप्त होने की आशीर्वाद से दो वक्तव्य देने लिखित कहा ते वह वक्तव्य के लिए कहा जाएगा कि वह इन परिस्थिति में वह घटकी मीं वेकन के एक भाव के सामाजिकात्मक का उपर्युक्त है।

मरि उपर्युक्त निर्वाचित दो गठनालू की परिधि में प्रेस भ्राताका सहायतामात्र के लिए घरें सावेदन हो लिखित कद में पारपत तहत देता है, औ मह मात्रा भाग्यों विं जबते सारामोत्तरण को स्थीरत कर लिहा है।

(5) ऐसा तत्त्वानुसारी के विविध परीक्षण के महंगा है इससे ज्ञान एवं विविध प्रौद्योगिक प्रक्रियों के उत्तर में पढ़िया गया बास्तविकी में ही है, यद्यपि विवरण देता है कि यह अनुभवकार नियोग महसूसित गम्भीर छुपता है, तो प्रदर्शक सार्वजनिकरण यी चुनियोगी की वास्तविक अवधारणा किए जाने से बचते, किन्तु यी समाप्त तर्फे रह लगती है और ऐसे विवरण या गम्भीर छुपाने की विनीत दृश्यावार गाना जा सकता है, जिसके लिए दोनों प्रौद्योगिक विवरण तथा किसी भाव को रोकने पर वापस लिये जा सकियार सुरक्षित रहेंगे।

(6) सार्वजनिकरण के लिए प्रयोगशक्ति करने वाले ऐसे प्राप्तकर्ता को जिसे मुख्य विभिन्नता वालीहांडी या विदेश में इस रुद्धी मा कलाकारों से पर्याप्त हुई पट रहने वाले एकम प्राप्तकर्ता के नामने में उपर्युक्त शब्द नियम (३) में दिखाया जाना चाहिए विभिन्नता वालीहांडी को विभिन्नतों पर सार्वजनिकरण के स्थैनिक प्रथा जाने वाले एक बार इस लिया जा सकता है। अधिकारी जलत माध्यिकारी या अधिकारी हांडा जलते गवाले जन्मनाशिल वा छस्तरी घायु में विफलतिर लिए वारे वयों को बूढ़ि के घावार पर, उसने सार्वजनिकरण को स्वीकार करने के एक बार जाना कर दिया हो, तो इसमें उसकी अवृत्त की मुख प्रतिक्रिया में संतुष्टाधन लिए जाने को पूर्वि से बाद में एक बार फिर विभिन्नता परीक्षण के लिए प्रस्तुत होने की की ज्ञानीहांडी दो या तीनों हैं, यद्यपि कि प्रथम विभिन्नता परीक्षण उसी दूसरे परीक्षण के बीच जब से कब एक बर्वे का सबसे अंतिम ही पुका हो।

(१) मूल विकिसा प्राचिकारी या विदेश से रह रहे हो कल्पकर्ता से पर्याप्त दूरी पर रहने वाले पैकान प्राचिकर्ता के मानस में उपर्युक्त विषयम् (२) में बनित मन्त्र विकिसा प्राचिकारी हाथ परि खेल मानी जाए सो जल्दी बदायी पैकान प्राचिकर्ता को समझ करी होती, विकिसा एवं अपार्क के संबंध में उभयो घटनाओं को भी वह स्वयं पुकारता।

( ४ ) विलिंग्हा साधिकारी इता चिकित्सा प्रमाणन्वय पर हस्तियां किए जाने की जारीज़ दो यारीजीकरण पूर्ण हो जाएगा, मर्मांत् पेशन के सार्वज्ञोनिष्ठ दाग दो प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाइएगा और वेशन के सार्वज्ञोनिष्ठ मूल्य को प्राप्त करने का अधिकार मिल जाएगा । इसमें अविस्तर यह भी कि उत्तरियम् ( ३ ) के अन्तर्गत आने वाले समान में सार्वज्ञोनिष्ठ उक्त जारीज़ को पूर्ण होना, चिकित्सा जारीज़ की जगत्का आवेदन, चिकित्सा अवलोकन एवं नुन वेत्ता विधिकारी के कर्मान्वय ने प्राप्त होता है, अतएव योनिवृत्त कर्मचारी की सारीजीकरण का मूल्य प्राप्त करने पा सकियाहा प्राप्त हो जाएगा ।

(७) सार्वजीकरण वर अमेरिका ने बासे एक मुहूरत दिया गया है।  
स्ट्रोकर, ड्राफ्ट सम्पन्ननम पर अपने सर्वेताहीर्णी के लिए विप्रवर्गीय को नई सुधि आदाना सुनियर्वन सार्वजीकरण के दृष्टिं होने की तरीख को आवेदन पर लाना होने के अनुरूप परिकलित को जाएगी।

(10) सारंगीकृत सूच्य की शब्दावली वा संशोध शीर्ष की जाएगी वास्तविक प्रयोगनी को लारीच कोई भी ही प्रयोग की गई राहि अन्य पेंचल पर इतका बमान वही होगा जो कि सारांशकरण को पूर्ण होने की लारीच की शब्द किए गए सारंगीकृत का मूल्य होता। महि पेंचल के सारंगीकृत वाच की सारांशकरण के पूर्ण होने की सारीक के बाद आपसे ही लिया गया हो, तो खिलाऊ नई राजि सारंगीकरण पर भावा निए जाने वाली राजि से घटा दी जाएगी।

(11) यदि येहन ग्राम्यकरण की सारांशीकरण के पूर्व हीने के दिन  
या उसके बाद, यसन्न सारांशीकरण का मूल्य ग्राम करों में पहुँचे भड़के  
हो जाएंगे हैं, तो यह मूल्य उसके बताने वालद्विकारियों को द्या जिसका  
प्राप्त हो।

(१२) किसी ऐसे प्रवेदक के विस्तर पर्याप्त अधिक संशोधन के महान् पाणि की सामग्रीकृत लिपा है और सातवींकरण के नाम उनकी प्रेरण में भूमिकाएँ प्रभाव देनी चाहिए कि वह ही तो बड़ी ही तो बड़ी ही वही प्रेरण के सबसे में विशिष्टित लिपि थी जो आठवींवर्ष विद्या पूर्णे से प्राप्तिहृषि लिपि थी यद्यपि इसके बहुत बीच के अखण्ड भी अविद्या थी।

दावा किया जाएगा। अस्तर को अवापकों के सिए अधिकारक को नए सिरे से  
अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

बहारे द्वि-लिंगी ऐसे वाकेदंड के माध्यमे में लिखने मूल्य वित्तिरूप, प्रतिकारी भवना वा लिप्यन् (२) में विकला लिंगिता अविकारी इत्य सदृश गोपीनाथ के बाय प्रज्ञनो नूल पैशन के एक भाग को जी कि एक सौ रुपरुप से अधिक न ही, की सारांशीकृत किया है, यथा पैशन में प्रत्यक्षी प्रभाव से वैष्टि लिंग वाले के परिणामस्वरूप वह एक सौ रुपरुप सामिनाम से अधिक के सारांशीकृत का पात्र ही आता है, जो एक सौ रुपरुप सामिनाम के सारांशीकृत मूल्य और नूल पैशन के एक भाग के सारांशीकृत मूल्य के बीच के अन्तर के संबंध में उत्ते कियो अतिरिक्त लिंगिता वरीदारण के विका स्त्रीकृति दी जाएगी। एक सौ श्वर प्रति वास्त्र से अधिक की रुपित के सारांशीकृत की वज्र, सारांशीकृत भवना वायपा धौर वह लिंगिता परीक्षण की दृष्टि के इच्छीन शैक्षिकार किया जायगा।

卷二十一

३८

३० शिवायन

वहाँ इन विषयों के विवरण के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो, तो इसे विस्तृत रूपानुसार एक मुख्य लेखा अधिकारी के माध्यम से स्पष्ट की जिम्मेदारी के लिए भेजा जाएगा।

३१. छाट देने की शर्ति

जहाँ विभागालक्ष्य इस बात है सन्तुष्ट हो कि इस विनियमों को चारू किए जाने से विद्युत विदेश मामले में प्रभुत्व लड़ाई हड्डी है, तो वह मामले को विद्युत विवादों का एक मुख्य लेखाधिकारी के भाष्यमें से दृष्टव्य की जेंड सकता है और दृष्टव्य विविध रूप में इन किए नए वार्ताओं में घोरेंगे हाएं उनक नियम की घोरतात्त्वाओं को ऐसी शीरण और देखे एवं विवरणी और गहरी की घोरीन जो कि मामले से उत्पन्न द्वीप व्यापक संग्रह वंग ने काढ़वेलही करने के लिए संप्रेषित जब्तों कार्द, कूट व सकड़ी है या तुड़ा सकता है।

### ५२. विरसन तथा अवास्ति

(1) इन विषयों के प्रारंभ होने के गहरात पड़वे लाभ प्रत्येक विषय  
अपना प्राप्तेह का अध्यात्म सद्व ही बताएगा।

(2) इनमें के इस प्रकार से बदल किए जाने पर भी—

(क) पुराने विषयों और विषयवाले शब्दों के सम्बन्ध में किसी पैमाने पर  
इस सूत्र एवं देवा-विभूति उपहास की अदायगी के लिए  
किसी छात्रों द्वारा कोई नामांकण अथवा विद्या गया कोई नामा-  
करन, जो कि इन विभिन्नताओं के प्राचलन होते हैं ये पहले किसी विषयवाले  
दिग्दा में गया हो, तो यह इन विभिन्नताओं के उत्पत्तियों के  
अधीन ऐसे प्रारंभ होने के बाद लिया अथवा दिया जाएगा।

(ए) कोई मामला जो कि ऐसे कर्मचारी की वेतन को स्थिरता से संबंधित है, जो इन विविधतों के प्रारंभ होने में नहीं सेवा दिलाते हैं तभी ही, और जो ऐसे वारंवार होने से पूर्ण संबंधित हैं, जो पुराने विविध ग्राम/परवा याहौदी के वर्षावर्षों के घन्टनापा में मानकर निपटाते छिपते जाएंगे तो, ये विकल्प नहीं बनाए जायेंगे।

(v) कोई सामता नहीं किये गये अवकाश किसी भूमि पर  
प्रेसन प्राइवेटरी के परिवार की मालू एवं सेवा निवृत्ति उपलब्ध  
होती है और परिवार प्रेसन की सीमितता से बोक्षित है, और वो इन  
विविधियों के पारदर्शन के बाहर नहीं हो सकता है। यह उपर्युक्त  
और दूसरों के अपवाही के बावजूद अत भावकर  
विवरण दिया जा सकता है जो विवरण नहीं बताता तभी कि

(प) घटना (म) और (ग) के लक्षणों की भवि के छहोंसे दूसरे निम्नों को लक्षणों के अनुपयोग से पहले की ताक दी गई हैं इन विवरणों के लक्षणों उपरान्त एक अन्यतरी दो विवरणों का लक्षण नहीं आया।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT  
(Ports Wing)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 1988

G.S.R. 712(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Port Employees' (Pension) Regulations, 1988 made by the Board of Trustees for the Port of Calcutta and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PW/PER/9/85-PE. I]

YOGENDRA NARAIN, Jr. Secy.

SCHEDULE

CALCUTTA PORT TRUST EMPLOYEES'  
(PENSION) REGULATIONS, 1988

CHAPTER I

Preliminary

In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees for the Port of Calcutta hereby makes the following regulation :

1. Short title and commencement.—(i) These Regulations may be called the Calcutta Port Trust Employees' (Pension) Regulations, 1988.

(ii) These regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Extent of application.—These Regulations shall apply :

- (i) To all employees other than 'A' Category Cargo Handling Shore Workers appointed substantively to the Board's service on or after 1st June, 1962.
- (ii) To all 'A' Category Shore Workers appointed substantively to the Board's service on or after 1st July, 1966.

AND

- (iii) To all other employees appointed substantively in the service of the Board who have either duly opted for the Pension scheme or may opt for these Regulations in terms of the option that may be given to them from time to time. Provided that an employee who on his retirement from service on attaining the age of superannuation or on his being declared to be permanently incapacitated for further service by the appropriate medical authority after he has rendered temporary service of not less than 20 years shall be brought within the purview of these regulations and the condition of holding a post in a

substantive capacity shall be dispensed with in his case. Such an employee will be eligible for the grant of superannuation or invalid pension death-cum-retirement gratuity and family pension in accordance with the provisions of these regulations. For computing temporary service, the spells of service which are treated as non-qualifying service under these regulations shall be ignored and interruption(s) in service shall amount to forfeiture of past service unless such interruptions are condonable under regulation 19 of these regulations.

3. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires :

- (a) 'Average emoluments' means average emoluments as determined in accordance with regulation 22.
- (b) 'Child' means a child of the employee who, if a son, is under twenty one years of age and if a daughter, is unmarried and is under twenty four years of age and the expression 'children' shall be construed accordingly ;
- (c) 'Chairman', 'Board' and 'Heads of a Department' shall have the meanings respectively assigned to them in the Major Port Trusts Act, 1963.
- (d) Class I, II, III and IV posts shall have the same meaning as assigned to them in the Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1987.
- (e) 'Chief Medical Officer' shall mean the 'Chief Medical Officer' of the Board.
- (f) 'Financial Adviser & Chief Accounts Officer' shall mean the 'Financial Adviser & Chief Accounts Officer' of the Board.
- (g) 'Date of retirement' or 'date of his retirement', in relation to an employee, means the afternoon of the last day of the month in which the employee attains the age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service.
- (h) 'Employee in permanent employ' means an employee who holds substantively or provisionally substantively a permanent post or who holds lien on such a post had the lien not been suspended.
- (i) 'Foreign service' means service in which an employee receives his pay with the sanction of the competent authority from any source other than any fund of the Board.
- (j) 'Government' means the Central Government.
- (k) 'Minor' means a person who has not completed the age of eighteen years.
- (l) 'Qualifying service' means service rendered while on duty or otherwise which shall be

76

taken into account for the purpose of pension and gratuities admissible under these regulations.

- (m) 'Pension' includes gratuity except when the term Pension is used in contradistinction to gratuity.
- (n) 'Retirement benefits' includes pension or service gratuity, and death-cum-retirement gratuity, where admissible.
- (o) Gratuity includes—
  - (i) Service gratuity payable under sub-regulation (1) of Regulation 30.
  - (ii) 'Death-cum-Retirement Gratuity' payable under Sub-regulation (1) or Sub-regulation (3) of Regulation 32.
  - (iii) 'Residuary Gratuity' payable under Sub-regulation of Regulation 32.

## CHAPTER—II

### General Conditions

#### 4. Regulation of claims to pension or family pension

Any claim to pension or family pension shall be regulated by the provisions of these regulations in force at the time when an employee retires or is discharged or is allowed to resign from service or dies, as the case may be.

#### 5. Limitations on number of pensions

(1) An employee shall not earn two pensions in the same service or post at the same time or by the same continuous service.

(2) An employee who, having retired on a superannuation or retiring pension, is subsequently re-employed shall not be entitled to a separate pension or gratuity for the period of his re-employment.

#### b. Pension subject to future good conduct

1(a) Future good conduct shall be an implied condition of every grant of pension and its continuance under these regulations.

(b) The appointing authority may, by order in writing withhold or withdraw a pension or part thereof, whether permanently or for a specified period, if the pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct.

Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the amount of rupees sixty per mensem.

(2) Where a pensioner is convicted of a serious crime by a court of law, action under sub-regulation (1) shall be taken in the light of the judgement of the court relating to such conviction.

(3) In a case not falling under sub-regulation (2), if the authority referred to in sub-regulation (1) considers that the pensioner is prima facie guilty of grave misconduct, it shall before passing an order under sub-regulation (1),

(a) serve upon the pensioner a notice specifying the action proposed to be taken against him and the ground on which it is proposed to be taken and calling upon him to submit, within fifteen days of the receipt of the notice or such further time not exceeding fifteen days as may be allowed by the appointing authority, such representation as he may wish to make against the proposal;

and

(b) take into consideration the representation if any, submitted by the pensioner under clause (a).

(4) An appeal against the order passed by the Authority under sub-regulation (1) shall lie to the Chairman and to the Central Govt. as the case may be.

**Explanation.**—The impression "grave misconduct" includes the communication or disclosure of any secret official code or pass word or any sketch, plan, model, article, note, document or information (which was obtained while holding office under the Trustees) so as to prejudicially affect the interests of the Trustees.

#### 7. Right of Chairman to withhold or withdraw pension.

(1) The Chairman reserves to himself the right of withholding or withdrawing a pension or part thereof, whether permanently or for a specified period, and or ordering recovery from a pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Board, if in any departmental or judicial proceedings, the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of his service, including service rendered upon re-employment after retirement :

Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn the amount of such pension shall not be reduced below the amount of rupees sixty per mensem.

(2) (a) The departmental proceedings referred to in sub-regulation (1) if instituted while the employee was in service whether before his retirement or during his re-employment, shall after the final retirement of the employee be deemed to be proceeding under this regulation and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the employee had continued in service :

Provided that where the departmental proceedings are instituted by an authority subordinate to the Chairman, that authority shall submit a report recording its findings to the Chairman,

(b) The departmental proceedings if not instituted while the employee was in service, whether before his retirement or during his re-employment,

(i) shall not be instituted save with the sanction of the Chairman,

(ii) shall not be in respect of any event which took place more than four years before such institution,

and

(iii) shall be conducted by such authority and in such place as the Chairman may direct and in accordance with the procedure applicable to departmental proceedings in which an order of dismissal from service could be made in relation to the employee during his service.

(3) No judicial proceeding, if not instituted while the employee was in service, whether before his retirement or during his re-employment, shall be instituted in respect of a cause of action which arose, or in respect of an event which took place, more than four years before such institution.

(4) (i) In the case of an employee who has retired on attaining the age of superannuation or otherwise and against whom any departmental or judicial proceedings are instituted or where departmental proceedings are continued under sub-regulation (2) a provisional pension not exceeding the maximum pension which would have been admissible on the basis of the qualifying service upto the date of retirement of the employee, or if he was under suspension on the date of retirement upto the date immediately preceding the date on which he was placed under suspension, shall be sanctioned.

(ii) The provisional pension shall be sanctioned during the period commencing from the date of retirement upto and including the date on which, after the conclusion of the departmental or judicial proceedings final orders are passed by competent authority.

(iii) No gratuity shall be sanctioned to the employee until the conclusion of the departmental or judicial proceedings and issue of final order thereon.

(iv) Payment of provisional pension made under sub-regulation 4(i) shall be adjusted against final retirement benefits sanctioned to such employee upon conclusion of such proceedings but no recovery shall be made where the pension finally sanctioned is less than the provisional pension or the provisional pension is reduced or withheld either permanently or for a specified period.

(5) Where the Chairman decides not to withhold or withdraw pension but orders recovery of pecuniary loss from pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one third of the pension admissible on the date of retirement of an employee.

(6) For the purpose of this regulation—

(a) Departmental proceedings shall be deemed to be instituted on the date on which the

statement of charges is issued to the employee or pensioner, or if the employee has been placed under suspension from an earlier date, on such date; and

(b) Judicial proceedings shall be deemed to be instituted :

(i) in the case of criminal proceedings, on the date which the complaint or report of a police officer, of which the Magistrate takes cognizance is made;

and

(ii) in the case of civil proceedings, on the date the plaint is presented in the court.

### 8. Commercial employment after retirement.

(1) If a pensioner who, immediately before his retirement was a Class I officer, wishes to accept any commercial employment before the expiry of two years from the date of his retirement, he shall obtain the previous sanction of the Chairman to such acceptance :

Provided that an employee who was permitted by the Chairman to take up a particular form of commercial employment during his leave preparatory to retirement or during terminal leave shall not be required to obtain subsequent permission for his continuance in such employment after retirement.

(2) Subject to the provisions of sub-regulation (3), the Chairman may, by order in writing, on an application made by a pensioner, grant, subject to such conditions, if any, as it may deem necessary, permission or refuse, for reasons to be recorded in the order, permission, to such pensioner to take up the commercial employment specified in the application.

(3) In granting or refusing permission under sub-regulation (2) to a pensioner for taking up any commercial employment, the Chairman shall have regard to the following factors, namely :

(a) the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer.

(b) whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as to bring him into conflict with the Board.

(c) whether the pensioner while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to seek employment as might afford a reasonable basis for the suspicion that such pensioner had shown favours to such employer.

(d) whether the duties of the commercial employment proposed involve liaison or contact work with the Board.

(e) whether his commercial duties will be such that his previous official position or knowledge or experience under the Board could be used to give the proposed employer an unfair advantage.

(f) the emoluments offered by the proposed employer,

and

(g) any other relevant factor.

(4) Where within a period of sixty days of the date of receipt of an application under sub-regulation (3), the Chairman does not refuse to grant the permission applied for or does not communicate the refusal to the applicant, the Chairman shall be deemed to have granted the permission applied for.

(5) Where the Chairman grants the permission applied for subject to any conditions or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the order of the Chairman to that effect, make a representation against any such condition or refusal and the Chairman may make such orders thereon as he deems fit :

Provided that no order other than an order cancelling such condition or granting such permission without any conditions shall be made under this sub-regulation without giving the pensioner making representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.

(6) If any pensioner takes up any commercial employment at any time before the expiry of two years from the date of his retirement without the prior permission of the Chairman or commits a breach of any condition subject to which permission to take up any commercial employment has been granted to him under this regulation, it shall be competent for the Chairman to declare by order in writing and for reasons to be recorded therein that he shall not be entitled to the whole or such part of the pension and for such period as may be specified in the order :

Provided that no such order shall be made without giving the pensioner concerned an opportunity of showing cause against such declaration :

Provided further that in making any order under this sub-regulation, the Chairman shall have regard to the following factors, namely —

- (i) the financial circumstances of the pensioner concerned ;
- (ii) the nature of, and the emoluments from the commercial employment taken up by the pensioner concerned and
- (iii) any other relevant factor.

(7) Every order passed by the Chairman under this regulation shall be communicated to the pensioner concerned.

(8) In this regulation :

(a) the expression "commercial employment" means :—

- (i) an employment in any capacity including that of an agent, under a company, co-operative society, firm or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business and includes also a directorship of such company and partnership of such firm, but does not include employment under a corporate, wholly or substantially owned or controlled by the Central or State Government.
- (ii) Setting up practice, either independently or as a partner of a firm, as adviser or consultant in matters in respect of which the pensioner —
- (A) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or
- (B) has professional qualifications but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position, or
- (iii) has to undertake work involving liaison or contact with the offices or officers of the board :

Explanation :—(a) For the purposes of clause

- (i) "employment under a co-operative society" includes the holding of any office, whether elective or otherwise, such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like, whatever name called in such society.
- (b) The expression "date of retirement" in relation to an employee re-employed after retirement, without any break, either in the same or in another class I post under the Board, means the date on which such employee finally ceases to be so re-employed in the service of the Board.

#### 9A. Employment after retirement outside India.

If a pensioner, who immediately before his retirement was a Class I Officer, wishes to accept any employment outside India, he shall obtain previous permission of the Board for such acceptance and no pension shall be payable to a pensioner who accepts such an employment without proper permission in respect of any period for which he is so employed or such longer period as the Board may direct :

Provided that an employee who permitted to take up a particular form of employment outside India during his leave preparatory to retirement shall not be required to obtain subsequent permission for his continuance in such employment after retirement.

## CHAPTER—III

## Qualifying Service

## 9. Commencement of qualifying service.

Subject to the provisions of these regulations, qualifying service of an employee shall commence from the date he takes charge of the post of which he is first appointed either substantively or in an officiating or temporary capacity.

Provided that officiating or temporary service is followed without interruption by substantive appointment in the same or another service or post.

## 10. Counting of service as on probation and as apprentice.

Service on probation against a post if followed by confirmation in the same or another post shall qualify but the service as an apprentice shall not qualify.

## 11. Counting of pre-retirement service in the case of re-employed employees.

An employee who having retired on compensation pension or invalid pension or compensation gratuity or invalid gratuity, is re-employed and appointed substantively to a service or post to which these regulations apply may exercise option either—

- (a) to continue to draw the pension or retain the gratuity sanctioned for his earlier service, in which his former service shall not count as qualifying service or
- (b) to cease to draw his pension and refund
  - (i) the pension already drawn, and
  - (ii) the value received for the commutation of part of pension and
  - (iii) the amount of death-cum-retirement gratuity including service gratuity if any, and count the previous service as qualifying service :

Provided that :—

- (i) the pension drawn prior to the date of re-employment shall not be required to be refunded;
- (ii) the element of pension which was ignored for fixation of pay including the element of pension which was not taken into account for fixation of pay shall be refunded by him;
- (iii) the element of pension equivalent of gratuity including the element of commuted cost of pension, if any, which was taken into account for fixation of his pay shall be itself reflect the amount of death-cum-retirement gratuity and the commuted value of pension and the balance, if any, shall be refunded by him.

**Explanation**—In this clause, the expression which was taken into 'account' means the taken into account means the amount of pension including the pension equivalent of gratuity by which pay of the employee who reduced on initial re-employment, and the expression which was not taken into account shall be construed accordingly.

- 2(a) The authority issuing the order of substantive appointment to a service or post as is referred to in sub-regulation (1) shall alongwith such order require in writing the employee to exercise the option under that sub-regulation within three months of the date of issue of such order or if he is on leave on that day, within three months of his return from leave, whichever is later and also bring to his notice the provisions of clause (c).
- (b) If no option is exercised within the period referred to in clause (a), the employee shall be deemed to have opted for clause (a) of sub-regulation (1).
- (3) In the case of an employee who opts for clause (a) of sub-regulation (1), the pension or gratuity admissible for his subsequent service is subject to the limitation, that service gratuity or the capital value of the pension and death-cum-retirement gratuity, if any, shall not be greater than the difference between the value of the pension and death-cum-retirement gratuity, if any, that would be admissible at the time of the employee's final retirement if the two periods of service were combined and the value of retirement benefits already granted to him for the previous service.

**Note**—The capital value of pension shall be calculated in accordance with the commutation table prescribed under Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 applicable at the time of the second or final retirement.

- 4 (a) An employee who opts for clause (b) of sub-regulation (1) shall be required to refund the gratuity received in respect of his earlier service, in monthly instalments not exceeding thirty six in number, the first instalment beginning from the month in which he exercised the option.
- (b) The right to count previous service as qualifying service shall not revive until the whole amount has been refunded.
- In the case of an employee, who having elected to refund the gratuity, dies before the entire amount is refunded, the amount of unrefunded gratuity shall be adjusted against the death-cum-retirement gratuity which may become payable to his family.

**12. Counting of periods spent on leave.**

All leave during service for which leave salary is payable and all extra-ordinary leave granted on medical certificate shall count as qualifying service:

Provided that in the case of extraordinary leave other than extraordinary leave granted on medical certificate the appointing authority may, at the time of granting such leave, allow the period of that leave to count as qualifying service if such leave is granted to an employee—

(i) due to his inability to join or rejoin duty on account of civil commotion.

or

(ii) for prosecuting higher scientific and technical studies.

**12(A) Counting of periods spent on training.**

The Chairman may, by order, decide whether the time spent by an employee under training arranged by the Board immediately before appointment to service under the Board of Trustees shall count as qualifying service.

**13. Counting of periods of suspension.**

Time passed by an employee under suspension pending enquiry into conduct shall count as qualifying service where on conclusion of such enquiry, he has been fully exonerated or the suspension is held to wholly unjustified; in other cases the period of suspension shall not count unless the authority competent to pass orders under the regulation governing such cases expressly declares at the time that it shall count to such extent as the competent authority may declare.

**14. Forfeiture of service on dismissal or removal.**

Dismissal or removal of an employee from a service or post entails forfeiture of his past service.

**15. Counting of past service on reinstatement.**

(1) An employee who is dismissed, removed or compulsorily retired from service, but is reinstated on appeal or review, is entitled to count his past service as qualifying service.

(2) The period of interruption in service between the date of his dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, and the date of reinstatement, and the period of suspension, if any, shall not count as qualifying service unless regularised as duty or leave by a specific order of the authority which passed the order of reinstatement.

**16. Forfeiture of service on resignation.**

(1) Resignation from a service or a post, unless it is allowed to be withdrawn in the interest of the Board's service by the appointing authority, entails forfeiture of past service.

(2) The appointing authority may permit a person to withdraw his resignation in the Board's interest on the following conditions namely,

(i) that the resignation was tendered by the employee for some compelling reasons which did not involve any reflection on his integrity efficiency or conduct and the request for withdrawal of the resignation has been as a result of a material change in the circumstances which originally compelled him to tender resignation.

(ii) that during the period intervening between the date on which the resignation became effective and the date from which the request for withdrawal was made, the conduct of the person concerned was in no way improper.

(iii) that the period of absence from duty between the date on which the resignation became effective and the date on which the person is allowed to resume duty as a result of permission to withdraw the resignation is not more than ninety days;

(iv) that the post, which was vacated by the employee on the acceptance of his resignation or any other comparable post, is available.

(3) When an order is passed by the competent authority allowing a person to withdraw his resignation and to resume duty, the order shall be deemed to include the condonation of interruption in service but the period of interruption shall not count as qualifying service.

**17. Effect of interruption in service.**

(1) An interruption in the service of an employee entails forfeiture of his past services, except in the following cases :

(a) authorised leave of absence,

(b) unauthorised absence in continuation of authorised leave of absence so long as the post of absence is not filled substantively,

(c) suspension, where it is immediately followed by reinstatement, whether in the same or a different post, or where the employee dies or is permitted to retire or is retired on attaining the age of compulsory retirement while under suspension.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) the appointing authority may, by order, commute retrospectively the periods of absence without leave as extra-ordinary leave.

**18. Condonation of interruption in service.**

(a) In the absence of a specific indication to the contrary in the service book, an interruption between two spells of service rendered by an employee under the Board of Trustees shall be treated as automatically condoned and the pre-interruption service treated as qualifying service.

खण्ड II—पांच (i)]

माल का राजस्व: भवानीपुर

(b) Nothing in clause (a) shall apply to interruption caused by resignation, dismissal or removal from service or for participation in a strike.

(c) The period of interruption referred to in clause (a) shall not count as qualifying service.

19. Period of deputation on foreign service terms.

An employee deputed on foreign service, will have to pay the pension contribution in respect of his foreign service and count such service as qualifying for pension under this regulation.

#### CHAPTER—IV

##### Emoluments and Average Emoluments

20. Emoluments

The expression "emoluments" means the basic pay, special pay personal pay and any other emoluments which may be specifically classed as pay by the Board which an employee was receiving immediately before his retirement or on the date of his death and includes dearness allowance, incentive payment and any other allowance if such an allowance or allowances and payments are allowed to be counted as pay for the purpose of pension by the Board.

Note-1.—If any employee immediately before his retirement or death while in service had been absenting from duty on leave for which leave salary is payable or having been suspended had been reinstated without forfeiture of service, the emoluments which he would have drawn had he not been absent from duty or suspended shall be the emoluments for the purpose of this Regulation.

Provided that any increase in pay (other than the increment referred to in Note 4) which he has not actually drawn shall not form part of his emoluments.

Note-2.—Where an employee immediately before his retirement or death while in service has proceeded on leave for which leave salary is payable after having held a higher appointment whether in an officiating or temporary capacity, the benefit of emoluments drawn in such higher appointment shall be given only if it is certified that the employee would have continued to hold the higher appointment, but for his proceeding on leave.

Note-3.—If an employee immediately before his retirement or death while in service had been absent from duty on extra-ordinary leave or had been under suspension, the period whereof does not count as service, the emoluments which he drew immediately before proceeding on such leave or being placed under suspension shall be the emoluments for the purpose of this regulation.

Note-4.—If an employee immediately before his retirement or death while in service, was on earned

leave, and earned an increment which was not withheld, such increment, though not actually drawn, shall form part of his emoluments.

Provided that the increment was earned during the currency of the earned leave not exceeding one hundred and twenty days, or during the first one hundred and twenty days of earned leave where such leave was for more than one hundred and twenty days.

Note-5.—Pay drawn by an employee while on furlough to the emolument drawn by an employee but the pay which he would have drawn under the Board had he not been on furlough service shall alone be treated as emoluments.

21. Average emoluments.

Average emoluments shall be determined with reference to the emoluments drawn by an employee during the last ten months of his service.

Note-1.—If during the last ten months of his service an employee had been absent from duty on leave for which leave salary is payable or having been suspended had been reinstated without forfeiture of service, the emoluments which he would have drawn had he not been absent from duty or suspended shall be taken into account for determining the average emoluments.

Provided that any increase in pay (other than the increment referred to in Note 4) which is not actually drawn shall not form part of his emoluments.

Note-2.—If, during the last ten months of his service, an employee had been absent from duty on extra-ordinary leave or had been under suspension the period whereof does not count as service, the aforesaid period of leave or suspension shall be disregarded in the calculation of the average emoluments and equal period before the ten months shall be included.

Note-3.—In the case of employees eligible for payments under any type of payments by Results Scheme and retiring from service on or after 1-1-1979, the period of authorised leave other than casual leave authorised absence or period under suspension during the period of 10 months prior to the date of his retirement shall be disregarded in the calculation of the average 10 months emoluments, and equal period spent on duty before the last 10 months shall be included.

Note-4.—In the case of any employee who was on earned leave during the last ten months of service and earned an increment which was not withheld such increment though not actually drawn shall be included in the average emoluments.

Provided that the increment was earned during the currency of the earned leave not exceeding one hundred and twenty days or during the first one hundred and twenty days of earned leave where such leave was for more than one hundred and twenty days.

### CHAPTER—V

Classes of pensions and conditions governing their grant.

#### 22. Superannuation pension.

A superannuation pension shall be granted to an employee who is retired on his attaining the age of compulsory retirement.

#### 23. Retiring Pension.

A retiring pension shall be granted :—

- (a) to an employee who retires, or is retired in advance of the age of compulsory retirement, in accordance with the terms and conditions governing the service of the employee.

#### 24. Invalid pension.

(1) Invalid pension may be granted if any employee retires from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service.

(2) An employee applying for an invalid pension shall submit a medical certificate of incapacity from the Chief Medical Officer of the Board.

(3) Where the Chief Medical Officer of the Board has declared an employee fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he should, provided he is willing to be so employed, be employed on lower post and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be admitted to invalid pension.

#### 25. Compensation pension.

(1) If an employee is selected for discharge owing to the abolition of his permanent post, he shall unless he is appointed to another post, the conditions of which are deemed by the authority competent to discharge him to be at least equal to those of his own, have the option :—

- (a) of taking compensation pension to which he may be entitled for the service he had rendered, or
- (b) of accepting another appointment on such pay as may be offered and continuing to count his previous service for pension.

(2) Notice of at least three months shall be given to the employee in permanent employment before his services are dispensed with on the abolition of his permanent post.

(b) Where notice of at least three months is not given and the employee has not been provided with other employment on the date on which his services are dispensed with, the authority competent to dispense with his services may sanction the payment of a sum not exceeding the pay and allowances for the period by which the notice actually given to him falls short of three months.

(c) No compensation pension shall be payable for the period in respect of which he receives pay and allowances in lieu of notice.

(3) In case an employee is granted pay and allowances for the period by which the notice given to him falls short of three months and he is re-employed before the expiry of the period for which he has received pay and allowances he shall refund the pay and allowances so received for the period following his re-employment.

(4) If an employee who is entitled to compensation pension accepts instead another appointment under the Board and subsequently becomes entitled to receive a pension of any class, the amount of such pension shall not be less than the compensation pension which he could have claimed if he had not accepted the appointment.

#### 26. Compulsory retirement pension.

(1) An employee compulsorily retired from service as a penalty may be granted, by the authority competent to impose such penalty, pension or gratuity or both at a rate not less than two-thirds and not more than full compensation pension or gratuity or both admissible to him on the date of his compulsory retirement.

Explanation:—In this sub-regulation, the expression 'Pension' includes gratuity.

(2) A pension granted under sub-regulation (1) shall not be less than the amount of Rupees Sixty per mensem.

#### 27. Compassionate allowance.

(1) An employee who is dismissed or removed from service shall forfeit his pension and gratuity.

Provided that the authority competent to dismiss or remove him from service may, if the case is deserving of special consideration, sanction a compassionate allowance not exceeding two-thirds of pension, or gratuity or both which would have been admissible to him if he had retired on compensation pension.

(2) A compassionate allowance sanctioned under the proviso to sub-regulation (1) shall not be less than the amount of Rupees sixty per mensem.

### CHAPTER VI

#### Regulation of amounts of Pension

#### 28. Retirement on completion of 30 years' qualifying service.

(1) At any time after an employee has completed thirty years' qualifying service :

- (a) he may retire from service or
- (b) he may be required by the appointing authority to retire in the Board's interest and in the case of such retirement the employee shall be entitled to a retiring pension.

Provided that—

- (a) an employee shall give a notice in writing to the appointing authority at least three months before the date on which he wishes to retire; and
- (b) the appointing authority may also give a notice in writing to an employee at least three months before the date on which he is required to retire in the Board's interest or three months' pay and allowances in lieu of such notice. Provided further that where the employee giving notice under Clause (a) of the preceding proviso to under suspension, it shall be open to the appointing authority to withhold permission to such an employee to retire under this regulation.

1A(a) An employee referred to in Clause (a) of the first proviso to sub-regulation (1) may make a request in writing to the appointing authority to accept notice of less than three months giving reasons therefor,

- (b) on receipt of a request under Clause (a) the appointing authority may consider such request for the curtailment of the period of notice of three months on merits and if it is satisfied that the curtailment of the period of notice will not cause any administrative inconvenience, appointing authority may relax the requirement of notice of three months on the condition that the employee shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the period of notice of three months.

An employee who has elected to retire under this regulation and has given the necessary intimation to that effect to the appointing authority, shall be precluded from withdrawing his election subsequently except with the specific approval of such authority.

Provided that the request for withdrawal shall be within the intended date of his retirement.

3. For the purpose of this regulation the expression 'appointing authority' shall mean the authority which is competent to make appointments to the service or post from which the employee retires.

#### 29(A) Retirement on completion of 20 years' qualifying service

(1) At any time after an employee has completed 20 years qualifying service, he may by giving notice not less than three months in writing to the appointing authority retire from service.

(2) The notice of voluntary retirement given under sub-regulation (1) shall require acceptance by the appointing authority:

Provided that where the appointing authority does not refuse to grant the permission for retirement before the expiry of the period specified in the said notice, the retirement shall become effective from the date of expiry of the said period.

(3) (a) An employee referred to in sub-regulation (1) may make a request in writing to the appointing authority to accept notice of voluntary retirement of not less than three months giving reasons therefor;

- (b) on receipt of a request under clause (a), the appointing authority, subject to the provisions of sub-regulation (2), may consider such request for the curtailment of the period of notice of three months on merits and if it is satisfied that the curtailment of the period of notice will not cause any administrative inconvenience the appointing authority may relax the requirement of notice of three months on the condition that the employee shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the period of notice of three months.

(4) An employee who has elected to retire under this regulation and has given the necessary notice to that effect to the appointing authority, shall be precluded from withdrawing his notice except with the specific approval of such authority;

Provided that the request for withdrawal shall be made before the intended date of his retirement.

(5) The pension and death-cum-retirement gratuity of the employee retiring under this regulation shall be based on the emoluments as defined under regulation 21 and 22 and the increase not exceeding five years in his qualifying service shall not entitle him to any notional fixation of pay for purposes of calculating pension and gratuity.

(6) This regulation shall not apply to an employee who retired from the service of the Board for being absorbed permanently in an autonomous body or a public sector undertaking to which he is on deputation at the time of seeking voluntary retirement. Explanation—For the purpose of this regulation the expression 'appointing authority' shall mean the authority which is competent to make appointments to the service or post from which the employee seeks voluntary retirement.

#### 29(B) Addition to qualifying service on voluntary retirement.

(1) The qualifying service as on the date of intended retirement of the employee retiring under Regulation 29(1)(a) or Regulation 29(A) or retiring from service by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority after he has attained the age of fifty years if he is in Class I or Class II service or post (and had entered Board's service before attaining the age of thirty five years) and in all other cases after he has attained the age of fifty years, with or without permission shall be increased by the period not exceeding five years, subject to the condition that the total qualifying service rendered by the employee does not in any case exceed thirty-three years in case he is governed by the definition of Pay as applicable to Central Government employees for the purpose of pension and thirty years in case he is governed by the

enlarged definition of pay as applicable to Class III and Class IV employees of the Major Port Trusts and it does not take him beyond the date of superannuation.

(2) The weightage of five years under sub-regulation (1) shall not be admissible in cases of those employees who are prematurely retired in the interest of the Board's service.

### 30. Amount of pension

(1) In the case of an employee retiring in accordance with the provisions of these regulations before completing qualifying service of ten years, the amount of service gratuity shall be the appropriate amount as set out below, namely :

Completed six monthly periods of qualifying service	Scale of service gratuity.
1.	1/2 month's emoluments
2.	1 " "
3.	1 1/2 " "
4.	2 " "
5.	2 1/2 " "
6.	3 month's emoluments
7.	3 1/2 " "
8.	4 " "
9.	4 1/2 " "
10.	5 " "
11.	5 1/2 " "
12.	5 1/2 " "
13.	5 1/2 " "
14.	6 1/4 " "
15.	6 1/4 " "
16.	7 " "
17.	7 1/2 " "
18.	7 1/2 " "
19.	8 " "

(a) In case of Class III and Class IV employees other than those covered by clause (b) of this sub-regulations retiring in accordance with the provisions of these regulations after completing qualifying service of not less than ten year, the amount of pension shall be the appropriate amount as set out below, namely :—

Completed six monthly periods of qualifying service	Scale of pension
1	2
20.	10/80ths of average emoluments
21.	10 1/2/80ths .. .. ..
22.	11/80ths .. .. ..
23.	11 1/2/80ths .. .. ..
24.	12/80ths .. .. ..
25.	12 1/2/80ths .. .. ..
26.	13/80ths .. .. ..
27.	13 1/2/80ths .. .. ..
28.	14/80ths .. .. ..

1	2
29.	14 1/2/80ths of average emoluments
30.	15/80ths .. .. ..
31.	15 1/2/80ths .. .. ..
32.	16/80ths .. .. ..
33.	16 1/2/80ths .. .. ..
34.	17/80ths .. .. ..
35.	17 1/2/80ths .. .. ..
36.	18/80ths .. .. ..
37.	18 1/2/80ths .. .. ..
38.	19/80ths .. .. ..
39.	19 1/2/80ths .. .. ..
40.	20/80ths .. .. ..
41.	20 1/2/80ths .. .. ..
42.	21/80ths .. .. ..
43.	21 1/2/80ths .. .. ..
44.	22/80ths .. .. ..
45.	22 1/2/80ths .. .. ..
46.	23/80ths .. .. ..
47.	23 1/2/80ths .. .. ..
48.	24/80ths .. .. ..
49.	24 1/2/80ths .. .. ..
50.	25/80ths .. .. ..
51.	25 1/2/80ths .. .. ..
52.	26/80ths .. .. ..
53.	26 1/2/80ths .. .. ..
54.	27/80ths .. .. ..
55.	27 1/2/80ths .. .. ..
56.	28/80ths .. .. ..
57.	28 1/2/80ths .. .. ..
58.	29/80ths .. .. ..
59.	29 1/2/80ths .. .. ..
60.	30/80ths .. .. ..

2(b) In case of Class I and Class III Officers  
and

Those Class III and Class IV employees who have opted or may opt for definition of 'Pay' for the purpose of pension as applicable to the Central Govt. employees in terms of the option given that may be given to them and retiring from service in accordance with the provisions of these regulations after completing qualifying service of not less than 33 years the amount of pension shall be determined as follows, namely :—

Average emoluments	Amount of monthly pension
(i) Up to first rupees 1,000/-	55 % of the average emoluments
(ii) Next Rs. 500/-	45 % of average emoluments
(iii) Balance	40 % of average emoluments subject to a maximum of Rs. 1,500/- p.m. including relief on pension payable upto index level 328:

There will be no ceiling on the amount of monthly pension for employees retiring on or after 31-3-85.

(2c) In case of an employee as referred to in clause 2(b) as above retiring in accordance with the provisions of these regulations before completing qualifying service of 33 years but after completing qualifying service of 10 years, the amount of pension shall be proportionate to the amount of pension admissible under clause 2(b) provided however that in no case the amount of pension shall be less than Rs. 60/- per mensem;

(3) In calculating the length of qualifying service, fraction of a year equal to 3 months and above shall be treated as a completed one-half year and reckoned as qualifying service.

(4) The amount of pension finally determined under clause 2(b) or 2(c) shall be expressed in whole rupees and where the pension contains a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

### 31. Minimum limit of Invalid pension

In respect of an employee who retires on invalid pension in terms of regulation 25, the amount of invalid pension shall not be less than the amount of Family Pension.

### 32. Death-cum-Retirement Gratuity

(1)(a)(i) An employee who has completed five years' qualifying service and has become eligible for service gratuity or pension under regulation 30 shall on his retirement be granted death-cum-retirement gratuity equal to one-fourth of his emoluments for each completed six monthly period of qualifying service, subject to a maximum of 16-1/2 times the emoluments in respect of Class I and Class II employees and 15 times the emoluments in case of class III and class IV employees.

Provided that in case of a class III or a class IV employee who has opted to have his emoluments calculated in the manner as that of a class I or class II employees for the purpose of payment of death-cum-retirement gratuity, the amount of the death-cum-retirement gratuity subject to clause (i) below will be subject to a maximum of 16-1/2 times the emoluments.

Note : : In calculating the length of qualifying service, fraction of year equal to 3 months and above shall be treated as a completed one-half year and reckoned as qualifying service of an employee other than an employee covered by the Payment of Gratuity Act, 1972 (Act No. 39 of 1972) and the Rules made thereunder.

(a) (ii) In case of an employee covered by the Payment of Gratuity Act, 1972 (Act No. 39 of 1972) and the Rules made thereunder qualifying service

(a) On retirement on account of permanent incapacity due to bodily or mental infirmity or on grounds accepted by the Board as and sufficient reason for retirement, or

(b) after he has rendered continuous service for not less than 5 years —

- A. On his superannuation; or
- B. On his retirement or resignation; or
- C. On his termination of service for any reason whatsoever other than that mentioned in Sub-regulation 1(a), (ii) (a) above,

Death-cum-retirement gratuity shall be admissible at the rate of fifteen days' emoluments drawn by such an employee for every completed year of service or part thereof in excess of six months service to a maximum of twenty month's emoluments:

Provided that when an employee as referred to in this sub-clause is offered a post on a lower scale of pay on account any accident, medical disability etc. as an alternative to being discharged/removed, death-cum-retirement gratuity may be worked out separately for the earlier period and subsequent period.

(c) The amount of gratuity payable under the payment of Gratuity Act, 1972 (Act 39 of 1972) and the rules made thereunder shall be set off against the death-cum-retirement gratuity payable under these regulations.

Notwithstanding any thing contained in this sub-regulation the death-cum-retirement gratuity of an employee, whose services have been terminated for an act, wilful omission, or negligence causing any damage or loss to, or destruction of, property belonging to the Board shall be forfeited to the claim - or loss so caused. Provided further that the death-cum-retirement gratuity payable to an employee may be wholly or partially forfeited if the services of such employee have been terminated for his riotous or disorderly conduct or any other act of violence on his part or for any act of the employee which constitutes an offence involving moral turpitude, provided that such offence is committed by him in the course of his employment.

N.B.—In sub-clause (a)(i) (b)

(1) 'Completed year of service' means continuous service for one year.

(2) 'Continuous service' means continuous service as defined in Section 2A of the Payment of Gratuity Act, 1984.

(b) If an employee dies while in service after completing five years' qualifying service, the amount of death-cum-retirement gratuity shall be equal to 1/2 times of his emoluments or the amount determined under clause (a), whichever is higher and it shall be paid to his family in the manner specified in sub-regulation (1) of regulation 34.

(c) For the purpose of clauses (a) and (b) the amount of death-cum-retirement gratuity payable under this regulation, in case shall exceed thirty six thousand rupees in case of employees retiring prior to 31st March, 1985 and Rs. 50,000/- in case of those employees retiring on or after 31st March, 1985.

(2) If an employee who has become eligible for a service gratuity or pension, dies within five years from the date of his retirement from service including compulsory retirement as a penalty and the sums actually received by him at the time of his death on account of such gratuity or pension including ad-hoc increase, if any, together with the death-cum-retirement gratuity admissible under sub-regulation (1) and the commuted value of any portion of pension commuted by him are less than the amount equal to 12 times of his emoluments, a residuary gratuity equal to the deficiency may be granted to his family in the manner indicated in sub-regulation 1 of regulation 34.

(3)(a) If an employee dies in the first year of his qualifying service, a death-cum-retirement gratuity equal to two times of his emoluments at the time of his death shall be paid to his family in the manner indicated in sub-regulation 1 of regulation 34.

(b) If an employee dies after completion of one year of qualifying service but before completing five years of qualifying service, the amount of death-cum-retirement gratuity shall be equal to six times of his emoluments.

(4) The emoluments for the purpose of gratuity admissible under this regulation shall be subject to a maximum of two thousand five hundred rupees per mensem, in case of those employees retiring prior to 31st March, 1985 and Rs. 4000/- per mensem in case of those employees retiring on or after 31st March, 1985 and shall be reckoned in accordance with regulation 21, except that piece-rate earnings, incentive payment and other such payments under payment by result schemes which are treated as 'Pay' shall be reckoned with reference to such earning drawn during the last ten months of the service of the employee.

In case of an employee coming under the purview of "The payment of Gratuity Act, 1972 (No. 39 of 1972)", emolument for the purpose of gratuity also include dearness allowance irrespective of whether such an employee has opted for definition of 'Pay' for the purpose of pension as applicable to Central Government employees or not.

(5) Subject to the provisions of sub-regulations 1(a)(ii) of this regulation, if the emoluments of an employee have been reduced during the last ten months of his service otherwise than as a penalty, average emoluments referred to in regulation 22 shall be treated as emolument.

### 33. Definition of family.

For the purpose of regulation 34, 35 and 36 family in relation to an employee means,

(i) wife or wives (including judicially separated wife or wives) in the case of a male employee,

(ii) husband, (including judicially separated husband) in the case of a female employee,

(iii) sons including step sons and adopted sons,

(iv) unmarried daughters including step daughters and adopted daughters,

(v) widowed daughters including step daughters and adopted daughter,

(vi) father } including adoptive parents in the case of individuals whose personal (vii) mother } law permits adoption.

(viii) brothers below the age of eighteen years including step brothers,

(ix) unmarried sisters and widowed sisters including step sisters,

(x) married daughters, and

(xi) children of a pre-deceased son.

### 34. Persons to whom gratuity payable is payable :

(a) The gratuity payable under regulation 32 shall be paid to the person or persons on whom the right to receive the gratuity is conferred by means of a nomination under regulation 36.

(b) if there is no such nomination or if the nomination made does not subsist, the gratuity shall be paid in the manner indicated below :-

(i) If there are one or more surviving members of the family as in clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of regulation 33, to all such members in equal shares;

(ii) if there are no such surviving members of the family as in sub-clause (i) above, but there are one or more members as in clauses (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) and (xi) of regulation 33, to all such members in equal shares.

(2) if an employee dies after retirement without receiving the gratuity admissible under sub-regulation 1 of regulation 32 the gratuity shall be disbursed to the family in the manner indicated in sub-regulation (1) :

Provided that in the case of death of an employee entitled to payment of gratuity under the payment of gratuity Act 1972 (Act No. 39 of 1972), gratuity payable to him shall be paid to his nominee or if no nomination has been made to his family in the manner as specified in sub-regulation 1(b) of this regulation and in case the deceased employee has not made any nomination or the nomination made by him is not subsist and he leaves behind no family, the gratuity shall be paid to his legal heirs.

(3) The right of a female member of the family, or that of a brother, of an employee who dies while in service or after retirement to receive the share of gratuity shall not be affected if the female member marries or re-marries, or the brother attains the age of eighteen years, after the death of the employee and before receiving her or his share of the gratuity.

(4) Where gratuity is granted under Regulation 32 to a minor member of the family of the deceased employee, it shall be payable to the guardian on behalf of the minor.

#### 34(A) Debarring a person from receiving gratuity.

(1) If a person, who in the event of death of an employee while in service is eligible to receive gratuity in terms of Regulation 34, is charged with the offence of murdering the employee or for abetting in the commission of such an offence, his claim to receive his share of gratuity shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him.

(2) If on the conclusion of the criminal proceedings referred to in sub-regulation (1), the person concerned—

- (a) is convicted for the murder or abetting in the murder of employee, he shall be debarred from receiving his share of gratuity which shall be payable to other eligible members of the family, if any,
- (b) is acquitted of the charge of murdering or abetting in the murder of the employee his share of gratuity shall be payable to him.

(3) The provisions of sub-regulation (1) and sub-regulation (2) shall also apply to the undisbursed gratuity referred to in regulation (2) of regulation 34.

#### 35. Lapse of death-cum-retirement gratuity.

Subject to the provision of sub-regulation (2) of regulation 34, where an employee dies while in service, after retirement without receiving the amount of gratuity, and leaves behind no family, and

- (a) has made no nomination, or
- (b) the nomination made by him does not subsist, the amount of death-cum-retirement gratuity payable in respect of such employee under regulation 32 shall lapse to the Board.

#### 36. Nominations.

(1) An employee shall, on his initial confirmation in a service or post, make a nomination in form as may be, as appropriate in the circumstances of the case, conferring on one or more persons the right to receive the death-cum-retirement gratuity payable under regulation 32:

Provided that if at the time of making the nomination—

- (i) the employee has a family, the nomination shall not be in favour of any person or persons other than the members of his family, or
- (ii) the employee has no family, the nomination may be made in favour of a person or persons, or a body of individuals, whether incorporated or not.

(2) If an employee nominates more than one person under sub-regulation (1), he shall specify in the nomination the amount of share payable to each of the nominees in such manner as to cover the entire amount of gratuity.

(3) An employee may provide in the nomination—

- (i) that in respect of any specified nominee who pre-deceases the employee, or who dies after the death of the employee but before receiving the payment of gratuity the right conferred on that nominee shall pass to such other person as may be specified in the nomination;

Provided that if at the time of making the nomination the employee has a family consisting of more than one member the person so specified shall not be a person other than a member of his family.

Provided further that where an employee has only one member in his family, and a nomination has been made in his favour, it is open to the employee to nominate alternate nominee or nominees in favour of any person or a body of individuals, whether incorporated or not.

(ii) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of the contingency provided therein.

(4) The nomination made by an employee who has no family at the time of making it, or the nomination made by an employee under the second proviso to clause (i) of sub-regulation (3) where he has only one member in his family shall become invalid in the event of the employee subsequently acquiring a family, or an additional member in the family, as the case may be.

(5) An employee may, at any time, cancel a nomination by sending a notice in writing to the authority mentioned in sub-regulation (7);

Provided that he shall, along with such notice, send a fresh nomination made in accordance with this regulation.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (i) of sub-regulation (3) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (ii) of that sub-regulation, the employee shall send to the authority mentioned in sub-regulation (7) a notice in writing cancelling the nomination together with a fresh nomination made in accordance with this regulation.

(7)(a) Every nomination made (including every notice of cancellation, if any given) by an employee under this regulation, shall be sent to the Head of Department in which the employee belongs.

(b) The Head of the Department shall immediately on receipt of the nomination referred to in sub-regulation (a) countersign it indicating the date of receipt and keep it under his custody.

(c) The Head of the Department may authorise his sub-ordinate officers not below the rank of Deputy to countersign the nomination forms of the employees.

(8) Every nomination made, and every notice of cancellation given, by an employee shall, to the extent that it is valid, take effect from the date on which it is received by the authority mentioned in sub-regulation (7).

### 37. Family pension

1. Without prejudice to the provisions contained in sub-regulation (3).

Where an employee dies—

- (a) after completion of one year of continuous services or
- (a) before completion of one year of continuous service provided the deceased employee concerned immediately prior to his appointment to the service or post was examined by the appropriate medical authority and declared fit by that authority for Board's service, or
- (b) after retirement from service and was on the date of death in receipt of pension or compassionate allowance referred to in Chapter V, the family of the deceased shall be entitled to a family pension (hereinafter in this regulation referred to as family pension) the amount of which shall be determined in accordance with the Table below :—

Pay of an employee	Amount of monthly family pension
(i) Below Rs. 400	30% of pay subject to a minimum of Rs. 60 and a maximum of Rs. 100.
(ii) Rs. 400 and above but below Rs. 1,200	15% of pay subject to a minimum of Rs. 100 and a maximum of Rs. 160.
(iii) Rs. 1,200 and above	12% of pay subject to a minimum of Rs. 160 and a maximum of Rs. 240. Provided that in case of a Class III or a Class IV employee retiring from service on or after 2.69 who has not opted to have emoluments calculated in the manner as that of a Class I or a Class II employee for the purpose of payment of "health-com-retirement gratuity and

1	2
	pension, the family of the deceased shall be entitled to a family pension, with effect from 1-1-79, the amount of which shall be determined in accordance with the Table below:
	Pay of an employee
	Amount of monthly family pension
(i) Below Rs. 400	Rs. 60
(ii) Rs. 400 and above but below Rs. 800	Rs. 100
(iii) Rs. 800 and above but below Rs. 1,200	12% of pay subject to a minimum of Rs. 100.
(iv) Rs. 1,200 and above	Rs. 160.

Explanation : The expression 'continuous one year of service' wherever it occurs in this regulation shall be construed to include less than one year of continuous service as defined in Clause (a.a).

(2) The amount of family pension shall be fixed at monthly rates and be expressed in whole rupees and where the family pension contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee, provided that in no case a family pension in excess of the maximum prescribed under this regulation shall be allowed.

(3) (a) (i) Where an employee, who is not governed by the Workmen's Compensation Act 1923, (8 of 1923), dies while in service after having rendered not less than seven years' continuous service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to 50 per cent of the pay last drawn or twice the family pension admissible under sub-regulation (1) whichever is less, and the amount so admissible shall be payable from the date following the date of death of the employee for a period of seven years, or for a period upto the date on which the deceased employee would have attained the age of 65 years had he survived, whichever is less.

(ii) In the event of death of an employee (other than a Class-III or Class-IV employee who has not opted for definition of pay as applicable to central government employees for the purpose of pension) after retirement the family pension as determined under sub-clause (i) shall be payable for a period of seven years, or for a period upto the date on which the retired deceased employee would have attained the age of 65 years had he survived, whichever is less :

Provided that in no case the amount of family pension determined under this clause shall exceed the pension sanctioned on retirement from the Board, provided further that where the amount of pension authorised on retirement is less than the amount of family pension admissible under sub-regulation (1), the amount of family pension determined under this clause shall be limited to the amount of family pension admissible under sub-regulation (1).

**Explanation :** (i) For the purpose of this sub-clause, pension, authorised on retirement includes the part of the pension which the retired employee may have committed before death.

(ii) Where a deceased Class-III and a Class-IV employee did not opt to have his emoluments calculated in the manner as those of a Class-I and Class-II employee for the purpose of payment of death-cum-retirement gratuity and pension, the words 'twice the family pension' appearing in Sub-regulation (3) (a) (i) shall be replaced by 'one and half time the family pension'. This will have effect from 1-1-79 and for this purpose, the pay will be defined as in the case of Central Govt. employees but will include piece-rate earnings, incentive payments, premium payments and other such payments under payment by Results scheme.

(b) (i) Where an employee who is governed by the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923) dies while in service after having rendered not less than seven years continuous service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to 50 per cent of the pay last drawn or one and a half times the family pension admissible under sub-regulation(1), whichever is less. For this purpose, the pay will be as defined in the case of Central Government employees but will include piece-rate earnings, incentive payments, premium payments and other such payments under payment by Results scheme.

(ii) The family pension so determined under sub-clause (i) shall be payable for the period mentioned in clause (a) of sub-regulation-3 provided that where a compensation is not payable under the aforesaid Act, and that where the family of the deceased employee is not eligible for any compensation under the aforesaid Act, the family shall be paid family pension on the scheme, and for the period, mentioned in clause (a).

(c) After the expiry of the period referred to in clause (a) the family, in receipt of family pension under that clause or clause (b) shall be entitled to family pension at the rate admissible under sub-regulation (1).

4. (a) (i) Where an award under the Calcutta Port Trust Employees' (Extra ordinary pension) regulation 1985 is admissible,

63'

no family pension under this regulation shall be authorised.

5. The period for which family pension is payable shall be as follows :—

- in the case of a widow or widower, upto the date of death or remarriage, whichever is earlier;
- in the case of a son, until he attains the age of twenty one years, and
- in the case of an unmarried daughter, until she attains the age of twenty-four years or until she gets married, whichever is earlier : provided that if the son or daughter of an employee is suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-one years in the case of the son and twenty-four years in the case of the daughter, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to the following conditions, namely :

- If such son or daughter is one among two or more children of the employee, the pension shall be initially payable to the minor children in the order set out in clause (iii) of sub-regulation 7 of this regulation until the last minor child attains the age of twenty-one or twenty four as the case may be, and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from disorder or disability of mind or who is physically crippled or disabled and shall be payable to him/her for life.
- If there are more than one such son or daughter suffering from disorder or disability of mind or who are physically crippled or disabled, the family pension shall be paid in the following order namely :—
  - firstly to the son, and if there are more than one son, the younger of them will get the family pension only after the lifetime of the elder;
  - secondly, to the daughter, and if there are more than one daughter, the younger of them will get the family pension only after the Lifetime of the elder;
  - the family pension shall be paid to such son or daughter through the guardian as if he or she were a minor;
  - before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the appointing authority shall satisfy that the handicap is of such a nature as to prevent him/her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from the Chief Medical Officer of the Board setting out as far as possible, the exact mental or physical condition of the child;

- (v) the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter shall produce every three years a certificate from the Chief Medical Officer of the Board to the effect that he or she continues to suffer from disorder or disability of mind or continues to be physically crippled or disabled.

**Explanations.**—(a) Only that disability which manifest itself before the retirement or death of the employee while in service shall be taken into account the purpose of grant of family pension under this sub-regulation.

(b) A daughter shall become ineligible for family pension under this sub-regulation from the date she gets married.

(c) The family pension payable to such a son or daughter shall be stopped if he or she starts earning his/her livelihood.

(d) In such cases it shall be the duty of the guardian to furnish a certificate every month that (i) he or she has not started earning his/her livelihood, (ii) in case of daughter that she has not yet married.

(6) (a) (i) Where the family pension is payable to more widows than one, the family pension shall be paid to the widows in equal shares.

(ii) On the death of a widow, her share of the family pension shall become payable to her eligible child :

Provided that if the widow is not survived by any child, her share of the family pension shall cease to be payable.

(b) Where the deceased employee or pensioner is survived by a widow but has left behind eligible child or children from another wife who is not alive, the eligible child or children shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received if she had been alive at the time of the death of the employee or pensioner.

(7) (i) Except as provided in sub regulation (6), the family pension shall not be payable to more than one member of the family at the same time.

(ii) If a deceased employee or pensioner leaves behind a widow or widower, the family pension shall become payable to the widow or widower, failing which to the eligible child.

(iii) If sons and unmarried daughters are alive, unmarried daughter, shall not be eligible for family pension unless the sons attain the age of twenty one years and thereby become ineligible for the grant of family pension.

(8) Where a deceased employee or pensioner leaves behind more children than one, the eldest eligible child shall be entitled to the family pension for the period mentioned in clause (i) or clause (ii) of sub regulation (5), as the case may be, and after the expiry of that period the next child shall become eligible for the grant of family pension.

(9) Where family pension is granted under this regulation to a minor, it shall be payable to the guardian on behalf of the minor.

(10) In case both wife and husband are employees and are governed by the provisions of this regulation and one of them dies while in service or after retirement, the family pension in respect of the deceased shall become payable to the surviving husband or wife and in the event of the death of the husband or wife, the surviving child or children shall be granted the two family pension in respect of the deceased parents subject to the limits specified below, namely :—

(a) (i) if the surviving child or children is or are eligible to draw two family pensions at the rate mentioned in sub-regulation (3), the amount of both the pensions shall be limited to five hundred rupees per mensem.

(ii) If one of the family pensions ceases to be payable at the rate mentioned in sub-regulations (3), and in lieu thereof the pension at the rate mentioned in sub-regulation (1) becomes payable, the amount of both the pension shall also be limited to five hundred rupees per mensem.

(b) If both the family pensions are payable at the rates mentioned in sub-regulation (1), the amount of two pensions shall be limited to two hundred and fifty rupees per mensem.

(c) Where a female employee or male employee dies leaving behind a judicially separated husband or widow and no child or children, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the person surviving. Provided that where in a case the judicial separation is granted on the ground of adultery and the death of the employee takes place during the period of such judicial separation, the family pension shall not be payable to the person surviving if such person surviving was held guilty of committing adultery.

(12) (a) Where a female employee or male employee dies leaving behind a judicially separated husband or widow with a child or children, the family pension payable in respect of the deceased shall be payable to the surviving person provided he or she is the guardian of such child or children.

(b) Where the surviving person has ceased to be the guardian of such child or children, such family pension shall be payable to the person who is the actual guardian of such child or children.

(13) (a) If a person, who in the event of death of an employee while in service, is eligible to receive family pension under this regulation, is charged with the offence of murdering the employee or for abetting in the commission of such an offence, the claim of such a person, including other eligible member or members of the family to receive the family pension, shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him.

(b) If on the conclusion of the criminal proceedings referred to in Clause (a), the person concerned

(i) is convicted for the murder or abetting in the murder of an employee, such a person

shall be debarred from receiving the family pension which shall be payable to other eligible member of the family, from the date of death of the employee.

(ii) if acquitted of the charge of murder or abetting in the murder of the employee, the family pension shall be payable to such a person from the date of death of the employee.

(c) The provision of Clause (a) and Clause (b) shall also apply for the family pension becoming payable on the death of an employee after his retirement.

(14) For the purpose of this regulation :—

(a) "continuous service" means service rendered in temporary or permanent capacity and does not include—

- period of suspension, if any, and
- period of service, if any, rendered before attaining the age of eighteen year.

(b) "family", in relation to an employee means—

(i) wife in the case of a male employee or husband in the case of a female employee, provided the marriage took place before retirement of the employee;

(ii) (a) A judicially separated wife or husband, such separation not being granted on the ground of adultery, provided the marriage took place before the retirement of the employee, and the person surviving was not held guilty of committing adultery.

(ii) Son who has not attained the age of twenty one years and unmarried daughter who has not attained the age of thirty years including such son and daughter adopted legally before retirement but shall not include son or daughter both after retirement.

(c) (i) "Pay" means the emoluments as specified in regulation 21, except that piece-rate earnings, incentive payments and other such payments under payment by Result Schemes which are treated as pay shall be reckoned with reference to such earning drawn during the last ten months of the service of the employee, or

(ii) The average emoluments as referred to in regulations 22, if the emoluments of the deceased employee have been reduced during the last ten months of his service otherwise than as penalty.

## CHAPTER VII

Procedure for grant of Pension and Death-cum-Retirement Gratuity.

38. Procedure for grant of pension and Death-cum-Retirement Gratuity.

The procedure for the grant of pension, family pension and death-cum-retirement gratuity shall be such as may be prescribed by the Chairman from time to time.

39. Preparation of list of employees due for retirement.

(1) Every Head of Department shall have a list prepared once in a year, that is, on the 1st January each year of all employees who are due to retire within the next 6 to 18 months of that date.

(2) A copy of every such list in duplicate shall be supplied to the Financial Adviser and Chief Accounts Officer not later than the 31st January of that year.

(3) In the case of an employee retiring for reasons other than by way of Superannuation, the Head of Department shall promptly inform the Financial Adviser and Chief Accounts Officer as soon as the fact of such retirement becomes known to him.

(4) A copy of the intimation sent by the Head of Department to the Financial Adviser & Chief Accounts Officer shall also be endorsed to the Land Manager in respect of Class I, Class II and Class III employees and to the Labour Adviser & Industrial Relations Officer in respect of Class IV employees if the employees concerned are allottees of Port Trust Accommodation.

(5) The Head of Department shall also have a separate list prepared once in a year, that is, on the 1st January each year of all Class IV employees promoted to Class III posts who are due to retire within the next 6 to 18 months of that date and a copy of every such list in duplicate shall be supplied to the Financial Adviser and Chief Accounts Officer not later than the 31st January of that year. The list shall also contain particulars as regards (1) date of contiguous officiating appointment of the concerned employee to Class III post and (2) particulars of reference under which the staff Recommendation Sheet on confirmation Health Certificate, Service Sheet in respect of service rendered in Class IV posts and Leave Account of the concerned employee has been forwarded to the Office of the Financial Adviser and Chief Accounts Officer and the date of confirmation of the employee in the Class III post. In case of Class IV employees officiating in Class III post, not yet confirmed in such post, the list should show the date of continuous officiating appointment of such an employee to the Class III post.

## 40. Preparation of Pension Papers

Every Head of Department shall undertake the work of preparation of pension papers 9 months before the date on which an employee is due to retire on superannuation. While doing so, the Head of Department shall go through the service sheets of Class IV employees and satisfy himself as regards the correctness of the entries recorded therein. The Head of Department shall complete preparation of Pension Papers and forward the pension proposal along with all relevant documents to the Financial Adviser and Chief Accounts Officer not later than four months before the date of retirement of the employee. Before forwarding the Pension Proposals, the Head of Department shall as far as possible ascertain and assess the Board's due payable by an employee due

for retirement and intimate the same to the Financial Adviser and Chief Accounts Officer at the time of forwarding the Pension Papers to him so that the dues are recovered out of the gratuity before its payment is authorised. If after the particulars of Board's dues have been intimated to the Financial Adviser and Chief Accounts Officer, any additional Board's dues come to the notice of the Head of Department such dues shall be promptly reported to the Financial Adviser and Chief Accounts Officer.

**Note :** —If the application is or an invalid Pension, the requisite certificate of the Chief Medical Officer shall be attached to the Pension Proposal.

41. Intimation to Financial Adviser and Chief Accounts Officer regarding any event having bearing on Pension.

If after the Pension Papers have been forwarded to the Financial Adviser and Chief Accounts Officer within the period specified in regulation 40, any event occurs which has a bearing on the amount of pension admissible, the fact shall be promptly reported to the Financial Adviser and Chief Accounts Officer.

42. Authorisation of Pension and gratuity by the Financial Adviser and Chief Accounts Officer.

On receipt of Pension papers referred to in regulation 40, the Financial Adviser and Chief Accounts Officer shall apply the requisite checks, assess the amount of pension and gratuity and authorise the payment of same not later than one month in advance of the date of the retirement of the employee. After payment of pension and death-cum-retirement gratuity is authorised the Financial Adviser and Chief Accounts Officer shall arrange for preparation of pension and death-cum-retirement gratuity bill. The F.A. & C.A.O. shall also arrange to verify the correctness of entries in the service sheets maintained in his receipt of the list of employees promoted to Class III office in respect of Class I, Class II and Class III employees on receipt of the list of such employees as referred to in sub-regulation (2) of regulation 39. On receipt of the list of employees promoted to Class III posts from Class IV post as referred to sub-regulation 5 of regulation 39, F. A. & C. A.O. shall cause the service sheet in respect of the service rendered in a Class III post by any of the employees mentioned in the list to be opened immediately, if not opened earlier.

43. Recovery of excess payment

Should the amount of pension/death-cum-retirement gratuity granted to an employee be afterwards found to be in excess of that to which he is entitled under those regulations these he shall be called upon by the Financial Adviser and Chief Accounts Officer to refund such excess. For this purpose the employee concerned shall be served with a notice by the Financial Adviser and Chief Accounts Officer requiring him to refund the excess payments within a period of two months from the date of receipt by him of the notice. On his failure to comply with the notice, the Financial Adviser and Chief Accounts Officer shall

order that such excess payment shall be adjusted by short payment of pension in future in one or more instalments as he will think fit.

## CHAPTER VIII

### Dues of the Board

44. (i) Recovery and adjustment of dues of the Board.

It shall be the duty of every retiring employee to clear all dues of the Board before the date of his retirement. (ii) Where a retiring employee does not clear the dues of the Board and such dues are ascertainable :—

- (a) an equivalent cash deposit may be taken from him; or
- (b) out of the gratuity payable to him an amount equal to that recoverable on account of ascertainable dues of the Board shall be deducted therefrom.

**Explanation :** —The expression "ascertainable dues of the Board" includes balance of house building or conveyance advance, dues on account of occupation of accommodation provided by the Board, overpayment of pay and allowances and arrears of income-tax deductible at source under the income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

### Unrealised and unassessed dues of the Board.

45. (a) If any of the dues of the Board (other than those referred to in regulation 44) remain unrealised and unassessed for any reasons, suitable cash deposit may be taken from the retiring employee or such portion of gratuity payable to him as may be considered sufficient may be held over till the outstanding dues are assessed and adjusted.

(b) The cash deposit to be taken or the amount of gratuity to be withheld shall not exceed the estimated amount of the outstanding dues plus twenty-five per cent thereof.

(c) Effort shall be made to assess and adjust the recoverable dues of the Board as early as possible.

(d) The dues of the Board as assessed shall be adjusted against the cash deposit or the amount withheld from the gratuity and the balance, if any, shall be released to the retired employee.

## CHAPTER IX

### Payment of pension and death-cum-retirement gratuity

46. Payment of pension.

(1) Subject to the provisions of regulation 8, a pension other than family pension shall become payable from the date on which an employee ceases to be borne on the establishment.

(2) A pension fixed at monthly rates shall be payable monthly on or after the first day of the following month.

(3) A pension including family pension shall be payable for the day on which its recipient dies.

(4) On the death of a pensioner, payment of any arrears of pension actually due may be made to his legal heirs in the manner as prescribed by the Chairman from time to time.

#### 47. Payment of Death-cum-retirement Gratuity.

Except as otherwise provided in these regulations a gratuity shall be paid in lump sum.

### CHAPTER X

#### COMMUTATION OF PENSION

##### 48. Application for commutation.

On the application of an employee the Chairman may subject to the conditions hereafter specified sanction the commutation for a lump payment of a portion not exceeding one third of any pension which has been or may be granted to him under these regulations :

Provided that an employee against whom judicial or a departmental proceeding has been instituted or a pensioner against whom any such proceeding has been instituted or continued, shall not be permitted to commute any part of his pension during the pendency of such proceedings.

##### 49. Medical examination for commutation.

(1) On receipt of the application for commutation the Head of department under whom the pensioner was employed immediately before his retirement from the service, shall forward the case with his recommendation to the Chairman through the Financial Adviser and Chief Accounts Officer.

##### (2) An applicant who—

(i) retires on invalid pension under Regulation 25 of these regulations; or

(ii) is compulsorily retired from service as a penalty and is granted pension under regulation 27 of these regulations; or

(iii) is in receipt of compassionate allowance under regulation 28 of these regulations; or

(iv) has retired from service on one of the pension referred to in sub-regulation (3), but his application for commutation has not been received in the office of the Financial Adviser and Chief Accounts Officer within one year of his retirement shall be eligible to commute a fraction of his pension subject to the limit specified in Regulation 48 after he has been declared fit by the Chief Medical Officer or such other Medical Authority as may be directed by the Chairman.

On the Chairman accepting the proposal for commutation, the Head of Department shall direct the pensioner to appear before the Chief Medical Officer, or in the case of pensioner residing abroad in foreign countries as well as those living at a considerable distance from Calcutta such other Medical Authority as may be directed by the Chairman, for a certificate as to whether the pensioner is a fit subject for commutation, within three months of the date of receipt of the direction. If the pensioner does not present himself for medical examination within the period of three months as stated above, the Chairman may grant an extension of time not exceeding three months for such presentation after which date the application for commutation shall be considered as withdrawn. The medical certificate will be forwarded to the Chairman through the Financial Adviser and Chief Accounts Officer by the Heads of Departments and the Financial Adviser and Chief Accounts Officer will thereupon report to the Chairman the commuted value of the pension and for this purpose the applicant's age next birthday will be determined by reference to the date of the medical report. The pensioner may however, after giving notice in writing to the Head of the Department withdraw his application at any time before subjecting himself to medical examination before the Chief Medical Officer but in no case after he has appeared before the Chief Medical Officer or such other Medical Authority as referred to in sub-regulation (1).

##### (3) An applicant who is authorised —

(i) a superannuation pension under regulation 23 of the Pension Regulations; or

(ii) a retiring pension under regulation 24 of the pension regulations; or

(iii) a compensation pension on abolition of permanent post under regulation 26 of the pension regulations; or

(iv) a pension in whole or in part on the finalisation of the departmental or judicial proceeding referred to in regulation 8 of the pension regulations and issue of final orders thereon; shall subject to the limit specified in regulation 48 be eligible to commute a fraction of his pension without medical examination provided the application for commutation is received in the office of the Financial Adviser and Chief Accounts Officer within one year of the date of retirement of the applicant :

Provided that in the case of an applicant referred to in clause (iv) of sub-regulation (3) of Regulation 49, the period of one year referred to in this sub-regulation shall reckon from the date of the issue of the orders consequent on the finalisation of the departmental or judicial proceedings. The Financial Adviser and Chief Accounts Officer will report to the Chairman the commuted value of the pension and for this purpose the applicant's age next birthday will be determined by reference to the date of birth recorded in the service sheet and taken into account for the purpose of processing pension.

An employee who is due to retire on superannuation and desires payment of the commuted value of pension being authorised at the time pension being authorised, shall be eligible to apply for commutation of a fraction of pension prior to the date of retirement provided that—

- (a) the employee retires on superannuation pension only;
- (b) the application is submitted to the Head of Department so as to reach him not later than three months before the date of superannuation. No such application shall be entertained if the period is less than three months from the date of superannuation of the employee; and
- (c) the Board shall have no liability for the payment of the commuted value of pension if the employee dies before the date of superannuation or forfeits claim to pension before such retirement.

The Head of Department shall forward the application for commutation of pension to the Financial Adviser and Chief Accounts Officer along with the pension proposal.

(4) In the event of the Chief Medical Officer or in the case of pensioner residing abroad in foreign countries as well as those living at a considerable distance from Calcutta, such other Medical Authority referred to in sub-regulation (2) above declaring the age of the pensioned for purpose of commutation of pension to be greater than his actual age, the pensioner will be required by the Head of Department to state in writing within two weeks from the date of receipt of intimation whether in these circumstances he still wishes to commute a portion of the pension. If the pensioner does not withdraw in writing his application for commutation within the period of two weeks prescribed above, he shall be assumed to have accepted the commutation.

(5) If the pensioner makes any statement found to be false within his knowledge or willfully suppresses any material facts in answer to any question written or oral, put to him in connection with his medical examination, the Chairman may cancel the sanction to commutation at any time before payment is actually made, and such a statement or suppression may be treated as grave misconduct for which the Board reserve to it the right of withholding or withdrawing the pension any part of it.

(6) A pensioner applying for a commutation, who has once been rejected on the recommendation of the Chief Medical Officer or in the case of pensioners residing abroad in foreign countries as well as those living at a considerable distance from Calcutta by such other medical Authority referred in sub-regulation (2) above, as not being a fit subject for commutation, or who has once declined to accept commutation on the basis of an addition of years to his age next birthday recommended by that officer or authority may be allowed to present himself once more subsequently for medical examination with a view to

the revision of the original finding at his own cost provided that an interval of not less than a year shall elapse between the date of the first medical examination and that of the second.

(7) The pensioner shall himself pay the fees of the Chief Medical Officer in the case of pensioners residing abroad in foreign countries as well as those living at a considerable distance from Calcutta such other Medical Authority referred to in sub-regulation (2) above, if demanded by that officer or authority and shall himself defray all other expenses in connection with medical examination.

(8) The commutation shall become absolute, that is the title to receive the commuted portion of the pension shall cease and the title to receive the commuted value will accrue on the date on which the Medical Authority signs the medical certificate. Provided further that in a case falling under sub-regulation (3), the commutation shall become absolute that is the retired employee shall become entitled to receive the commuted value on the date on which his application is received in the office of the Financial Adviser and Chief Accounts Officer.

(9) The lump sum payable on commutation shall be calculated in accordance with a table or tables of present values which shall be prescribed by the Government of India from time to time for its employees and as applicable to the applicant on the date on which the commutation becomes absolute.

(10) Payment of the commuted value shall be made as expeditiously as possible. Whatever the date of actual payment, the amount paid and the effect upon the pension shall be the same as if the commuted value were paid on the date on which commutation became absolute. If the commuted portion of the pension has been drawn after the date on which the commutation became absolute, the amount drawn shall be deducted from the amount payable on commutation.

(11) (a) An applicant shall make a nomination in the prescribed form (printed at Annexure—I) conferring on one or more persons the right to receive the commuted value of pension in case the applicant dies without receiving the commuted value on or after the date on which commutation became absolute.

(b) If there is no such nomination or if the nomination made does not subsist and the pensioner dies on or after the day on which commutation became absolute but before receiving the commutation value this value shall be paid to his legal heirs.

(12) The compassionate allowance granted under regulation (28) shall be treated as pension for the purpose of commutation.

(13) An applicant who has commuted a fraction of his final pension and after commutation his pension has been revised and enhanced retrospectively, the applicant shall be paid the difference between the commuted value determined with reference to enhanced pension and the commuted value already authorised.

For the payment of difference, the applicant shall not be required to apply afresh :

Provided that in the case of an applicant who has commuted a fraction of his original pension not exceeding rupees one hundred after being declared fit by the Chief Medical Officer or such other Medical Authority as referred to in sub-regulation (2) and as a result of retrospective enhancement of pension he becomes eligible to commute an amount exceeding one hundred rupees per mensem, he shall be allowed the difference between the commuted value of one hundred rupees per mensem and the commuted value of the fraction of the original pension without further medical examination, the commutation of any further amount beyond rupees one hundred per mensem shall be treated as fresh commutation and allowed subject to medical examination.

#### 49. (A) Restoration of commuted portion of pension.

The pensioners who have commuted the admissible portion of their pension and on 1-4-1985 or thereafter have completed or will complete 15 years from their respective dates of retirement may be allowed to have the commuted portion of their pension restored, excepting in the case of Port employees who got themselves absorbed under Public Sector Undertakings/Autonomous Body and have received or opted to receive commuted value of 1/3rd of pension as well as terminal benefits equal to the commuted value of the balance amount of pension left after commuting 1/3rd of pension.

#### 50. Interpretation.

Where any doubt arises as to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Board for decision.

#### 51. Power to relax.

Where the Board is satisfied that the operation of any of these regulations causes under hardship in any particular case, the Board, may, by order for reasons to be recorded in writing dispense with or relax

the requirements of that regulation to such extent and subject to such exceptions and conditions as the Board may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

#### 52. Repeal and Saving.

(1) On the commencement of these regulations, every rule or order in force immediately before such commencement shall, cease to operate.

#### (2) Notwithstanding such cessation of operation :

- any nomination for the payment of death cum-retirement gratuity required to be made or given by an employee under the old rules and/or order but not made or given before the commencement of these regulations shall be made or given after such commencement in accordance with the provision of these regulations;
- any case which pertains to the sanction of pension to an employee who had retired before the commencement of these regulations and is pending before such commencement shall be disposed of in accordance with the provisions of the old rules and/or orders as if these regulations had not been made;
- any case which pertains to the sanction of death-cum-retirement gratuity and family pension to the family of a deceased employee or of a deceased pensioner and is pending before the commencement of these regulations shall be disposed of in accordance with the provisions of the old rules or orders if these regulations had not been made;
- Subject to the provisions of clauses (b) and (c) anything done or any action taken under the old rules and/or orders shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.

(SUDHIR SHANKER NAGAR)

Section Officer

Ministry of Surface Transport